रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-01112022-239959
CG-GJ-E-01112022-239959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 31, 2022/कार्तिक 9, 1944
No. 533] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 28 अक्तूबर, 2022

सं. आईएफएससीए/2022-23/जीएन/जीएल001-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन विरोधी/आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिषेध और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिर्देश, 2022

विषय सूची

संक्षिप्ताक्षरों का सूचकांक

क्र.सं.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
1.	एएमएलसीएफटी/	धन शोधन विरोधी/आतंकवाद वित्तपोषण का प्रतिषेध (*आतंकवाद वित्तपोषण का प्रतिषेध करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है*)
2.	बीएफ	व्यापार सुविधाकर्ता
3.	बीओ	लाभकारी स्वामी
4.	सीडीडी	ग्राहक यथोचित कर्मठता
5.	सीकेवाईसीआर	केंद्रीय अपने ग्राहक को जानिए अभिलेख रजिस्ट्री
6.	सीआरएस	सामान्य रिपोर्टिंग मानक
7.	ईसीडीडी	वर्धित ग्राहक यथोचित कर्मठता
8.	एफएटीसीए	विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम
9.	एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कृत्तिक बल
10.	एफआईयूआईएनडी-	वित्तीय आसुचना इकाई- भारत
11.	केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
12.	आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
13.	आईएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
14.	एमएल/टीएफ	धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण
15.	एनपीओ	निर्लाभ संगठन
16.	एनआरआई	प्रवासी भारतीय
17.	ओवीडी	आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़
18.	पीईपी	राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति
19.	आरबीए	जोखिम आधारित उपागम
20.	आरई	विनियमित एंटिटी
21.	एससीडीडी	सरलीकृत ग्राहक यथोचित कर्मठता
22.	एसटीआर	संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट
23.	वी-सीआईपी	विडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रिया

24.	एनटीआर	गैर लाभकारी लेन-देन रिपोर्ट
25.	यूएपीए	गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967
26.	यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

अध्याय 1

विनियमित एंटिटी की प्रयोज्यता, परिभाषाएं और कर्तव्य

1.1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

इन दिशानिदेशों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन विरोधी, आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिषेध और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 कहा जाएगा और ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.2. प्रयोज्यता

1.2.1 इन दिशानिदेशों के उपबंध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा लाइसेंस, मान्यता प्राप्त या पंजीकृत प्रत्येक विनियमित एंटिटी पर और इसके द्वारा अधिकृत विनियमित एंटिटी पर भी निर्दिष्ट सीमा तक लागू होंगे।

1..2 इन दिशानिदेशों के प्रावधान विनियमित एंटिटी के वित्तीय समूह पर भी उस सीमा तक लागू होंगे, जैसा अध्याय-XII में निर्दिष्ट है।

1.3. परिभाषाएं

इन दिशानिदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

1.3.1 "अधिनियम" और "नियम" का अभिप्राय क्रमशः धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 से है।

`1.3.2 "प्राधिकरण" या "आईएफएससीए" का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है।

1.3.3. "लाभकारी स्वामी" का अभिप्राय निम्नांकित से है: -

(क) जहां ग्राहक एक कंपनी है, लाभकारी स्वामी

व्यक्ति है, जो चाहे अकेले या साथ में, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से काम कर रहा है, जिसके नियंत्रणकारी स्वामित्व हित हैं या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करता है।

स्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोजन के लिए-

(i) "नियंत्रणकारी स्वामित्व हित" का अभिप्राय कंपनी के शेयरों या पूंजी या मुनाफे का पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या अधिकार से है;

(ii) "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौता या मतदान समझौता शामिल हैं;

(ख) जहां ग्राहक साझेदारी फर्म है, लाभकारी स्वामी ऐसा स्थानीय व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से कार्य कर रहा है, उसका साझेदारी की पूंजी या लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व/अधिकार है;

(ग) जहां ग्राहक अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय है, लाभकारी स्वामी ऐसा स्थानीय व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है, जिसके पास अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या अधिकार है;

स्पष्टीकरण: 'व्यक्तियों का निकाय' शब्द में समाज शामिल हैं। जहां ऊपर (क) से (ग) के अधीन किसी भी स्थानीय व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती, उस दशा में लाभकारी स्वामी प्रासंगिक स्थानीय व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है।

(घ) जहां ग्राहक एक ट्रस्ट है, वहां लाभकारी स्वामी (स्वामियों) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या अधिक हित वाले लाभार्थी और श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर नियंत्रण या स्वामित्व की अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाले किसी भी अन्य स्थानीय व्यक्ति के साथ लाभार्थियों की पहचान शामिल होगी।

स्पष्टीकरण:- हिताधिकारी स्वामी के निर्धारण के उद्देश्य से नियम 9 के उपनियम 3 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन इन दिशानिदेशों के अधीन अपेक्षाओं के अतिरिक्त लागू होगा।

1.3.4 "लाभार्थी संस्थान" का अभिप्राय उस वित्तीय संस्थान से है जो आदेश देने वाले संस्थान से सीधे या किसी मध्यस्थ संस्थान के माध्यम से वायर ट्रांसफर प्राप्त करता है, और वायर ट्रांसफर लाभार्थी को धन उपलब्ध कराता है।

1.3.5 "व्यावसाय सुविधाकर्ता" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसेविनियमित एंटिटी द्वारा इसके साथ खाता खोलने के लिए ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी/आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

1.3.6 "केंद्रीय अपने ग्राहक को जानिए अभिलेख रजिस्ट्री" का अभिप्राय नियमों के नियम 2 (1) (कग) के अधीन परिभाषित एंटिटी से है, जो डिजिटल रूप में ग्राहक के केवाईसी अभिलेख प्राप्त करने, भंडारित करने, सुरक्षित रखने और उसे पुनर्प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।

1.3.7 "प्रमाणित प्रति" का अभिप्राय है ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए मूल आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की उसकी प्रति से तुलना करना और उसे विनियमित एंटिटी के अधिकृत अधिकारी द्वारा 'स्वच्छ प्रति' के रूप में अभिलेखित करना।

बशर्ते कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित अनिवासी व्यक्तियों के मामले में, प्रमाणीकरण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:

(i) वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) के अनुपालन क्षेत्राधिकार में स्थित बैंक का अधिकृत अधिकारी जिसके साथ व्यक्ति का बैंकिंग संबंध है; वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) के अनुपालन क्षेत्राधिकार में स्थित बैंक का अधिकृत अधिकारी जिसके साथ व्यक्ति का बैंकिंग संबंध है;

(ii) नोटरी पब्लिक (भारत से बाहर);

(iii) कोर्ट मजिस्ट्रेट (भारत से बाहर);

(iv) न्यायाधीश (भारत से बाहर);

(v) प्रमाणित सार्वजनिक या व्यावसायिक लेखाकार (भारत से बाहर);

(vi) अधिवक्ता (भारत से बाहर);

(vii) जिस देश का अनिवासी व्यक्ति नागरिक है उसका दूतावास/महावाणिज्य दूतावास; या

(viii) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकरण।

1.3.8 "सामान्य रिपोर्टिंग मानक" का अभिप्राय ऐसे रिपोर्टिंग मानक से है जिसे कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर अभिसमय के अनुच्छेद 6 के आधार पर स्वचालित रूप से सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए हस्ताक्षरित बहुपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया गया है।

1.3.9 "कवर भुगतान" का अभिप्राय वायर ट्रांसफर से है जो आदेश देने वाली संस्था द्वारा सीधे लाभार्थी संस्थान को भेजे गए भुगतान संदेश को एक या अधिक मध्यस्थ संस्थानों के माध्यम से आदेश देने वाले संस्थान से लाभार्थी संस्थान तक फंडिंग निर्देश (कवर) की राउटिंग के साथ जोड़ता है।

1.3.10 "क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर" का अभिप्राय ऐसे कोई भी वायर ट्रांसफर (वायर ट्रांसफर की श्रृंखला सहित) से है, जहां या तो ऑर्डर देने वाला संस्थान या लाभार्थी संस्थान आईएफएससी में स्थित है।

1.3.11 इन दिशानिदेशों के प्रयोजन के लिए "ग्राहक" या "उपभोगता" का अभिप्राय ऐसा व्यक्ति हो जो विनियमित एंटिटी के साथ वित्तीय **लेन-देन** या कार्यकलाप में लगा हुआ है और इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसकी ओर से लेन-देन या कार्यकलाप में शामिल व्यक्ति कार्य कर रहा है।

1.3.12. "नामित निदेशक" का अभिप्राय अधिनियम, नियमों और इन दिशानिदेशों के अध्याय IV के अधीन दिए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित एंटिटी द्वारा नामित व्यक्ति से है।

1.3.13. "डिजिटल केवाईसी" का अभिप्राय ग्राहक और उसके पास उपलब्ध आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या आधार के साक्ष्य की उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के साथ विनियमित एंटिटी के अधिकृत अधिकारी द्वारा ली जा रही लाइव फोटो से है, जहां अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुसार इसे ऑफ़लाइन सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

1.3.14. "डिजिटल हस्ताक्षर" का वही अभिप्राय होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा (2) की उप-धारा (1) के खंड (त) में दिया गया है।

1.3.15 "देशीय वायर ट्रांसफर" का अभिप्राय ऐसे वायर ट्रांसफर से है जहां ऑर्डर देने वाली संस्था और लाभार्थी संस्थान दोनों आईएफएससी में स्थित हैं और या वायर ट्रांसफर की किसी भी ऐसी श्रृंखला से संदर्भित है, जो पूरी तरह से आईएफएससी के भीतर होती है।

1.3.16. "समतुल्य ई-दस्तावेज़" का अभिप्राय दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष से है, जो ऐसे दस्तावेज़ के जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया हो, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर खाते को जारी किए गए या प्राधिकरण द्वारा यथा-मान्यता प्राप्त अन्य क्षेत्राधिकारों में इसके समकक्ष दस्तावेज़ शामिल हैं।

1.3.17. "एफएटीसीए" का अभिप्राय संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम, 2010 से है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अमेरिकी करदाताओं या विदेशी एंटिटियों द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए वित्तीय संस्थानों की रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें अमेरिकी करदाताओं का पर्याप्त स्वामित्व हित निहित हो।

1.3.18. "वित्तीय समूह" का अभिप्राय एक ऐसे समूह से है जिसमें मूल कंपनी या किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति शामिल है जो शेष समूह पर नियंत्रण और समन्वय कार्यों का प्रयोग करता है, साथ ही समूह स्तर पर शाखाएं और/या सहायक कंपनियां जो एएमएल/सीएफटी नीतियों और प्रक्रियाओं के अधीन हैं।

1.3.19. "वित्तीय आसूचना एंटिटी - भारत" भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अभिकरण से संदर्भित है, जो अन्य बातों के साथ-साथ संदिग्ध वित्तीय **लेन-देन** से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए उत्तरदायी है।

1.3.20. "शासी निकाय" का अभिप्राय निम्नांकित से है:

(क) कंपनी के संबंध में- निदेशक मंडल;

(ख) साझेदारी फर्म के संबंध में- भागीदार(रों);

(ग) सीमित देयता भागीदारी के संबंध में- किसी भी नामित भागीदार सहित भागीदार;

(घ) ट्रस्ट के संबंध में - प्रबंध न्यासी (न्यासियों); तथा

(ड़) अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के संबंध में - प्रबंधन की समितियां या कोई भी जो ऐसे अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय (एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर) के मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है;

(च) शाखा के रूप में स्थापित विनियमित एंटिटी के संबंध में, विनियमित एंटिटी की मूल एंटिटी के शासी निकाय के प्राधिकरण के साथ शाखा स्तर पर गठित समिति।

1.3.21. "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का अभिप्राय वही होगा जो आईएफएससीए अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन दिया गया है।

1.3.22 "मध्यस्थ संस्थान" का अभिप्राय श्रंखला भुगतान या कवर भुगतान श्रृंखला में ऐसे वित्तीय संस्थान से है जो आदेश देने वाले संस्थान और लाभार्थी संस्थान, या किसी अन्य मध्यस्थ संस्थान की ओर से वायर ट्रांसफर प्राप्त करता है और प्रसारित करता है।

1.3.23. "अंतरराष्ट्रीय संगठन पीईपी" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसे किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमुख कार्य सौंपा जाता है या सौंपा गया है।

स्पष्टीकरण: इसमें वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य या ऐसे व्यक्ति अर्थात निदेशक, उप निदेशक और बोर्ड के सदस्य या समकक्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं जिन्हें समकक्ष कार्य सौंपा गया है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में एक से अधिक देशों की सरकारों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्थापित कोई भी संगठन शामिल होता है।

1.3.24. "अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पहचानकर्ता" का अभिप्राय केंद्रीय अपने ग्राहक को जानिए अभिलेख रजिस्ट्री द्वारा ग्राहक को सौंपे गए अद्वितीय नंबर या कोड से है।

1.3.25. अधिनियम की धारा 3 के अधीन "धन शोधन" का अर्थ दिया गया है और "धन शोधन विरोधी" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, और इसमें आतंकवाद- वित्तपोषण प्रतिषेध और अन्य संबंधित उपाय शामिल होंगे।

1.3.26. "बेरुबरू ग्राहक" का अभिप्राय ऐसे ग्राहक से है जो विनियमित एंटिटी की शाखा/कार्यालयों में गए बिना या विनियमित एंटिटी के अधिकृत अधिकारियों/व्यक्तियों से मिले बिना खाते खोलते हैं।

1.3.27. "अलाभकारी संगठन" का अभिप्राय किसी भी ऐसी एंटिटी या संगठन से है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या किसी भी समान राज्य कानून या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी के अधीन ट्रस्ट या सोसायटी के रूप में पंजीकृत या किसी अन्य क्षेत्राधिकार से अन्य विधिक एंटिटी, जो अलाभकारी कार्यकलापों में संलिप्त है, और प्राधिकरण द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त है।

1.3.28. "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 में परिभाषित है।

1.3.29. "आदेश देने वाला संस्थान" का अभिप्राय उस वित्तीय संस्थान से है जो वायर ट्रांसफर शुरू करता है और वायर ट्रांसफर प्रवर्तक की ओर से वायर ट्रांसफर के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर निधि अंतरित करता है।

1.3.30 "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर धारिता प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता का विवरण निहित हो या नियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज शामिल हो;

बशर्ते कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में, राष्ट्रीय पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, विदेशी क्षेत्राधिकार की सरकार या उनके द्वारा अधिकृत अभिकरणों द्वारा जारी किया गया है, जो विदेशी नागरिक की तस्वीर, नाम, जन्म तिथि और पते को दर्शाता है, उसे आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज के रूप में भी माना जाएगा।

बशर्ते यह भी कि, जहां ग्राहकों की पहचान के सत्यापन के लिए सरल उपाय लागू किए जाते हैं, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों को भी 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' माना जाएगा: -

(क) केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक की तस्वीर के साथ पहचान पत्र;

(ख) व्यक्ति की विधिवत सत्यापित तस्वीर के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र, ।

बशर्ते यह भी कि, जहां ग्राहक के पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य को सत्यापित करने के लिए सरलीकृत उपायों को लागू किया जाता है, जहां प्रत्याशित ग्राहक पते का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ है, निम्नलिखित दस्तावेजों को भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज माना जाएगा:

(i) उपयोगिता बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल) का दो महीने से अधिक पुराना न हो;

(ii) संपत्ति, नगरपालिका कर रसीद, नगर परिषद कर रसीद, या ऐसे अन्य समकक्ष दस्तावेज;

(iii) डाकघर बचत बैंक खाता विवरण या किसी विदेशी बैंक सहित किसी बैंक खाते का विवरण;

(iv) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता दिया गया है;

(v) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ छुट्टी और लाइसेंस समझौते; तथा

बशर्ते यह भी कि यदि किसी विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज में पते का विवरण शामिल नहीं है, तो ऐसे मामले में विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र को पते का प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा;

बशर्ते यह भी कि जहां ग्राहक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में आधार संख्या को धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, वह इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए फॉर्म में जमा कर सकता है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक दस्तावेज़ को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई परिवर्तन गया हो, बशर्ते कि नाम के इस तरह के परिवर्तन का संकेत राज्य सरकार या राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो।

1.3.31. "व्यक्ति" के अर्थ में निम्नांकित शामिल हैं:

(क) एक व्यैक्तिक;

(ख) हिंदू अविभाजित परिवार;

(ग) कोई कंपनी;

(घ) कोई साझेदारी फर्म;

(ङ) कोई सीमित देयता भागीदारी;

(च) व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं;

(छ) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो उपर्युक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है; तथा

(ज) उपर्युक्त में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा।

1.3.32 "आवधिक अद्यतनीकरण" का अर्थ यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम हैं कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मौजूदा अभिलेख की समीक्षा करके ग्राहक यथोचित कर्मठताप्रक्रिया के अधीन एकत्र किए गए दस्तावेज़, डेटा या जानकारी को अद्यतित और प्रासंगिक रखा जाए।

1.3.33 "प्रधान अधिकारी" का अभिप्राय हैविनियमित एंटिटी द्वारा इस रूप में नामित ऐसे अधिकारी से है जो नियमों के नियम 8 के अधीन आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

1.3.34 "राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति" का अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिन्हें किसी भी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें राज्य या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी या अंतरराष्ट्रीय संगठन राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण: राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति की परिभाषा का उद्देश्य परिभाषा में मध्यम रैंकिंग या अधिक कनिष्ठ व्यक्तियों को शामिल करना नहीं है।

1.3.35 "विनियमित एंटिटी" का अभिप्राय ऐसी इकाई/एंटिटी से है जिसे प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस, मान्यता, पंजीकरण या प्राधिकरण प्रदान किया गया है।

1.3.36. "वरिष्ठ प्रबंधन" का अभिप्राय है:

(क) विनियमित एंटिटी के संबंध में,

(i) भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक निगमित एंटिटी के लिए,विनियमित एंटिटी के शासी निकाय का प्रत्येक सदस्य;

(ii) एक शाखा के लिए, वह व्यक्ति या व्यक्ति जो एक आईएफएससी मेंविनियमित एंटिटी के दिन-प्रतिदिन के संचालन को नियंत्रित करते हैं और इसमें ऐसे अन्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिन्हेंविनियमित एंटिटी द्वारा नामित किया जा सकता है।

(ख) एक ग्राहक के संबंध में, जो विधिक व्यक्ति है, उसके शासी निकाय का प्रत्येक सदस्य और वह व्यक्ति या व्यक्ति जो इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यों को नियंत्रित करता/करते हैं।

1.3.37. "श्रृंखला भुगतान" का अर्थ है भुगतान की सीधी अनुक्रमिक श्रृंखला जहां वायर ट्रांसफर और साथ में भुगतान संदेश आदेश देने वाले संस्थान से सीधे या एक या अधिक मध्यस्थ संस्थानों के माध्यम से लाभार्थी संस्थान तक जाते हैं।

1.3.38. "शैल वित्तीय संस्थान" का अभिप्राय किसी ऐसे देश या क्षेत्राधिकार में निगमित, गठित या स्थापित बैंक या वित्तीय संस्थान से है जहां बैंक या वित्तीय संस्थान की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, और जो प्रभावी पर्यवेक्षण के अधीन किसी वित्तीय समूह से संबद्ध नहीं है।

1.3.39 "सीधे प्रसंस्करण के माध्यम से" का अभिप्राय ऐसे भुगतान **लेन-देन** से है जो शारीरिक हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित किए जाते हैं।

1.3.40 "संदिग्ध लेन-देन" का अभिप्राय इन दिशानिदेशों में यथा-परिभाषित ऐसे "लेन-देन" से है, इसमें प्रयासित लेन-देन भी शामिल है, जो किसी व्यक्ति के भरोसे में किया गया हो-

(क) यह इस संदेह को उचित आधार देता है कि इसमें अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध की आय शामिल हो सकती है, चाहे इसमें निहित मूल्य कुछ भी हो; या

(ख) यह असामान्य या अनुचित जटिलता की परिस्थितियों में बना हुआ प्रतीत होता है; या

(ग) प्रतीत होता है कि इसके पीछे कोई आर्थिक तर्क या वास्तविक उद्देश्य नहीं है; या

(घ) यह इस संदेहको उचित आधार देता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित कार्यकलापों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है;

स्पष्टीकरण: आतंकवाद से संबंधित कार्यकलापों के वित्तपोषण से जुड़े लेन-देन में ऐसे **लेन-देन** शामिल हैं जिनमें आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी, आतंकवादी संगठन या आतंकवाद को वित्तपोषित करने या वित्तपोषण करने का प्रयास करने वाले लोगों द्वारा धन से जुड़े या संबंधित होने या उपयोग किए जाने का संदेह है।

1.3.41. "लेन-देन" का अर्थ खरीद, बिक्री, ऋण, गिरवी, उपहार, हस्तांतरण, वितरण या उसकी व्यवस्था करना है और इसमें निम्नांकित शामिल हैं-

(क) खाता खोलना;

(ख) निधि का किसी भी मुद्रा में जमा, निकासी, विनिमय या हस्तांतरण, चाहे भुगतान आदेश या अन्य उपकरणों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य गैर-भौतिक माध्यमों से किया गया हो;

(ग) सुरक्षित जमा बॉक्स या सुरक्षित जमा के किसी अन्य रूप का उपयोग;

(घ) किसी भी भरोसेमंद संबंध में प्रवेश करना;

(ङ) किसी संविदात्मक या अन्य विधिक दायित्व के लिए, पूर्ण या आंशिक रूप से किया गया या प्राप्त किया गया कोई भुगतान; तथा

(च) विधिक व्यक्ति अथवा विधि व्यवस्था स्थापित करना या बनाना।

1.3.42. "अद्वितीय लेन-देन संदर्भ संख्या" का अर्थ भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा वायर ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाने वाले भुगतान और निपटान प्रणाली या संदेश प्रणाली के प्रोटोकॉल के अनुसार निर्धारित अक्षरों, संख्याओं या प्रतीकों का संयोजन है, जो वायर ट्रांसफर का पता लगाने की अनुमति देता है .

1.3.43. "वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया" या "वी-सीआईपी" का अर्थ ग्राहक की समुचित कर्मठता के उद्देश्य के लिए आवश्यक पहचान जानकारी प्राप्त करने और स्वतंत्र सत्यापन और प्रक्रिया के लेखा-परीक्षा ट्रेल को बनाए रखने के माध्यम सेविनियमित एंटिटी के अधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता का पता लगाने के लिए ग्राहक के साथ निर्बाध, सुरक्षित, लाइव, सूचित और सहमति आधारित श्रवण-दृश्य बातचीत करके चेहरे की पहचान और ग्राहक की समुचित कर्मठता के साथ ग्राहक की पहचान का वैकल्पिक तरीका है।

स्पष्टीकरण:- निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने वाली ऐसी प्रक्रियाओं को इन दिशानिदेशों के प्रयोजन के लिए सम्मुख ग्राहक पहचान प्रक्रिया के समान माना जाएगा।

1.3.44. "वायर ट्रांसफर" का अर्थ किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से वायर ट्रांसफर प्रवर्तक की ओर से लाभार्थी संस्थान में लाभार्थी व्यक्ति को धन की राशि उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया लेन-देन है, चाहे प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति क्यों न हो।

1.3.45. "वायर ट्रांसफर लाभार्थी" का अर्थ है स्थानीय व्यक्ति, विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था जिसे वायर ट्रांसफर प्रवर्तक द्वारा वायर ट्रांसफर निधि के प्राप्तकर्ता के रूप में पहचाना जाता है।

1.3.46. "वायर ट्रांसफर प्रवर्तक" का अभिप्राय उस खाता धारक से है जो उस खाते से वायर ट्रांसफर की अनुमति देता है; या जहां कोई खाता नहीं है, स्थानीय व्यक्ति, विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था जो वायर ट्रांसफर करने के लिए आदेश देने वाली संस्था के साथ वायर ट्रांसफर का ऑर्डर देती है।

1.4. इन दिशानिदेशों में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अभिप्राय होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, धन शोधन निवारण (अभिलेखों

का रखरखाव) नियम, 2005 और इसके अधीन बनाए गए विनियमों, कतिपय सांविधिक संशोधन या उसका पुन:अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, या वाणिज्यिक बोलचाल में यथा उपयुक्त शब्दों में किया जाता है, के अधीन दिया गया है।

1.5. <u>विनियमित एंटिटी के कर्तव्य</u>

(क) प्रत्येक विनियमित एंटिटी एएमएल-सीएफटी नीति तैयार करेगी, जिसे शासी निकाय या उस समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा जिसे शासी निकाय द्वारा ऐसी शक्ति सौंपी गई है। प्रत्येक विनियमित एंटिटी एएमएल-सीएफटी नीति तैयार करते समय, इन दिशानिदेशों के प्रमुख सिद्धांतों या तत्वों को समाविष्ट करेगी।

(ख) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विनियमित एंटिटी केवाईसी नीति विकसित करेगी जो उसकी एएमएल-सीएफटी नीति का हिस्सा होगी।

(ग) विनियमित एंटिटी के वरिष्ठ प्रबंधन का प्रत्येक सदस्य इन दिशानिदेशों के अधीन विनियमित एंटिटी के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। इन दिशानिदेशों के अधीन अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए विनियमित एंटिटी के वरिष्ठ प्रबंधन के प्रत्येक सदस्य को उचित कौशल, देखभाल और परिश्रम का प्रयोग करना चाहिए।

अध्याय 2

जोखिम आधारित दृष्टिकोण

2.1. (क) इन दिशानिदेशों का प्राथमिक जोर व्यवसाय की प्रकृति और कतिपय प्रकार के ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेन-देन, या वितरण चैनलों आदि के साथ संपर्क या भागीदारी और उनके दस्तावेजीकरण के आधार पर धन शोधन (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम, जोविनियमित एंटिटी के समक्ष आते हैं, की पहचान करने और मूल्यांकन करने के लिए विनियमित एंटिटी को जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) अपनाने के लिए सक्षम बनाने पर है। विनियमित एंटिटी आरबीए को अपनाते समय यह सुनिश्चित करेगी कि:

(i) आरबीए वस्तुनिष्ठ और जोखिमों के अनुपात में है;

(ii) आरबीए उचित कारणों पर आधारित है; तथा

(iii) आरबीए की समीक्षा की जाती है और इसे उचित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है।

(ख) आरबीए व्यवसाय की प्रकृति और आकार के लिए उपयुक्त होगा। आरबीए को लागू करते समय, विनियमित एंटिटी समग्र जोखिम तय करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करेगी। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, विनियमित एंटिटी प्रभावी, उचित और आनुपातिक उपायों को लागू करके उन जोखिमों, जो इसके समक्ष आते हैं, की निगरानी, प्रबंधन करके उन्हें कम करेगी।

(ग) विनियमित एंटिटी व्यैक्तिक ग्राहक द्वारा प्रस्तुत एमएल/टीएफ जोखिमों, जहां भी लागू हो, का आकलन करने के अलावा, उद्यम-व्यापी स्तर पर एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन भी करेगी। इसमें विनियमित एंटिटी के एमएल/टीएफ जोखिम धारणा, जो इसकी सभी व्यावसायिक इकाइयों, उत्पाद लाइनों और वितरण चैनलों में विद्यमान है का समेकित मूल्यांकन शामिल होगा।

स्पष्टीकरण: एफएटीएफ जोखिम मूल्यांकन में सार्वजनिक वक्तव्य, एफएटीएफ द्वारा जारी एएमएल/सीएफटी/पीएफ पर रिपोर्ट और मार्गदर्शन नोट और समय-समय पर संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रसारित की जाने वाली कोई भी देश विशिष्ट जानकारी, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न प्रस्तावों के अधीन अपेक्षित उपायों को संस्वीकृति के अध्यधीन, स्थानीय और विधिक व्यक्तियों की अद्यतन सूची आदि का उपयोग भी किया जा सकता है।

(घ) विनियमित एंटिटी द्वारा जोखिम मूल्यांकन के परिणाम को समुचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा। प्रलेखन में उद्यम-व्यापी एएमएल/सीएफटी जोखिम मूल्यांकन, जहां भी लागू हो, एएमएल/सीएफटी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन का विवरण और एएमएल/सीएफटी जोखिम मूल्यांकन द्वारा निर्देशित नियंत्रण शामिल होना चाहिए। विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि अनुरोध पर प्राधिकरण को एमएल/टीएफ जोखिम मूल्यांकन जानकारी उपलब्ध कराई जाए। प्रलेखित जोखिम मूल्यांकन के अभिलेख इन दिशानिदेशों के अधीन निर्दिष्ट अभिलेखन प्रक्रिया की अपेक्षाओं के अनुसार रखे जाएंगे।

(ङ) जोखिम मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग एमएल/टीएफ जोखिमों को निम्न, मध्यम और उच्च रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाएगा। इस वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में बढ़े हुए उपायों को लागू करना और कम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में सरल उपायों को लागू करना है।

(च) विनियमित एंटिटी जोखिम मूल्यांकन को अद्यतन रखने के लिए, हर दो वर्ष में कम से कम एक बार या जब कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाकारी घटना होती है, जो भी पहले हो, अपने जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करेगी। अभ्यास के परिणाम को शासी निकाय या विनियमित एंटिटी की ऐसी अन्य समिति, जिसे इस संबंध में शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, को प्रस्तुत किया जाएगा।

दिशानिदेश लेख: -

विनियमित एंटिटी की एएमएल-सीएफटी अनुपालन संस्कृति में आरबीए आवश्यक आधार होना चाहिए, और इसे वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर से बाकी संगठन तक ले जाया जाना चाहिए।

अध्याय III

व्यापार जोखिम आकलन

3.1. व्यापार एएमएल जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना

विनियमित एंटिटी निम्नांकित करेगी:

(क) इसकी व्यावसायिक कार्यकलापों की प्रकृति, आकार और जटिलता को ध्यान में रखना और एमएल टीएफ जोखिमों के / क्त कदम उठानाजोखिम की पहचान करने के लिए उपयु;

(ख) एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते समय, लागू और प्रासंगिक सीमा तक निम्नलिखित जोखिम कारकों पर विचार करें: -

(i) इसके प्रकार के ग्राहक और उनकी कार्यकलापयाँ;

(ii) देशों या भौगोलिक क्षेत्रों के साथ इसका व्यावसायिक जुड़ाव;

(iii) इसके उत्पाद, सेवाएं, वितरण चैनल और कार्यकलाप

प्रोफाइल;

(iv) इसके लेन-देन की जटिलता और मात्रा;

(v) नए उत्पादों और नई व्यावसायिक प्रथाओं का

विकास, जिसमें नए वितरण तंत्र, चैनल और भागीदार शामिल हैं; तथा

(vi) नए और पहले से मौजूद दोनों उत्पादों के लिए नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों का उपयोग;

(ग) उपर्युक्त खंड (क) और (ख) में किए गए मूल्यांकन और जोखिम पहचान के आधार पर,विनियमित एंटिटी कम करने के अनुरूप उपाय करेगी।

3.2. नए उत्पाद, व्यवसाय प्रथाएं और प्रौद्योगिकियां

(क) विनियमित एंटिटी एमएल और टीएफ जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करेगी जो निम्नलिखित के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं: -

(i) नए वितरण तंत्र सहित नए उत्पादों, व्यवसाय प्रथाओं का विकास; तथा

(ii) नए और पहले से मौजूद दोनों उत्पादों के लिए नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

(ख) विनियमित एंटिटी ऐसे उत्पादों, प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों के शुभारंभ या उपयोग से पहले उपर्युक्तजोखिम मूल्यांकन अभ्यास करेगी और जोखिमों को प्रबंधित करने और कम करने के लिए उचित उपाय करेगी।

दिशानिदेश लेख: -

(1) व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकन का अभ्यास करने के प्रमुख कारणों में से एक यह है कि यह विनियमित एंटिटी को एम/टीएफ जोखिमों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करेगा और फिर एमएल/टीएफ के उद्देश्यों के लिए अपने व्यवसाय का उपयोग करने से रोकने के लिए उचित उपाय करेगा। विनियमित एंटिटी का जोखिम भिन्न-भिन्न होता है और कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि व्यवसाय की प्रकृति, ग्राहकों का प्रकार, उत्पादों की प्रकृति, सेवाओं की पेशकश, और लेन-देन और वितरण चैनल शामिल हैं।

(2) व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग विनियमित एंटिटी द्वारा एमएल/टीएफ जोखिमों के प्रति अपनी कमियों का आकलन करने और ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए किया जाना चाहिए।

(3) अध्याय IV के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके से, ग्राहक जोखिम मूल्यांकन का आकलन करते समय व्यावसायिक जोखिम मूल्यांकन के परिणाम को ध्यान में रखा जाएगा।

3.3. एएमएल/सीएफटी सिस्टम और नियंत्रण

(क) विनियमित एंटिटी द्वारा कार्यान्वित एएमएल/सीएफटी प्रणालियों और नियंत्रणों की प्रकृति और सीमा उद्यम-व्यापी एमएल/टीएफ जोखिम मूल्यांकन, जहां कहीं लागू हो, के माध्यम से पहचाने गए एमएल/टीएफ जोखिमों के अनुरूप होगी। एक विनियमित एंटिटी ऐसे एमएल/टीएफ जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों को स्थापित करेगी। जोखिम मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी का उपयोग निम्न के लिए किया जाएगा:

(i) एमएल/टीएफ को रोकने के लिए प्रभावी नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव;

(ii) सुनिश्चित करें किविनियमित एंटिटी की एएमएल/सीएफटी नीतियां, प्रक्रियाएं, प्रणालियां और नियंत्रण उपर्युक्त खंड 3.1 के अधीन पहचाने गए जोखिमों को पर्याप्त रूप से कम करते हैं;

(iii) सुनिश्चित करें कि विनियमित एंटिटी के सिस्टम और नियंत्रण:

(कक) अपने वरिष्ठ प्रबंधन को अपने एएमएल सिस्टम और नियंत्रणों के संचालन और प्रभावशीलता पर नियमित रूप से जानकारी की समीक्षा करने में सक्षम बनाने वाला प्रावधान शामिल करें;

(खख) विनियमित एंटिटी को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है:

(1) क्या ग्राहक या लाभकारी स्वामी राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) है; तथा

(2) क्या पॉलिसी का लाभार्थी, या ऐसे लाभार्थी का लाभकारी स्वामी पीईपी है, (उन मामलों में जहां यह जीवन बीमा या अन्य समान नीतियां प्रदान कर रहा है); तथा

(3) इन दिशानिदेशों और लागू एएमएल-सीएफटी विधानों का अनुपालन करने के लिए विनियमित एंटिटी को सक्षम बनाना।

(iv) सुनिश्चित करें कि नियमित जोखिम मूल्यांकन विनियमित एंटिटी की एएमएल/सीएफटी प्रणालियों और नियंत्रणों की पर्याप्तता पर किया जाता है ताकि यह ऐसे जोखिमों की पर्याप्त रूप से पहचान, मूल्यांकन, निगरानी, प्रबंधन और उन्हें कम करने में सक्षम हो सके।

(ख) एएमएल/सीएफटी नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ताकि विनियमित एंटिटी को प्रभावी ढंग से जोखिम का प्रबंधन और कम करने में सक्षम बनाया जा सके या तो प्राधिकरण या अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे अधिसूचित किया जा सके। इसके अलावा, विनियमित एंटिटी नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करेगी और यदि आवश्यक हो तो उनमें सुधार करेगी।

<u>दिशानिदेश लेख</u>

(1) विनियमित एंटिटी का एमएल/टीएफ जोखिम मूल्यांकन के भीतर एएमएल/सीएफटी संसाधनों के आवंटन के लिए गाइड के रूप में कार्य करता है।

(2) उपर्युक्त खंड (क) (iii) (खख) (2) के संदर्भ में जब कोई घटना घटित होती है, जो पॉलिसी द्वारा कवर की जाती है, जब बीमित व्यक्ति को पॉलिसी की आय का भुगतान करने की स्थिति में लाभार्थी, जिन्हें भुगतान किया जाएगा, स्थानीय व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, विधिक व्यवस्था, या व्यक्तियों की श्रेणी हो सकती है।

<u>अध्याय IV</u>

ग्राहक जोखिम आकलन

व्यावसायिक जोखिमों का आकलन करते समय पहचाने गए जोखिमों का उपयोग ग्राहक जोखिम मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। ग्राहक जोखिम मूल्यांकन मापदंडों, या अधो निर्दिष्ट प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ग्राहक जोखिम मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग ग्राहक की जोखिम रेटिंग को एमएल/टीएफ जोखिमों के अनुपात में उच्च, मध्यम या निम्न के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए किया जाएगा।

4.1. <u>ग्राहक धन शोधन विरोधी जोखिमों का आकलन</u>

(क)विनियमित एंटिटी निम्नांकित कार्य करेगी:

(i) प्रत्येक ग्राहक का जोखिम-आधारित मूल्यांकन करना; तथा

(ii) ग्राहक को एमएल/टीएफ जोखिमों के अनुपात में जोखिम रेटिंग प्रदान करना।

(ख) उपर्युक्तखंड (क) में संदर्भित ग्राहक जोखिम मूल्यांकन, नए ग्राहकों के लिए ग्राहक यथोचित कर्मठतासे पूर्व और मौजूदा ग्राहकों के लिए, जहां विनियमित एंटिटी अन्यथा आवश्यक महसूस करती है, पूरा किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्तखंड 4.1 (क) (i) के अधीन मूल्यांकन करते समय,विनियमित एंटिटी निम्नांकित करेगी:

(i) ग्राहक और लाभकारी स्वामी की पहचान, यदि कोई हो;

(ii) व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना;

(iii) ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उस पर विचार करना;

(iv) जहां भी लागू हो, ग्राहक की प्रकृति, उसके स्वामित्व, नियंत्रण संरचना और उसके लाभकारी स्वामित्व का ध्यान रखना;

(v) विनियमित एंटिटी के साथ ग्राहक के व्यावसायिक संबंधों की प्रकृति को ध्यान में रखना;

(vi) ग्राहक के मूल देश, निवास, राष्ट्रीयता, निगमन के स्थान या व्यवसाय के स्थान को ध्यान में रखना;

(vii) प्रासंगिक उत्पाद, सेवा या लेन-देन को ध्यान में रखें; तथा,

(viii) ऐसे लाभार्थी के किसी भी लाभकारी स्वामी, यदि वह ग्राहक को जीवन बीमा या अन्य समान पॉलिसी प्रदान कर रहा है, सहित पॉलिसी के लाभार्थी को ध्यान में रखना।

4.2. **<u>कारक जो उच्च एमएल/टीएफ जोखिम दर्शाते हैं</u>**

यह आकलन करते समय कि किसी विशेष स्थिति में एमएल/टीएफ का उच्च जोखिम है या नहीं, विनियमित एंटिटी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी:

(क) <u>ग्राहक जोखिम</u>

(i) क्या ग्राहक उच्च जोखिम वाले व्यवसायों / कार्यकलापों / क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों से हैं जिनकी इसके द्वारा पहचान की जाएगी;

(ii) क्या विधिक व्यक्ति या विधि व्यवस्था की स्वामित्व संरचना असामान्य या अत्यधिक जटिल प्रतीत होती है;

(iii) क्या व्यावसायिक संबंध असामान्य परिस्थितियों (उदाहरण के लिए,विनियमित एंटिटी और ग्राहक के मध्य महत्वपूर्ण अस्पष्टीकृत भौगोलिक दूरी) में संचालित होते हैं;

(iv) क्या कंपनियों के पास नामित शेयरधारक हैं या वाहक के रूप में शेयर हैं;

(v) क्या विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था व्यक्तिगत संपत्ति रखने वाले वाहन हैं; तथा,

(vi) क्या व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए ग्राहक की कारपोरेट संरचना असामान्य या अत्यधिक जटिल है।

(ख) <u>देश या भौगोलिक जोखिम</u>

(i) क्याविनियमित एंटिटी जिन देशों या क्षेत्राधिकारों के संपर्क में है, या तो अपनी कार्यकलापों के माध्यम से (जहां इसकी शाखाएं और सहायक कंपनियां संचालित होती हैं) या उनके ग्राहकों की कार्यकलाप (संपर्की खाता संबंधों के विनियमित एंटिटी के नेटवर्क सहित) अपेक्षाकृत अधिक हैं एफएटीएफ द्वारा पहचाने गए भ्रष्टाचार के स्तर, संगठित अपराध या अपर्याप्त ईमएल/सीएफटी उपाय;

(ii) क्या किसी विश्वसनीय निकाय द्वारा देशों या क्षेत्राधिकारों की पहचान भ्रष्टाचार, आतंकवाद के वित्तपोषण या अन्य आपराधिक कार्यकलापों के महत्वपूर्ण स्तर के रूप में की जाती है;

(iii) क्या देशों या क्षेत्राधिकारों की पहचान विश्वसनीय स्रोतों द्वारा की जाती है, जैसे कि पर्याप्त एएमएल/सीएफटी सिस्टम नहीं होने के कारण आपसी मूल्यांकन या विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट या प्रकाशित अनुवर्ती रिपोर्ट;

(iv) क्या देशों या क्षेत्राधिकारों में एमएल/टीएफ का मुकाबला करने के लिए प्रभावी प्रणाली नहीं है; या एफएटीएफ अनुशंसाओं के अनुरूप एएमएल/सीएफटी उपायों को लागू नहीं करना;

(v) क्या देश या क्षेत्राधिकार अंतरराष्ट्रीय संगठनों या भारत द्वारा जारी प्रतिबंधों, प्रतिबंधों या इसी तरह के उपायों के अधीन हैं;

(vi) क्या देश या क्षेत्राधिकार आतंकवाद का वित्तपोषण या समर्थन कर रहे हैं; तथा,

(vii) क्या देशों या क्षेत्राधिकारों में ऐसे संगठन जिन्हें भारत, अन्य देशों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया गया है, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

(ग) <u>उत्पाद, सेवा, लेन-देन या वितरण चैनल जोखिम कारक</u>

(i) क्या सेवा में निजी बैंकिंग शामिल है;

(ii) क्या उत्पाद, सेवा या लेन-देन वह है जो गुमनामी का पक्ष ले सकता है;

(iii) क्या स्थिति में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना रुबरू व्यापार संबंध या लेन-देन शामिल हैं;

(iv) क्या प्राप्त भुगतान अज्ञात या असंबद्ध तृतीय पक्षों से हैं;

(v) क्या प्रस्तावित सेवाएं नामांकित निदेशकों, नामित शेयरधारकों या किसी अन्य देश में कंपनियों के गठन के संबंध में हैं; तथा

(vi) क्या कोई गुमनाम लेन-देन है या कोई लेन-देन है जिसमें बार-बार भुगतान शामिल है, जो अज्ञात या असंबद्ध तृतीय पक्षों से प्राप्त होता है।

जोखिम कारकों का आकलन करते समय,विनियमित एंटिटी यह ध्यान में रखते हुए समग्र जोखिम की जांच करेगी कि अकेले एक या अधिक जोखिम कारकों की उपस्थिति हमेशा किसी विशेष स्थिति में एमएल/टीएफ के उच्च जोखिम का संकेत नहीं दे सकती है।

4.3. <u>कारक जो कम एमएल/टीएफ जोखिम दर्शाएंगे</u>

किसी विशेष स्थिति में एमएल/टीएफ का कम जोखिम है या नहीं, इसका आकलन करते समय, विनियमित एंटिटी को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए:

(क) ग्राहक जोखिम कारकों सहित, जिसमें ग्राहक निम्नांकित है नहीं:

(i) सरकारी एंटिटी;

(ii) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां और प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अध्यधीन (या तो स्टॉक एक्सचेंज नियमों द्वारा या विधि या प्रवर्तनीय माध्यमों द्वारा), जो लाभकारी स्वामित्व की पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षाओं को लागू करती हैं।

(iii) भारत के बाहर निगमित या स्थापित विनियमित वित्तीय संस्थान जो एफएटीएफ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप एएमएल/सीएफटी अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्यधीन और पर्यवेक्षणाधीन हैं।

(iv) उपर्युक्तउप-खंड (iii) में संदर्भित विनियमित वित्तीय संस्थान की सहायक,कंपनी यदि मूल एंटिटी पर लागू होने वाला कानून यह सुनिश्चित करता है कि सहायक भी अपनी मूल एंटिटी के समान एएमएल मानकों का पालन करता है;

(v) किसी सार्वजनिक निकाय या सार्वजनिक स्वामित्व वाला उद्यम;

(vi) कम जोखिम वाले भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित या पंजीकृत निवासी;

(ख) उत्पाद, सेवा, लेन-देन या वितरण चैनल जोखिम कारक, जिसमें उत्पाद या सेवा शामिल है:

(i) बीमा का अनुबंध जो गैर-जीवन बीमा है;

(ii) बीमा का एक अनुबंध जो एक जीवन बीमा उत्पाद है जिसमें कोई निवेश वापसी या मोचन या समर्पण मूल्य नहीं है;

(iii) एक पेंशन योजना के लिए एक बीमा पॉलिसी जो प्रारंभिक समर्पण विकल्प प्रदान नहीं करती है और संपार्श्विक के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती है;

(iv) बीमा का एक अनुबंध जो एक पुनर्बीमा अनुबंध है जो एक बीमाकर्ता द्वारा दिया जाता है जो एक विनियमित वित्तीय संस्थान है;

(v) एक पेंशन, सेवानिवृत्ति या इसी तरह की योजना जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

(कक) योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है;

(खख) योजना में योगदान मजदूरी से कटौती के माध्यम से किया जाता है; तथा

(गग) योजना के नियम किसी सदस्य के हित के असाइनमेंट की अनुमति नहीं देते हैं।

(vi) ऐसा उत्पाद जहां एमएल/टीएफ जोखिम अन्य कारकों जैसे लेन-देन की सीमा या स्वामित्व की पारदर्शिता द्वारा पर्याप्त रूप से प्रबंधित किया जाता है; तथा

(vii) वित्तीय उत्पाद या सेवाएं जो कुछ प्रकार के ग्राहकों को उचित रूप से परिभाषित और सीमित सेवाएं (उदाहरण के लिए, वित्तीय समावेशन उद्देश्यों के लिए ग्राहकों की पहुंच बढ़ाने के लिए) प्रदान करती हैं।

जोखिम कारकों का आकलन करते समय, विनियमित एंटिटी यह ध्यान में रखते हुए समग्र जोखिमों की जांच करेगी कि अकेले एक या अधिक जोखिम कारकों की उपस्थिति हमेशा किसी विशेष स्थिति में एमएल/टीएफ का कम जोखिम का संकेत तो नहीं दे रही है।

4.4. <u>निम्नलिखित मामलों में व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं होने चाहिए:</u>

विनियमित एंटिटी निम्नलिखित मामलों में ग्राहक, जो विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था है, के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं करेगी:-

(क) जहां ग्राहक का स्वामित्व या नियंत्रण व्यवस्था विनियमित एंटिटी को ग्राहक के एक या अधिक लाभकारी स्वामियों की पहचान करने से रोकती है;

(ख) जहां गुमनाम खाते हैं, फर्जी नामों में खाते हैं, या नामित खाता है जो किसी व्यक्ति के नाम पर है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए नियंत्रित या धारित है, जिसकी पहचानविनियमित एंटिटी को नहीं बताई गई है ; या

(ग) फर्जी वित्तीय संस्थान।

<u>ग्राहक जोखिम मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन नोट</u>

(1) जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रत्येक ग्राहक को एक उपयुक्त जोखिम रेटिंग आवंटित करने के लिए विनियमित एंटिटी की आवश्यकता होती है। जोखिम रेटिंग वर्णनात्मक होनी चाहिए, जैसे "निम्न", "मध्यम" या "उच्च"। एमएल/टीएफ जोखिम मूल्यांकन का परिणाम ग्राहक यथोचित कर्मठता की डिग्री तय करता है जिसे निष्पादित करने की आवश्यकता है। उच्च जोखिम वाले ग्राहक के लिए, विनियमित एंटिटी सामान्य सीडीडी के अतिरिक्त उन्नत सीडीडी उपाय करेगी। कम जोखिम वाले ग्राहक के लिए, विनियमित एंटिटी सरलीकृत सीडीडी कर सकती है। किसी अन्य ग्राहक के लिए,विनियमित एंटिटी सामान्य सीडीडी कर सकती है।

(2) जहां सीडीडी के हिस्से के रूप में प्राप्त जानकारी ग्राहक की जोखिम रेटिंग को बदल देती है, ऐसे परिवर्तन को उसके सीडीडी में दर्शाया जाना चाहिए

अध्याय-V

ग्राहक यथोचित कर्मठता

5.1. विनियमित एंटिटी प्रत्येक ग्राहक को उनके एएमएल/सीएफटी जोखिमों के अनुपात में जोखिम रेटिंग प्रदान करने के बाद, ग्राहक से उचित सावधानी बरतेंगी। सीडीडी का कार्य करते समय, विनियमित एंटिटी निम्नांकित संपन्न करेगी :-

(i) सभी ग्राहकों के संबंध में, एएमएल/सीएफटी 5.4 के अधीन दिए गए विवरण के अनुसार ग्राहक उचित सावधानी उपाय अपनाना;

(ii) ग्राहक जिसे 'उच्च जोखिम' सौंपा गया है, के संबंध में खंड 5.4 के अधीन विस्तृत सीडीडी उपायों के अलावा, खंड 5.6 के अधीन विस्तृत ग्राहक यथोचित कर्मठता उपायों को अपनाना; तथा,

(iii) ऐसे ग्राहक के संबंध में जिसे 'कम जोखिम' सौंपा गया है, खंड 5.4 के अधीन विस्तृत ग्राहक यथोचित कर्मठता प्रक्रिया को संशोधित करके खंड 5.7 के अधीन विस्तृत रूप से सरल ग्राहक यथोचित कर्मठताउपाय करना।

5.2. <u>सीडीडी का समय</u>

(ए) विनियमित एंटिटी खंड 5.3 और 5.4 में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, निम्नांकित में ग्राहक यथोचित कर्मठता अपनाएगी: -

(i) व्यापार संबंध स्थापित करते समय, जैसा कि खंड 5.4.1 (ए) से (सी) के अधीन अनिवार्य है; तथा,

(ii) व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के बाद, जैसा कि खंड 5.4.1 (घ) के अधीन अनिवार्य है।

(ख) विनियमित एंटिटी ग्राहक की उचित जांच भी करेगी यदि, किसी भी समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है:

(i) किसी मौजूदा ग्राहक के संबंध में, यह ग्राहक यथोचित कर्मठताके उद्देश्यों के लिए प्राप्त दस्तावेजों, डेटा या जानकारी की सत्यता या पर्याप्तता पर संदेह होता है;

(ii) इसे एमएल/टीएफ का संदेह होता है; या,

(iii) ग्राहक की जोखिम-रेटिंग में परिवर्तन होता है, या ग्राहक की परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन के कारण यह अन्यथा आवश्यक होता है।

5.3. सत्यापन से पहले व्यावसायिक संबंध स्थापित करना

(क) विनियमित एंटिटी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन, खंड 5.4.1 के अधीन आवश्यक सत्यापन पूरा करने से पहले ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित कर सकती है:

(i) ग्राहक या लाभकारी स्वामी के सत्यापन के पूरा होने का आस्थगन आवश्यक है ताकि व्यापार संबंध के सामान्य आचरण को बाधित न हो;

(ii) एमएल/टीएफ कार्यकलाप के घटित होने का कम जोखिम है और पहचाने गए ऐसे किसी भी जोखिम को विनियमित एंटिटी द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है;

(iii) बैंक खाता खोलने के संबंध में, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं कि खाता बंद नहीं है, और सत्यापन पूरा होने से पहले खाता धारक द्वारा या उसकी ओर से (धारक के खाते से किसी खाते में किसी भी भुगतान सहित) लेन-देन नहीं किया गया है); तथा

(iv) नीचे दिए गए खंड 5.3 (ख) के अधीन, प्रासंगिक सत्यापन यथा संभव जल्द से जल्द पूरा हो गया है और ऐसा किसी भी स्थिति में, व्यावसायिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 व्यावसायिक दिनों से अधिक देरी नहीं होना चाहिए।

(ख) जहां विनियमित एंटिटी 30-दिन की आवश्यकता का अनुपालन करने में सक्षम नहीं है, वह 30-दिन की अवधि के अंत से पहले निम्नांकित संपन्न करेगी:

(i) इसके गैर-अनुपालन के कारण का दस्तावेजीकरण;

(ii) जल्द से जल्द सत्यापन पूरा करना; तथा

(iii) अपने शासी निकाय को रिपोर्ट करने के लिए गैर-

अनुपालन घटना को अभिलेख करना।

(ग) विनियमित एंटिटी ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंधों को निलंबित कर देगी और यदि ऐसा सत्यापन व्यावसायिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 दिनों तक अधूरा रहता है, आगे के लेन-देन (उनके स्रोतों को धन वापस करने के अलावा, जहां तक संभव हो) करने से परहेज करेगी। .

(घ) यदि व्यावसायिक संबंध स्थापित होने के बाद 120 दिनों तक ऐसा सत्यापन अधूरा रहता है, तो विनियमित एंटिटी ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध समाप्त कर देगी।

(ङ) विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके एएमएल/सीएफटी सिस्टम और ऊपर **खंड** 3.3 में संदर्भित नियंत्रणों में आंतरिक जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसके अधीन सत्यापन पूरा करने से पहले ग्राहक के साथ ऐसे व्यावसायिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और यह अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों में उपर्युक्त समय-सीमा का कारक भी होना चाहिए।

<u>दिशानिदेश लेख:</u> -

(1) उन स्थितियों के उदाहरण जो विनियमित एंटिटी को पहले प्राप्त किए गए दस्तावेजों, डेटा या जानकारी की सत्यता या पर्याप्तता के बारे में संदेह करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, हो सकता है कि उस ग्राहक के संबंध में एमएल / टीएफ का संदेह हो, या जहां ग्राहक के खाते के संचालन के तरीके में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो ग्राहक की व्यावसायिक प्रोफ़ाइल के अनुरूप नहीं है, या जहां विनियमित एंटिटी को यह प्रतीत होता है कि ग्राहक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वास्तविक ग्राहक है।

(2) उन परिस्थितियों के उदाहरण जहां व्यापार संबंध की स्थापना के बाद सत्यापन को पूरा करने की अनुमति होगी, क्योंकि व्यवसाय के सामान्य संचालन को बाधित नहीं करना आवश्यक होगा, इसमें निम्नांकित शामिल हो सकते हैं:

(i) बेरुबरू व्यवसाय।

(ii) प्रतिभूति लेन-देन।

प्रतिभूति बाजार में, कंपनियों और मध्यस्थों को बाजार की स्थितियों के आधार पर बिना देरी के लेन-देन करने की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसी परिस्थितियों में, पहचान के सत्यापन के पूरा होने से पहले लेन-देन के निष्पादन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी ही परिस्थितियां हो सकती हैं जहां ग्राहक तत्काल बीमा कवर की मांग करता है।

(3) यदि विनियमित एंटिटी खंड 5.4 के अधीन अपेक्षित ग्राहक यथोचित कर्मठता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो वह किसी भी ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध शुरू या जारी नहीं रखेगी या किसी भी ग्राहक के लिए कोई लेनदेन नहीं करेगी। निर्धारित समय सीमा में ग्राहक की उचित सावधानी को पूरा करने में विफलता के मामले में, विनियमित एंटिटी खंड 5.10 के तहत निर्दिष्ट उचित उपाय लागू करेगी। यदि परिस्थितियाँ संदिग्ध हों तो विनियमित एंटिटी एसटीआर दाखिल करने पर भी विचार करेगी।

(4) विनियमित एंटिटी खंड 5.3 के अधीन निर्दिष्ट मामलों में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को भी अपनाएगी। इन प्रक्रियाओं में उपायों का एक सेट, जैसे कि संख्या, प्रकार और/या लेनदेन के मूल्य की सीमा शामिल होगा, जिसे निष्पादित किया जा सकता है। प्रक्रियाओं में उस प्रकार के संबंध के लिए अपेक्षित मानदंडों के बाहर किए जा रहे बड़े या जटिल लेनदेन की निगरानी भी शामिल होगी। ऐसी स्थितियों में, जब तक सत्यापन पूरा नहीं हो जाता,विनियमित एंटिटी कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेगी।

5.4. ग्राहक यथोचित कर्मठता अपेक्षाएं

5.4.1 ग्राहक यथोचित कर्मठता संपन्न करना (सीडीडी)

विनियमित एंटिटी द्वारा खंड 5.1.(क) (i) के अधीन अपेक्षित ग्राहक यथोचित कर्मठता बरतने में, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे: -

(क) विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या जानकारी का उपयोग करके ग्राहक की पहचान करना और उस ग्राहक की पहचान की पुष्टि करना।

(ख) लाभकारी स्वामी की पहचान करना और लाभकारी स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के लिए उचित उपाय इस तरह से करना कि विनियमित एंटिटी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह यह जानता है कि लाभकारी स्वामी कौन है। इसी तरह, विधिक व्यक्तियों और व्यवस्थाओं के लिए, सीडीडी में विनियमित एंटिटी शामिल होगी जो ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, उसके स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझने के लिए उचित कदम उठाएगी।

(ग) व्यापार संबंधों के उद्देश्यात्मक और और इच्छित स्वरूप को समझना और उस बारे में जानकारी प्राप्त करना।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार संबंधों पर जारी समुचित कर्मठता का संचालन करना और व्यापार संबंधों के दौरान किए गए लेन-देन की जांच करना कि किए जा रहे लेन-देन ग्राहक, ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल के विनियमित एंटिटी के ज्ञान के अनुरूप हैं, जिसमें जहां आवश्यक हो, धन का स्रोत शामिल हैं।

5.4.2. ग्राहक की पहचान

(क) यदि कोई ग्राहक स्थानीय व्यक्ति है, तो विनियमित एंटिटी को

कम से कम निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करनी होगी:

(i) किसी भी उपनाम सहित पूरा नाम;

(ii) विशिष्ट पहचान संख्या (जैसे पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, आदि);

(iii) जन्म तिथि;

(iv) राष्ट्रीयता;

(v) विधिक अधिवास;

(vi) वर्तमान आवासीय पता; (डाकघर के बॉक्स पते के अलावा);

(vii) संपर्क विवरण जैसे व्यक्तिगत, कार्यालय या काम के दूरभाष नंबर।

(ख) यदि कोई ग्राहक विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था है, तो विनियमित एंटिटी कम से कम निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगी:

(i) पूरा नाम और कोई भी व्यापारिक नाम;

(ii) विशिष्ट पहचान संख्या (अर्थात, कर पहचान संख्या या समकक्ष जहां यह मौजूद है, निगमन संख्या या व्यवसाय पंजीकरण संख्या);

(iii) पंजीकृत या व्यावसायिक पता, और यदि भिन्न हो, तो इसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान;

(iv) स्थापना, निगमन या पंजीकरण की तिथि;

(v) निगमन या पंजीकरण का स्थान।

(ग) इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां ग्राहक विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था है, विनियमित एंटिटी कानूनी रूप, संविधान और शक्तियों की पहचान करेगी जो विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था को विनियमित और बाध्य करती हैं। इसके अलावा, विनियमित एंटिटी ऐसे ग्राहक के संबंधित पक्षों या संबंधित पक्षों की पहचान और संवीक्षा भी करेगी और संबंधित पक्षों को किसी भी बदलाव से अवगत रहना चाहिए। संबंधित पक्षों की पहचान के लिए, विनियमित एंटिटी प्रत्येक संबंधित या संबंधित पक्ष की कम से कम निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगी:

(i) कोई उपनाम सहित पूरा नाम; तथा

(ii) विशिष्ट पहचान संख्या (जैसे पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, आदि)।

<u>दिशानिदेश लेख:</u> -

(1) अधिवास की अवधारणा आम तौर पर उस स्थान से संदर्भित है जिसे कोई व्यक्ति अपना स्थायी घर मानता है और जिसके साथ उसके निकटतम संबंध हैं, या जो उसका मूल स्थान है।

(2) किसी अपरिचित या नए ग्राहक के साथ व्यवहार करते समय विनियमित एंटिटी को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। खंड 5.4.2 (क) के अधीन आवश्यक पहचान जानकारी प्राप्त करने के अलावा, विनियमित एंटिटी को (यदि पहले से ही इसकी खाता खोलने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्राप्त नहीं किया गया है) ग्राहक की पृष्ठभूमि पर अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए जैसे व्यवसाय, नियोक्ता का नाम, व्यापार की प्रकृति, वार्षिक आय की सीमा, एक ही विनियमित एंटिटी के साथ अन्य संबंधित खाते और क्या ग्राहक की प्रमुख सार्वजनिक स्थिति है या रखता है। इस तरह की अतिरिक्त पहचान जानकारी विनियमित एंटिटी को अपने ग्राहक की जोखिम रूपरेखा के साथ-साथ खाते के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

(3) संबंधित पक्षों या संबद्ध पक्षों की पहचान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों या डेटाबेस जैसे कंपनी पंजिकाओं, वार्षिक रिपोर्ट का उपयोग करके की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित जानकारी पर आधारित हो सकता है।

5.4.3. <u>ग्राहक की पहचान का सत्यापन</u>

(क) विनियमित एंटिटी विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत डेटा, दस्तावेजों या जानकारी का उपयोग करके ग्राहक की पहचान को सत्यापित करेगी। जहां ग्राहक विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था है,विनियमित एंटिटी विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत डेटा, दस्तावेजों या जानकारी का उपयोग करके कानूनी रूप, अस्तित्व का प्रमाण, संविधान और ग्राहक को विनियमित और बाध्य करने वाली शक्तियों का सत्यापन करेगी।

(ख) दस्तावेजों पर भरोसा करते समय, विनियमित एंटिटी को पता होना चाहिए कि ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए सबसे विश्वसनीय दस्तावेज वे हैं जिन्हें अवैध रूप से या नकली प्राप्त करना सबसे कठिन है। इनमें सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र या वर्तमान वैध पासपोर्ट, स्वतंत्र कंपनी रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट, प्रकाशित या लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट और सूचना के अन्य विश्वसनीय स्रोत शामिल हो सकते हैं। सत्यापन प्रक्रिया की कठोरता ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप होनी चाहिए।

(ग) ग्राहक की पहचान सत्यापित करने में, विनियमित एंटिटी निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त कर सकती है:

स्थानीय व्यक्तियों के मामले में -

(i) इन दिशानिदेशों के अधीन निर्दिष्ट कोई भी ओवीडी जिसमें ग्राहक की तस्वीर, नाम, विशिष्ट पहचान संख्या, जन्म तिथि और राष्ट्रीयता शामिल हो; तथा

(ii) ओवीडी या हालिया उपयोगिता बिल, बैंक स्टेटमेंट या ओवीडी की परिभाषा के अधीन निर्दिष्ट ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर आवासीय पता।

<u>विधिक व्यक्तियों या विधिक व्यवस्था के मामले में-</u>

(i) **<u>नाम, विधिक रूप, अस्तित्व और संविधान का प्रमाण</u>:** - इसके लिए सत्यापन निगमन प्रमाण पत्र, अच्छी स्थिति का प्रमाण पत्र, साझेदारी विलेख/समझौता, ट्रस्ट डीड, संवैधानिक दस्तावेज, पंजीकरण प्रमाण पत्र या किसी अन्य विश्वसनीय स्वतंत्र स्रोत से प्राप्त किया गया दस्तावेज़; तथा

(ii) **<u>विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था को विनियमित और बाध्य करने वाली शक्तियां:</u>** - इसे संवैधानिक दस्तावेजों के साथ-साथ ही विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था और बोर्ड के संकल्प वरिष्ठ प्रबंधन पदासीन संबंधित व्यक्तियों के नाम या खाता खोलने और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की नियुक्ति को अधिकृत करने वाले समान दस्तावेज से पता लगाया जा सकता है।

<u>दिशानिदेश लेख:</u> -

(1) ऐसे मामलों में जहां ग्राहक स्थानीय व्यक्ति है, विनियमित एंटिटी उस ओवीडी को प्राप्त करेगी जिसमें उस ग्राहक की स्पष्ट तस्वीर होगी।

(2) ऐसे मामलों में जहां ग्राहक विदेशी नागरिक है, फोटोग्राफ, नाम, जन्म तिथि और पते को कैप्चर करने के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार की सरकार या उनके द्वारा अधिकृत अभिकरणों द्वारा जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र, जो भी नाम से ज्ञात हो, ओवीडी माना जाएगा। ऐसे मामले में जहां ग्राहक भारतीय नागरिक है, ओवीडी में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर होने का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र आदि शामिल होंगे, जैसा कि नियमों के अधीन निर्धारित किया गया है (अधिक विस्तृत समझ के लिए, ओवीडी की परिभाषा देखें)। ग्राहक सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ओवीडी के समकक्ष ई-दस्तावेजों को भी विनियमित एंटिटी द्वारा मूल दस्तावेज माना जाएगा।

(3) ऐसे मामलों में जहां सरलीकृत उपायों के अलावा अन्य लागू होते हैं, ग्राहक खंड.1.3.30 के तीसरे उपबंध में निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने के तीन महीने के ऊपर की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ अद्यतन ओवीडी या उनके समकक्ष ई-दस्तावेज जमा करेगा।

स्पष्टीकरण: - उन ग्राहकों के लिए जिनके लिए सरलीकृत उपाय लागू नहीं होते हैं, पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता विवरण या विदेशी बैंक का विवरण ओवीडी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(4) विभिन्न ग्राहकों (विधिक व्यक्तियों या विधिक व्यवस्थाओं सहित) के लिए सीडीडी करते समय, विनियमित एंटिटी को इन दिशानिदेशों के अधीन आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए। ऑनबोर्डिंग ग्राहकों के लिए प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं और दस्तावेजों की निदर्शी सूची इन दिशानिदेशों के ***अनुबंध-I*** में निर्दिष्ट है।

(5) इसके अलावा, भारतीय नागरिकों को ऑनबोर्ड करने के लिए,विनियमित एंटिटी इन दिशानिदेशों के ***अनुबंध-II*** के अधीन निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन कर सकती है।

(6) विनियमित एंटिटी को मूल पहचान दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और उसकी प्रति अपने पास रखनी चाहिए। हालांकि, खंड 5.4.1 के अनुपालन में, (अर्थात, ग्राहक को उचित सावधानी बरतने के लिए), कभी-कभी, यदि कोई ग्राहक प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, या ग्राहक के लिए सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज जमा करना संभव नहीं हो सकता है (उदाहरण के लिए, ऐसी स्थितियों में जहां विनियमित एंटिटी का ग्राहक के साथ कोई भौतिक संपर्क नहीं है या ग्राहक की ऑनबोर्डिंग बेरुबरू मोड के माध्यम से की जाती है),विनियमित एंटिटी को उस दस्तावेज़ की प्रति प्राप्त करनी चाहिए जो 'स्वच्छ प्रति' होने के लिए प्रमाणित हो और ऐसा प्रमाणीकरण इन दिशानिदेशों के खंड 1.3.7 में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(7) विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि सीडीडी करने के लिए प्राप्त दस्तावेज, जैसा कि इन दिशानिदेशों के अधीन आवश्यक है, स्पष्ट और सुपाठ्य हैं। यह ग्राहक की पहचान की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन स्थितियों में जहां व्यावसायिक संबंध स्थापित होते हैं।

(8) उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को छोड़कर, सत्यापन के निम्नलिखित तरीके को भी खंड 5.4.3 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है: -

(i) किसी आधिकारिक स्रोत (जैसे नियामक या अन्य आधिकारिक सरकारी वेबसाइट) से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी को डाउनलोड करना;

(ii) एक प्रतिष्ठित कंपनी से प्राप्त सीडीडी सूचना और शोध या इंटरनेट और वाणिज्यिक डेटाबेस पर मिली विश्वसनीय और स्वतंत्र सार्वजनिक जानकारी से प्राप्त जानकारी, बशर्ते कि वाणिज्यिक डेटाबेस को इस तरह के उद्देश्य के लिए घरेलू नियामक, यदि कोई हो, द्वारा मान्यता प्राप्त है। .

(9) जहां विनियमित एंटिटी ग्राहक या किसी तीसरे पक्ष से डेटा, दस्तावेज या जानकारी प्राप्त करती है, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा डेटा, दस्तावेज या जानकारी अद्यतित है।

(10) जहां ग्राहक को उच्च-जोखिम के रूप में दर्जा दिया गया है, पहचान की जानकारी को सार्वजनिक और गैर-सार्वजनिक दोनों स्रोतों का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाएगा।

5.4.4. <u>ग्राहक की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त स्थानीय व्यक्ति की पहचान की पहचान और सत्यापन</u>

(क) जहां ग्राहक स्थानीय व्यक्ति या विधिक व्यक्ति है, और एक या एक से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को विनियमित एंटिटी के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए अपनी ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है,विनियमित एंटिटी प्रत्येक स्थानीय व्यक्ति की पहचान करेगी जो कार्य करता है या कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है उपर्युक्त खंड 5.4.2 में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त करके ऐसे स्थानीय या विधिक व्यक्ति की ओर से।

(ख) इसके अलावा, विनियमित एंटिटी विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत डेटा, दस्तावेजों या जानकारी का उपयोग करके ऐसे प्रत्येक स्थानीय व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करेगी। इसके अलावा, विनियमित एंटिटी कम से कम निम्नलिखित प्राप्त करके ग्राहक की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त प्रत्येक स्थानीय व्यक्ति के प्राधिकरण को सत्यापित करेगी:

(i) ग्राहक द्वारा अपनी ओर से कार्य करने के लिए ऐसे स्थानीय व्यक्ति की नियुक्ति को अधिकृत करने वाले उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी, शासी निकाय द्वारा पारित संकल्प या उसकी ओर से लेन-देन के लिए दिया गया प्राधिकरण शामिल हो सकता है।

(ii) जहां ग्राहक की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त स्थानीय व्यक्तियों की लंबी सूची है (उदाहरण के लिए, 10 से अधिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं वाली सूची),विनियमित एंटिटी उन स्थानीय व्यक्तियों का सत्यापन करेगी जो सीधे विनियमित एंटिटी से निपटेंगे।

5.4.5. लाभार्थी स्वामियों की पहचान की पहचान और सत्यापन

जहां एक ग्राहक के संबंध में एक या एक से अधिक लाभकारी स्वामी हैं,विनियमित एंटिटी लाभार्थी स्वामियों की पहचान करेगी और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त प्रासंगिक जानकारी या डेटा का उपयोग करके उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए उचित उपाय करेगी।

लाभकारी स्वामी की पहचान और सत्यापन के लिए,विनियमित एंटिटी को निम्नलिखित के संबंध में विचार करना चाहिए:

(क) <u>ग्राहक जो विधिक व्यक्ति हैं</u>

(i) स्वामित्व के माध्यम से विधिक व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले स्थानीय व्यक्ति (व्यक्तियों) (चाहे अकेले या एक साथ कार्य कर रहे हों) जो अंततः विधिक व्यक्ति का स्वामी है की पहचान या;

(ii) जहां तक इस बात पर संदेह है कि क्या स्थानीय व्यक्ति जो अंततः विधिक व्यक्ति के स्वामी हैं, लाभकारी स्वामी हैं या जहां कोई भी स्थानीय व्यक्ति अंततः विधिक व्यक्ति का स्वामी नहीं है, उस स्थानीय व्यक्ति (व्यक्तियों) (यदि कोई हो) की पहचान करें जो अंततः विधिक व्यक्ति को नियंत्रित करेंगे या विधिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखेंगे।

(ख) <u>ग्राहक जो विधिक व्यवस्था हैं</u>

(i) जहां ग्राहक एक ट्रस्ट है, लाभकारी स्वामी (ओं) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक हित धारक लाभार्थी या ट्रस्ट में अधिक हित और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाले किसी भी अन्य स्थानीय व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।

(ii) अन्य सभी प्रकार की विधिक व्यवस्थाओं में, विनियमित एंटिटी समकक्ष या समान पदों पर व्यक्तियों की पहचान करेगी।

5.4.6. <u>लाभार्थी स्वामियों की पहचान की पहचान करने और सत्यापित करने के लिए पैरामीटर</u>: -

(क) जहां ग्राहक एक कंपनी है, लाभकारी स्वामी स्थानीय व्यक्ति है, वह चहे अकेले या किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से नियंत्रित स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य साधन के माध्यम से नियंत्रण रखता है।

स्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अभिप्राय कंपनी के शेयरों या पूंजी या मुनाफे का पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या अधिकार है;

(ii) "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं;

(ख) जहां ग्राहक साझेदारी फर्म है, लाभकारी स्वामी स्थानीय व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ काम कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से उसके पास पंद्रह प्रतिशत साझेदारी की पूंजी या मुनाफे का स्वामित्व / अधिकार है;

(ग) जहां ग्राहक अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय है, लाभकारी स्वामी स्थानीय व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है, जिसके पास अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ का पंद्रह प्रतिशत से अधिक स्वामित्व या अधिकार है।

स्पष्टीकरण: 'व्यक्तियों के निकाय' शब्द में समाज शामिल हैं। जहां ऊपर (क) से (ग) के अधीन किसी भी स्थानीय व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, लाभकारी स्वामी प्रासंगिक स्थानीय व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है।

(घ) जहां ग्राहक एक ट्रस्ट है, लाभकारी स्वामी(ओं) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक रुचि और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाले किसी भी अन्य स्थानीय व्यक्ति के साथ लाभार्थियों की पहचान शामिल होगी।

5.4.7. नियमों के नियम 9(3)(च) के अनुसार, जब तक कि विनियमित एंटिटी को सीडीडी जानकारी की सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं है या यह कि ग्राहक एमएल/टीएफ से जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक इसे निम्नलिखित में से किसी शेयरधारक या ग्राहक के लाभकारी स्वामी की पहचान को सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी -

जहां ग्राहक या नियंत्रक हित का स्वामी भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एंटिटी है, या यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार में निवासी एंटिटी है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे क्षेत्राधिकार में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, या यह ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं और ऐसी अन्य संस्थाओं की सहायक कंपनी है जिन्हें अधिनियम और नियमों के अधीन ग्राहक के लाभकारी स्वामियों की पहचान करने और सत्यापित करने की अपेक्षाओं से बाहर रखा गया है।

5.4.8. नियमों के नियम 9(1)(ख) के उपबंधों के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां कोई ग्राहक भारत में निगमित कंपनी की निक्षेपागार रसीदों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार में जारी या सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की सदस्यता ले रहा है या उनके साथ कार्य कर रहा है, और यह लाभकारी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है जो ऐसे क्षेत्राधिकार का निवासी है, ऐसे लाभकारी स्वामी का निर्धारण, पहचान और सत्यापन, ऐसे क्षेत्राधिकार के मानदंडों के अनुसार होगा और उप-नियम (3) से (9) में कुछ भी नहीं होगा। नियमों के नियम 9 के ऐसे लाभार्थी स्वामी के यथोचित कर्मठता के लिए लागू होंगे।

<u>दिशानिदेश लेख</u>: -

(1) विधिक व्यक्ति का खाता खोलने के लिए, जो स्थानीय व्यक्ति नहीं है, विनियमित एंटिटी को लाभकारी स्वामी की पहचान करनी होगी और नियमों के नियम 9 के उप-नियम (3) के अनुसार उसकी पहचान को सत्यापित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगी।

(2) विनियमित एंटिटी, लाभकारी स्वामी की पहचान और उससे संबंधित जानकारी पर ग्राहक से वचन-पत्र या घोषणा-पत्र प्राप्त करने पर भी विचार कर सकती है।

(3) इस तरह के उपक्रम या घोषणा-पत्र को प्राप्त करने के बावजूद, विनियमित एंटिटी लाभकारी स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के लिए उचित उपाय, उदाहरण के लिए लाभार्थी पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर शोध करना ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए उपक्रम या घोषणा की पुष्टि करने के लिए, लाभकारी स्वामी के साथ रूबरू बैठक की व्यवस्था करना करने के लिए दिशानिदेशों के अधीन दायित्वों का पालन करने के प्रति उत्तरदायी है।

(4) जहां ग्राहक स्थानीय व्यक्ति नहीं है और जटिल स्वामित्व या नियंत्रण संरचना है,विनियमित एंटिटी को पर्याप्त रूप से यह समझने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि क्या ऐसे स्वामित्व या नियंत्रण संरचना के वैध कारण हैं अथवा नहीं।

(5) जहां विनियमित एंटिटी ने सभी संभव साधनों को समाप्त कर दिया है, लेकिन खंड 5.4.5 के अधीन लाभार्थी स्वामियों की पहचान करने में सक्षम नहीं है, यह उक्त विधिक व्यक्ति के वरिष्ठ प्रबंधन या विधिक व्यवस्था को लाभकारी स्वामी के रूप में मानेगा।

हालांकि, ऐसे मामलों में, विनियमित एंटिटी ऐसे विधिक व्यक्तियों या विधिक व्यवस्था के लाभार्थी स्वामियों की पहचान करने के लिए की गई सभी कार्रवाइयों का अभिलेख रखेगी।

(6) यदि किसी ग्राहक का स्वामित्व या नियंत्रण व्यवस्था इस प्रकार की है कि विनियमित एंटिटी को लाभार्थी स्वामियों की पहचान करने से रोका जाता है, तो विनियमित एंटिटी 4.4 के खंड (क) के अधीन ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं करेगी।

(7) उपर्युक्त खंड 5.4.7 और खंड 5.4.8 के संबंध में, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार इस प्रकार हैं: -

(i) संयुक्त राज्य अमेरिका

(ii) जापान

(iii) दक्षिण कोरिया

(iv) ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्रों को छोड़कर यूनाइटेड किंगडम

(v) फ्रांस

(vi) जर्मनी

(vii) कनाडा

(8) जहां ग्राहक स्थानीय व्यक्ति नहीं है, वहां खाता खोलने से पहले विनियमित एंटिटी ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, उसके स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझ लेगी।

5.4.9. <u>जीवन बीमा पॉलिसी के लाभार्थी की पहचान और सत्यापन</u>

जैसे ही लाभार्थी(यों) की पहचान/नामित किया जाएगा, जीवन या अन्य निवेश-संबंधी बीमा व्यवसाय के लिए, विनियमित एंटिटी , ग्राहक और लाभकारी स्वामी के लिए आवश्यक सीडीडी उपायों के अलावा, जीवन बीमा और अन्य निवेश संबंधी बीमा पॉलिसियों के लाभार्थी(यों) पर निम्नलिखित सीडीडी उपायों का संचालन करेगी:

(i) जैसे ही विनियमित एंटिटी किसी जीवन पॉलिसी के लाभार्थी की पहचान विशेष रूप से नामित स्थानीय व्यक्ति, विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था के रूप में करेगी, वह ऐसे लाभार्थी के किसी उपनाम सहित पूरा नाम प्राप्त करेगी;

(ii) वे लाभार्थी जो विशेषताओं या वर्ग द्वारा (जैसे, बीमित घटना के समय पति या पत्नी या बच्चे) या अन्य माध्यमों से (जैसे, एक वसीयत के अधीन) अभिनिदेशित हैं, विनियमित एंटिटी लाभार्थी(यों) के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेगी ताकि वह भुगतान के समय लाभार्थी(यों) की पहचान स्थापित करने में सक्षम हो सके।

<u>दिशानिदेश लेख:</u> -

(1) उपर्युक्त खंड 5.4.9 के (i) और (ii) में संदर्भित दोनों मामलों के लिए, भुगतान के समय लाभार्थी(यों) की पहचान को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(2) उपर्युक्त खंड 5.4.9 के (i) और (ii) के अधीन एकत्र की गई जानकारी को इन दिशानिदेशों के अधीन अभिलेखन अपेक्षाओं के अनुसार अभिलेखित और परिरक्षित किया जाना चाहिए।

(3) विनियमित एंटिटी द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी के लाभार्थी को यह निर्धारित करने में प्रासंगिक जोखिम कारक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए कि संवर्धित सीडीडी उपाय लागू हैं या नहीं। यदि विनियमित एंटिटी यह निर्धारित करती है कि लाभार्थी जो विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था है उच्च जोखिम प्रस्तुत करते हैं, तो उसे उन्नत सीडीडी उपायों में पेआउट के समय लाभार्थी के लाभकारी स्वामी की पहचान का पता लगाने और सत्यापित करने के लिए उचित उपाय शामिल करने चाहिए। .

5.4.10. <u>व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी</u>

(क) विनियमित एंटिटी , व्यावसायिक संबंध स्थापित करते समय, समझेगी और यथा-समुचित, ग्राहक से व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी।

(ख) विनियमित एंटिटी द्वारा किए गए उपाय व्यापार संबंधों के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति को समझने के लिए जोखिम प्रोफ़ाइल और ग्राहक के व्यवसाय की जटिलता के अनुरूप होने चाहिए।

5.5. <u>राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के खाते</u>

(क) विनियमित एंटिटी यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करेगी कि क्या ग्राहक या ग्राहक की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त कोई स्थानीय व्यक्ति, या ग्राहक का कोई लाभकारी स्वामी राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति (पीईपी) है। या जीवन बीमा या अन्य समान पॉलिसी के मामले में, यदि पॉलिसी का लाभार्थी, या लाभार्थी का लाभकारी स्वामी पीईपी है।

(ख) विनियमित एंटिटी, जहां विनियमित एंटिटी द्वारा ग्राहक या ग्राहक का कोई लाभकारी स्वामी या जीवन बीमा या अन्य समान पॉलिसी का लाभार्थी, या लाभार्थी का लाभकारी स्वामी पीईपी होने के लिए निर्धारित किया जाएगा, सीडीडी उपायों के अलावा, कम से कम निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय करेगी:

(i) परिवार के सदस्यों, किसी लाभकारी स्वामी और निकटवर्ती संबंधियों के धन और आय के स्रोत के बारे में जानकारी सहित पर्याप्त जानकारी समुचित और तर्कसंगत माध्यमों से एकत्र करना;

(ii) पीईपी को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले पहचान सत्यापित करना;

(iii) पीईपी का खाता खोलने या जीवन बीमा या पीईपी को इसी तरह की अन्य पॉलिसी के अधीन कोई भुगतान करने से पहले इसके वरिष्ठ प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करना;

(iv) मौजूदा ग्राहक या मौजूदा खाते के लाभकारी स्वामी के बाद में पीईपी बनने की स्थिति में, व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त करना;

(v) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ग्राहक के लेन-देन या कार्यकलाप असामान्य या संदिग्ध प्रतीत होते हैं, व्यावसायिक संबंधों की जारी निगरानी की डिग्री और प्रकृति को बढ़ाना।

(vi) जीवन बीमा या इसी तरह की अन्य पॉलिसी के अधीन कोई भुगतान करने से पहले उपर्युक्त उप-खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त ग्राहक सावधानी बरतना।

(ग़) विनियमित एंटिटी यह निर्धारित करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपना सकती है कि वर्धित सीडीडी उपायों या वर्धित सीडीडी उपायों की सीमा को निष्पादित करना है या नहीं: -

(i) पीईपी, उनके परिवार के सदस्य और करीबी सहयोगी;

(ii) अंतरराष्ट्रीय संगठन पीईपी, उनके परिवार के सदस्य और निकट सहयोगी; या

(iii) पीईपी जो अपने प्रमुख सार्वजनिक कार्यों से हट गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव के स्तर को ध्यान में रखते हुए, उनके परिवार के सदस्यों और निकट सहयोगियों को छोड़ने के बाद व्यायाम करना जारी रख सकते हैं, सिवाय उन मामलों में जहां विनियमित एंटिटी के साथ उनके व्यापारिक संबंध या लेन-देन एमएल/टीएफ के लिए उच्च जोखिम प्रस्तुत करते हैं।

<u>दिशानिदेश लेख</u>: -

(1) विनियमित एंटिटी को यह निर्धारित करने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता होती है कि क्या ग्राहक या लाभकारी स्वामी पीईपी है या ऐसा व्यक्ति जिसे किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा कोई प्रमुख कार्य सौंपा जाता है या सौंपा गया है।

(2) विनियमित एंटिटी समुचित और तर्कसंगत माध्यमों से ग्राहकों के धन के स्रोत का भी पता लगाएगी। (धन के स्रोत को स्थापित करने के समुचित और तर्कसंगत साधनों के उदाहरण जानकारी और दस्तावेज हैं जैसे कि शीर्षक का प्रमाण, ट्रस्ट डीड की प्रतियां, लेखा-परीक्षित खाते, वेतन विवरण, कर रिटर्न, बैंक विवरण, आदि)।

(3) विनियमित एंटिटी को पता होना चाहिए कि परिवार के सदस्यों या पीईपी के निकट सहयोगियों के साथ ग्राहक संबंधों में पीईपी से जुड़े लोगों के समान जोखिम शामिल हैं। इसलिए, सभी प्रकार के पीईपी के लिए लागू किए गए उपाय ऐसे पीईपी के परिवार के सदस्यों या निकट सहयोगियों पर भी लागू होने चाहिए।

(4) विनियमित एंटिटी को स्वचालित रूप से उन सभी व्यक्तियों के साथ उच्च जोखिम वाले ग्राहक के रूप में व्यवहार नहीं करना चाहिए जो पीईपी हैं। प्रत्येक पीईपी का जोखिम संवेदनशील आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और विनियमित एंटिटी यह निर्धारित करेगी कि ऐसे पीईपी के लिए कौन सी जोखिम श्रेणी उपयुक्त है। यदि पीईपी को उच्च जोखिम के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है,

तो विनियमित एंटिटी खंड 5.6 के अधीन संदर्भित उन्नत ग्राहक यथोचित कर्मठता उपाय करेगी। हालांकि, भले ही पीईपी को उच्च जोखिम वाला नहीं माना गया हो, फिर भी विनियमित एंटिटी पीईपी के लिए खंड 5.5 (ख) में निर्दिष्ट अतिरिक्त ग्राहक यथोचित कर्मठता उपाय करेगी।

(5) धन का स्रोत आम तौर पर ग्राहक की उत्पत्ति और लाभकारी स्वामी के संपूर्ण धन (अर्थात, कुल संपत्ति) को संदर्भित करता है। यह इस बात से संबंधित है कि कैसे ग्राहक और लाभकारी स्वामी ने संपत्ति अर्जित की है जो कि उनके स्वामित्व वाली संपत्ति की पहचान करने से अलग है। संपत्ति की जानकारी के स्रोत को ग्राहक और लाभकारी स्वामी के पास होने वाली संपत्ति के आकार के बारे में संकेत देना चाहिए। हालांकि विनियमित एंटिटी के पास ऐसी संपत्तियों, जो विनियमित एंटिटी के पास जमा या संसाधित नहीं हैं, के बारे में विशिष्ट जानकारी नहीं हो सकती है, इस बारे में ग्राहक, वाणिज्यिक डेटाबेस या अन्य खुले स्रोतों से सामान्य जानकारी प्राप्त करना संभव हो सकता है।

(6) धन के स्रोत का सत्यापन विभिन्न उपायों द्वारा किया जा सकता है, जिसमें शेयर प्रमाण पत्र, स्वामित्व के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रजिस्टर, सूचना और दस्तावेज जैसे शीर्षक के साक्ष्य, ट्रस्ट डीड की प्रतियां, बैंक या मध्यस्थता खाता विवरण, प्रोबेट दस्तावेज़, लेखा-परीक्षित खाते और वित्तीय विवरण, वेतन विवरण, कर रिटर्न, प्रतिष्ठित स्रोत से समाचार आइटम और अन्य समान साक्ष्य जैसे स्वतंत्र पुष्टि साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। उदाहरण के लिए:

(i) विधिक व्यक्ति के लिए, यह उसकी वेबसाइट या समाचार लेखों और प्रेस विज्ञप्तियों पर प्रकाशित वित्तीय या वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करके प्राप्त किया जा सकता है जो इसकी वित्तीय स्थिति या उसके व्यावसाय की लाभप्रदता को दर्शाता है; तथा

(ii) स्थानीय व्यक्ति के लिए, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हो सकते हैं जो आवेदन पत्र या ग्राहक प्रश्नावली में धन के स्रोत पर प्रश्नों के उत्तर की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्थानीय व्यक्ति अपने धन के स्रोत का श्रेय विरासत को देता है, तो उसे संबंधित वसीयत या प्रोबेट के अनुदान की प्रति प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। अन्य मामलों में, स्थानीय व्यक्ति को अपने धन के स्रोत की तस्वीर तैयार करने के लिए बैंक विवरण, वेतन विवरण या वर्षों की संख्या को कवर करने वाली कर रिटर्न प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।

5.6. <u>वर्धित यथोचित कर्मठता</u>

(क) जहां एमएल / टीएफ के जोखिम अधिक हैं, विनियमित एंटिटी पहचान किए गए जोखिमों के अनुरूप उन्नत सीडीडी उपायों का संचालन करेगी। उन्नत सीडीडी उपाय इस प्रकार हैं: -

(i) ग्राहक के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना (जैसे, व्यवसाय, संपत्ति की मात्रा, सार्वजनिक डेटाबेस, इंटरनेट, आदि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी), और ग्राहक और लाभकारी स्वामी के पहचान डेटा को नियमित रूप से अपडेट करना।

(ii) जानकारी प्राप्त करना और स्वामित्व और वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाना, जिसमें धन के स्रोत और ग्राहक के धन के स्रोत या, यदि लागू हो, लाभकारी स्वामी शामिल हैं।

(iii) निर्दिष्ट लेन-देन करने के पीछे के उद्देश्य और लेन-देन पार्टियों के बीच संबंधों की इच्छित प्रकृति को अभिलेख करने के लिए जानकारी प्राप्त करना और अतिरिक्त कदम उठाना।

(iv) व्यापार संबंध शुरू करने या जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त करना।

(v) लागू किए गए नियंत्रणों की संख्या और समय में वृद्धि करके, और आगे की जांच की आवश्यकता वाले लेन-देन के पैटर्न का चयन करके, व्यावसायिक संबंधों की बढ़ी हुई निगरानी का संचालन करना; तथा,

(vi) समान सीडीडी मानकों के अध्यधीन किसी बैंक में ग्राहक के नाम से खाते के माध्यम से पहला भुगतान करने की आवश्यकता है।

(ख) जहां लागू हो, यह आवश्यक है कि विनियमित एंटिटी के साथ खाता खोलने के लिए ग्राहक द्वारा किया गया पहला भुगतान ग्राहक के नाम पर बैंक खाते के माध्यम से निम्नांकित के खाते में किया जाएगा:

(i) बैंक;

(ii) विनियमित वित्तीय संस्थान जिसका संपूर्ण संचालन एक क्षेत्राधिकार क्षेत्र में एएमएल/सीएफटी विनियमन और पर्यवेक्षण सहित विनियमन और पर्यवेक्षण के अध्यधीन है, जहां एएमएल/सीएफटी पर इसके नियम एफएटीएफ सिफारिशों में निर्धारित मानकों के समकक्ष हैं; या

(iii) ऊपर (ii) में संदर्भित विनियमित वित्तीय संस्थान की सहायक कंपनी, यदि मूल एंटिटी पर लागू होने वाला कानून यह सुनिश्चित करता है कि सहायक भी अपनी मूल एंटिटी के समान एएमएल/सीएफटी मानकों का पालन करता है।

दिशानिदेश लेख: -

(1) उन्नत सीडीडी उपाय ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर लागू होंगे और ग्राहक के लिए इसकी प्रयोज्यता की सीमा मामला-दर-मामला आधार पर तय की जाएगी।

(2) ऐसी परिस्थितियां जिनमें ग्राहक एमएल/टीएफ जोखिम की उच्च संभावना प्रस्तुत करता है या कर सकता है, को इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

(i) जहां कोई ग्राहक या ग्राहक का कोई लाभकारी स्वामी उस देश या क्षेत्राधिकार से है, जिसके संबंध में एफएटीएफ ने प्रति-उपायों की मांग की है; तथा

(ii) जहां कोई ग्राहक या ग्राहक का कोई लाभकारी स्वामी किसी ऐसे देश या क्षेत्राधिकार से है, जो अपर्याप्त एएमएल/सीएफटी उपायों के लिए जाना जाता है, जैसा कि विनियमित एंटिटी द्वारा स्वयं के लिए निर्धारित किया जाता है या आमतौर पर भारत में घरेलू प्राधिकरण या अन्य विदेशी नियामक प्राधिकरण या भारत में घरेलू प्राधिकरण या अन्य अन्य प्रासंगिक विदेशी नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित एंटिटी को अधिसूचित किया जाता है।

(3) उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के साथ खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के लिए, वरिष्ठ प्रबंधन या वरिष्ठ प्रबंधकों की समिति या व्यक्तिगत सदस्य द्वारा अनुमोदन दिया जा सकता है जिसे वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया गया है।

(4) ऐसे मामलों में जहां कोई ग्राहक जटिल कानूनी संरचनाओं और/या ट्रस्टों, निजी निवेश वाहन का उपयोग करता है, विनियमित एंटिटी स्वयं को संतुष्ट करेगी कि इसका उपयोग वैध और वास्तविक उद्देश्य के लिए किया जाए।

(5) विनियमित एंटिटी धन के स्रोत और धन के स्रोत की जांच करने के लिए उचित उपाय करेगी। अर्थात, जहां किसी विशेष सेवा या लेन-देन के लिए धन आएगा (उदाहरण के लिए, विशिष्ट वित्तीय संस्थान के साथ विशिष्ट बैंक खाता) और क्या वह धन ग्राहक या यदि लागू हो, लाभकारी स्वामी के धन के स्रोत के अनुरूप है या नहीं।

(6) धन का स्रोत विशेष धन या अन्य परिसंपत्तियों की उत्पत्ति को संदर्भित करता है जो व्यावसायिक संबंधों की स्थापना का विषय हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन अपराध की आय नहीं है, विनियमित एंटिटी को अन्य वित्तीय संस्थान की पहचान करने के लिए धन की जांच के अपने स्रोत, जहां से धन हस्तांतरित किया गया है, को सीमित नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन उत्पन्न करने वाली कार्यकलाप को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। प्राप्त की गई जानकारी वास्तविक होनी चाहिए और निधियों के उद्गम की स्थापना या निधियों के अर्जित होने के कारण की स्थापना की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

(7) धन के स्रोत को स्थापित करने के समुचित और तर्कसंगत साधनों के उदाहरण इस प्रकार हैं: शेयरधारिता से जुड़े लाभांश भुगतान का प्रमाण, बैंक विवरण, वेतन भुगतान या बोनस प्रमाण पत्र, बिक्री आय, ऋण दस्तावेज और लेन-देन का प्रमाण जिसके द्वारा खाते में भुगतान किया गया है।

(8) ग्राहक को यह प्रदर्शित करने और दस्तावेज करने में सक्षम होना चाहिए कि संबंधित निधि किसी विशेष कार्यक्रम से कैसे जुड़ी हैं, जिसने खाते में भुगतान या लेन-देन के लिए धन के स्रोत को जन्म दिया है।

5.7. सरलीकृत ग्राहक यथोचित कर्मठता

(क) जहां एमएल/टीएफ के जोखिम कम हैं, विनियमित एंटिटी सरलीकृत सीडीडी उपायों का संचालन कर सकती है, जो कम जोखिम वाले कारकों के अनुरूप होना चाहिए। संभावित उपायों के उदाहरण निम्नानुसार हैं:

(i) खंड 5.3 के अधीन निर्दिष्ट व्यावसायिक संबंध स्थापित होने के बाद ग्राहक और लाभकारी स्वामी की पहचान सत्यापित करना।

(ii) ग्राहक पहचान अद्यतनों की आवृत्ति को कम करना।

(iii) उचित मौद्रिक सीमा के आधार पर चल रहे निगरानी और लेन-देन की जांच की डिग्री को कम करना।

(iv) व्यापार संबंध के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति को समझने के लिए विशिष्ट जानकारी एकत्र नहीं करना या विशिष्ट उपाय नहीं करना बल्कि लेन-देन के प्रकार या स्थापित व्यावसायिक संबंध से उद्देश्य और प्रकृति का अनुमान लगाना।

(ख) जहां एमएल/टीएफ का संदेह है, वहां सरलीकृत सीडीडी (एससीडीडी) उपाय नहीं किए जाएंगे।

<u>दिशानिदेश लेख</u>: -

(1) जहां विनियमित एंटिटी एससीडीडी उपायों को लागू करती है, वहां अभी भी खंड 5.8 के अधीन निर्दिष्ट व्यावसायिक संबंधों की निरंतर निगरानी करना आवश्यक है।

(2) व्यापक रूप से धारित स्वयंरा निवेश निधियों के लिए और जहां निवेशक पेंशन अंशदान के माध्यम से निवेश करता है, निवेश निधि के लिए लाभार्थी स्वामियों की पहचान करने या सत्यापित करने के लिए विनियमित एंटिटी की आवश्यकता नहीं है।

(3) विनियमित एंटिटी ग्राहक जोखिमों के अनुसार सीडीडी के संचालन के लिए अन्य उपायों का भी उपयोग कर सकती है।

5.8. चल रहे ग्राहक के कारण परिश्रम

खण्ड 5.4.1.(घ) के अधीन अपेक्षित चल रहे ग्राहक यथोचित कर्मठता करते समय, विनियमित एंटिटी द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा: -

(i) विनियमित एंटिटी ग्राहक के साथ अपने व्यापारिक संबंधों की निरंतर आधार पर निगरानी करेगी।

(ii) ग्राहक के साथ व्यापार संबंधों के दौरान विनियमित एंटिटी , यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेन-देन ग्राहक के विनियमित एंटिटी के ज्ञान के अनुरूप हैं, अपने व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल ग्राहक के खाते के संचालन का निरीक्षण करेगी और व्यापारिक संबंधों के दौरान किए गए लेन-देन की जांच करेगी, और जहां उपयुक्त हो, धन के स्रोत और निधियों के स्रोत का पता भी कर सकती है।

(iii) विनियमित एंटिटी व्यापारिक संबंधों के दौरान किए गए लेन-देन के किसी भी जटिल, असामान्य रूप से बड़े या असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान देगी, जिसका कोई स्पष्ट या दृश्यमान आर्थिक या वैध उद्देश्य नहीं है।

(iv) विनियमित एंटिटी ऊपर उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट लेन-देन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य के बारे में और पूछताछ करेगी और अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करेगी ताकि आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

(v) विनियमित एंटिटी समय-समय पर प्रत्येक ग्राहक की समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऊपर खंड 4.1(क) (ii) के अधीन निर्दिष्ट जोखिम रेटिंग, ग्राहक द्वारा लगाए गए एमएल/टीएफ जोखिमों के अनुरूप है।

(vi) जहां ऐसे संकेत मिलते हैं कि ग्राहक के साथ मौजूदा व्यावसायिक संबंध से जुड़े जोखिम बढ़ गए हैं, विनियमित एंटिटी अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करेगी और यह निर्धारित करने के लिए ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करेगी कि अतिरिक्त उपाय आवश्यक हैं या नहीं।

(vii) विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहकों के संबंध में प्राप्त ग्राहक यथोचित कर्मठता डेटा, दस्तावेज और जानकारी, ग्राहकों की ओर से कार्य करने के लिए नियुक्त स्थानीय व्यक्ति, ग्राहकों के संबंधित पक्ष और ग्राहकों के लाभकारी स्वामी प्रासंगिक हैं और विशेष रूप से उच्च जोखिम रेटिंग वाले ग्राहकों के लिए मौजूदा ग्राहक यथोचित कर्मठता डेटा, दस्तावेज़ों और सूचनाओं की पर्याप्तता की समीक्षा करके अद्यतन रखा जाता है।

<u>दिशानिदेश लेख:</u> -

(1) प्रभावी और ठोस एएमएल/सीएफटी जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए, विनियमित एंटिटी सभी व्यावसायिक संबंधों की निरंतर निगरानी की प्रक्रिया का पालन करेगी। हालांकि, ग्राहक निगरानी की कठोरता और सीमा ग्राहक के एमएल/टीएफ जोखिम प्रोफाइल के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(2) चल रही निगरानी के अनिवार्य पहलू में अद्यतन और प्रासंगिक ग्राहक यथोचित कर्मठता डेटा, दस्तावेज़ और जानकारी को बनाए रखना शामिल है ताकि विनियमित एंटिटी ग्राहक के जोखिम प्रोफ़ाइल में परिवर्तनों की पहचान कर सके।विनियमित एंटिटी द्वारा निम्नलिखित का पालन किया जाएगा: -

(i) उन ग्राहकों के लिए जिनका आकलन उच्च जोखिम के रूप में किया गया है, विनियमित एंटिटी अपनी आवधिक सीडीडी समीक्षा के भाग या एक ट्रिगर घटना, जो भी पहले हो, के रूप में, जैसा विनियमित एंटिटी आवश्यक समझे; तथा

(ii) ग्राहकों की अन्य सभी जोखिम श्रेणियों के लिए, विनियमित एंटिटी को ट्रिगर घटना के घटित होने पर अद्यतन सीडीडी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

(3) विनियमित एंटिटी समय-समय पर और अन्य उपयुक्त समय पर, खंड 5.8 के उप-खंड (v) और (vii) के अधीन समीक्षा करेगी, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं:

(i) विनियमित एंटिटी अपनी सीडीडी दस्तावेज़ीकरण अपेक्षाओं में परिवर्तन करती है;

(ii) ग्राहक के साथ एक असामान्य लेन-देन होने की आशा है;

(iii) ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंधों में खास परिवर्तन हुआ है; या

(iv) ग्राहक की प्रकृति या स्वामित्व में कोई खास परिवर्तन होता है।

5.9. <u>चल रहे प्रतिबंधों की जांच</u>

विनियमित एंटिटी अपने ग्राहकों, उनके व्यापार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध सूचियों के प्रति लेन-देन और किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रतिबंध सूची के प्रति खंड 5.4.1 (घ) का अनुपालन करते हुए समीक्षा करेगी।

5.10. <u>ग्राहक यथोचित कर्मठता का संचालन करने या पूरा करने के लिए विनियमित एंटिटी की विफलता</u>

(क) ऐसे मामलों में जहां विनियमित एंटिटी **खंड** 5.4.1 के अनुसार ग्राहक के लिए अपेक्षित ग्राहक यथोचित कर्मठता का संचालन करने या इसे पूरा करने में असमर्थ है, वह प्रासंगिक सीमा तक ऐसा नहीं करेगा: -

(i) खाता नहीं खोलेगा या अन्यथा कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा;

(ii) ग्राहक के साथ या उसके लिए कोई लेन-देन नहीं करेगा;

(iii) अन्यथा व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं करेगा;

(iv) ग्राहक के साथ किसी मौजूदा व्यावसायिक संबंध को समाप्त या निलंबित करेगा;

(v) ग्राहक से प्राप्त किसी भी धन या संपत्ति को वापस करेगा; तथा,

(vi) इस बात पर विचार करेगा कि क्या ग्राहक यथोचित कर्मठता को पूरा करने या पूरा करने में विफलता के लिए संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) दाखिल करना आवश्यक है।

(ख) विनियमित एंटिटी ऊपर उप-खंड (क) (i) से (v) का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, अगर यह ग्राहक के "उल्लंघन" के बराबर है, या एफआईयू-आईएनडी विनियमित एंटिटी को अन्यथा कार्य करने का निदेश देता है .

<u>दिशानिदेश लेख</u>: -

(1) विनियमित एंटिटी को खंड 5.10 (क) के अधीन अनुपालन करते हुए, परिस्थितियों में, उपर्युक्त उप-खंड (i) से (vi) के अधीन निर्दिष्ट उपायों में से एक या अधिक उपायों को लागू करना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां सीडीडी को पूरा नहीं किया जा सकता है, यह उचित है कि लंबित सीडीडी के पूरा होने तक विनियमित एंटिटी लेन-देन नहीं करेगी।

(2) खंड 5.10 मौजूदा और संभावित दोनों ग्राहकों पर लागू होगा। मौजूदा ग्राहकों के मामले में, जबकि व्यावसायिक संबंध समाप्त होने से इंकार नहीं किया जाना चाहिए, परिस्थितियों के आधार पर निलंबन अधिक उपयुक्त हो सकता है।

(3) मौजूदा ग्राहकों के ग्राहक यथोचित कर्मठता के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

5.11 <u>आवधिक अद्यतन</u>

विनियमित एंटिटी सीडीडी के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाएगी। विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के लिए खाता खोलने/अंतिम सीडीडी अद्यतनीकरण की तारीख से अद्यतनीकरण की आवधिकता इस प्रकार है: -

(i) वार्षिक रूप से- उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए;

(ii) तीन वर्ष में एक बार- मध्यम जोखिम वाले ग्राहक के लिए; तथा,

(iii) हर पांच वर्ष में एक बार- कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए।

इस संबंध में नीति को विनियमित एंटिटी की आंतरिक केवाईसी नीति के हिस्से के रूप में प्रलेखित किया जाएगा, जिसे विनियमित एंटिटी के शासी निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

(क) <u>व्यक्तिगत ग्राहक</u>:

(i) <u>सीडीडी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं</u>:

सीडीडी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में ग्राहक से स्व-घोषणा विनियमित एंटिटी के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से या डिजिटल चैनलों (जैसे विनियमित एंटिटी की ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, ई-मेल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है)।

(ii) <u>पते में परिवर्तन:</u>

(कक) केवल ग्राहक के पते के विवरण में परिवर्तन के मामले में, नए पते की स्व-घोषणा ग्राहक से विनियमित एंटिटी के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी, विनियमित एंटिटी के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग, ई-मेल या विनियमित एंटिटी का मोबाइल एप्लिकेशन) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। दो महीने के भीतर घोषित पते की सकारात्मक पुष्टि, पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलिवरेबल्स आदि के माध्यम से सत्यापित की जाएगी।

(खख) इसके अलावा, विनियमित एंटिटी को समय-समय पर अद्यतनीकरण के समय ग्राहक द्वारा घोषित पते के प्रमाण के उद्देश्य से ओवीडी या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करनी होगी। हालांकि, इस तरह की आवश्यकता को विनियमित एंटिटी द्वारा अपनी आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे इसके शासी निकाय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

(ख) स्थानीय व्यक्तियों के अलावा अन्य ग्राहक:

(i) <u>सीडीडी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं:</u>

किसी ग्राहक की सीडीडी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, ग्राहक जो गैर-स्थानीय व्यक्ति है, से विनियमित एंटिटी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, विनियमित एंटिटी का मोबाइल एप्लिकेशन) के माध्यम से स्व-घोषणा, अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र और इस संबंध में आवश्यक संकल्प के साथ प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा, विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके पास उपलब्ध लाभकारी स्वामित्व (बीओ) की जानकारी सटीक और अद्यतन हो।

(ii) <u>सीडीडी सूचना में परिवर्तन</u>:

सीडीडी सूचना में परिवर्तन के मामले में, विनियमित एंटिटी नई सीडीडी प्रक्रिया शुरू करेगी जैसा कि नए ग्राहक, जो गैर-स्थानीय व्यक्ति है, की बोर्डिंग के लिए लागू है।

(ग) अतिरिक्त उपाय:

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि:

(i) मौजूदा सीडीडी मानकों के अनुसार ग्राहक के केवाईसी दस्तावेज इसके पास उपलब्ध हैं। यह तब भी लागू होता है जब ग्राहक की जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हो लेकिन विनियमित एंटिटी के पास उपलब्ध दस्तावेज मौजूदा सीडीडी मानकों के अनुसार नहीं हैं। इसके अलावा, यदि सीडीडी के आवधिक अद्यतन के समय विनियमित एंटिटी के पास उपलब्ध सीडीडी दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, तो विनियमित एंटिटी नए ग्राहक की बोर्डिंग के लिए लागू होने वाली सीडीडी प्रक्रिया के बराबर नई सीडीडी प्रक्रिया शुरू करेगी।

(ii) भारतीय नागरिक के मामले में, ग्राहक के पैन विवरण को, यदि विनियमित एंटिटी के पास उपलब्ध है, सीडीडी के आवधिक अद्यतन के समय जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से सत्यापित किया जाता है।

(iii) समय-समय पर अद्यतनीकरण करने के लिए ग्राहक से स्व-घोषणा सहित संबंधित दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए ग्राहक को पावती प्रदान की जाती है। इसके अलावा, विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि सीडीडी के आवधिक अद्यतन के समय ग्राहकों से प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों को उसके अभिलेख/डेटाबेस में तुरंत अद्यतन किया जाए और सीडीडी विवरण के अद्यतन की तारीख का उल्लेख करते हुए सूचना ग्राहक को प्रदान की जाए। .

(iv) ग्राहकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, विनियमित एंटिटी अपनी किसी भी शाखा में या अपनी आंतरिक केवाईसी नीति के अनुसार ऐसी अन्य सुविधाओं में सीडीडी के आवधिक अद्यतनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है, जिसे उसके शासी निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो।

(v) विनियमित एंटिटी सीडीडी के आवधिक अद्यतनीकरण के संबंध में जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाएगी। कोई भी अतिरिक्त और असाधारण उपाय, जो अन्यथा विनियमित एंटिटी द्वारा अपनाए गए उपर्युक्त निर्देशों के अधीन अनिवार्य नहीं हैं (जैसे कि हालिया फोटोग्राफ प्राप्त करने की आवश्यकता, ग्राहक की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता, सीडीडी के आवधिक अद्यतन की आवश्यकता केवल

जहां खाता बनाए रखा जाता है, न्यूनतम निर्दिष्ट आवधिकता आदि की तुलना में सीडीडी अद्यतनीकरण की अधिक लगातार आवधिकता), इसकी अनुमोदित आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

(vi) विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी आंतरिक केवाईसी नीति और सीडीडी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन पर प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं और ग्राहकों के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई से बचा जाना चाहिए, जब तक कि विशिष्ट नियामक अपेक्षाओं द्वारा आवश्यक न हो।

अध्याय-VI

तृतीय पक्ष विश्वसनीयता

6.1. इन दिशानिदेशों के प्रयोजनों के लिए, "तृतीय पक्ष" का अभिप्राय होगा-

(क) वित्तीय संस्थान जो वित्तीय नियामक के अधीन है और उसकी देखरेख करता है; या

(ख) विनियमित एंटिटी, उसकी शाखाओं, सहायक कंपनियों, मूल एंटिटी, मूल एंटिटी की शाखाओं और सहायक कंपनियों और अन्य संबंधित निगमों के संबंध में; तथा

(ग) ऐसे व्यक्ति के साथ मौजूदा ग्राहक संबंध है जिसका डेटा सीडीडी और विनियमित एंटिटी द्वारा ग्राहक सत्यापन के लिए उपयोग किया जाएगा।

6.2 विनियमित एंटिटी निम्नलिखित शर्तों के अधीन सीडीडी उपायों को करने के लिए किसी तीसरे पक्ष पर भरोसा कर सकती है:

(क) विनियमित एंटिटी 2 दिनों के भीतर तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक यथोचित कर्मठता के अभिलेख या जानकारी प्राप्त करेगी;

(ख) विनियमित एंटिटी स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी कि ग्राहक यथोचित कर्मठता से संबंधित पहचान डेटा और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रतियां अनुरोध पर, बिना किसी देरी के तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी;

(ग) विनियमित एंटिटी संतुष्ट है कि तीसरे पक्ष, जिस पर वह भरोसा करना चाहता है, उसके लिए विनियमित, पर्यवेक्षण या निगरानी की जाती है, और उसके पास अनुशंसा 10 और 11 की अनुशंसा के अधीन उल्लिखित ग्राहक यथोचित कर्मठता और अभिलेख रखने की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए उपाय हैं। एफएटीएफ की अनुशंसाओं और अधिनियम के अधीन अपेक्षाओं और दायित्वों के अनुरूप भी हैं;

बशर्ते कि जहां विनियमित एंटिटी किसी तीसरे पक्ष पर निर्भर करती है जो उसी वित्तीय समूह का हिस्सा है, उपर्युक्त शर्त लागू नहीं होती है। विनियमित एंटिटी वित्तीय समूह के सदस्य पर इस शर्त के अध्यधीन भरोसा कर सकती है कि ऐसा सदस्य निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है: -

(i) वित्तीय समूह ग्राहक यथोचित कर्मठता और अभिलेख कीपिंग पर समूह-व्यापी नीति लागू करता है और क्रियांवित करता है, जो एफएटीएफ अनुशंसाओं में निर्धारित मानकों को पूरा करता है; तथा

(ii) समूह स्तर पर ग्राहक यथोचित कर्मठता और अभिलेख अनुरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी किसी देश में वित्तीय सेवा नियामक या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है।

(घ) तीसरा पक्ष उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकन किए गए देश या क्षेत्राधिकार में आधारित नहीं है;

(ङ) कोई भी विनियमित एंटिटी ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंधों की निरंतर निगरानी करने के लिए किसी तीसरे पक्ष पर भरोसा नहीं करेगी;

(च) कोई भी विनियमित एंटिटी किसी तीसरे पक्ष पर भरोसा नहीं करेगी, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से भरोसा नहीं किया गया है;

(छ) विनियमित एंटिटी अपनी संतुष्टि के लिए आधार का दस्तावेजीकरण करेगी कि उपर्युक्त उप-खंड (ग) के अधीन अपेक्षाओं को पूरा किया गया है;

(ज) तीसरे पक्ष पर निर्भरता भी नियमों के नियम 9 (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों और परिपत्रों/दिशानिदेशों के अनुसार होगी; तथा,

(i) विनियमित एंटिटी अंततः ग्राहक यथोचित कर्मठता के लिए जिम्मेदार है और लागू होने वाले यथोचित कर्मठता उपायों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।

दिशानिदेश लेख: -

(1 तृतीय-पक्ष निर्भरता परिदृश्य में, तृतीय पक्ष का ग्राहक के साथ मौजूदा संबंध होगा जो ग्राहक द्वारा विश्वसनीय विनियमित एंटिटी के साथ बनाए जाने वाले संबंध से स्वतंत्र है। इसलिए तीसरा पक्ष अपनी एएमएल/सीएफटी नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के अनुसार ग्राहक पर सीडीडी उपाय करेगा।

(2) उपर्युक्त उप-खंड (क) के अधीन ग्राहक के अभिलेख या जानकारी प्राप्त करने का अभिप्राय न केवल नाम और पता जैसी बुनियादी जानकारी बल्कि सभी प्रासंगिक सीडीडी जानकारी प्राप्त करना है।

(3) संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियमित एंटिटी को अपने सीडीडी करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा उपयोग किए गए अंतर्निहित प्रमाणित दस्तावेज स्वचालित रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विनियमित एंटिटी, हालांकि, उपर्युक्त उप-खंड (ख) के अधीन, यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणित दस्तावेज अनुरोध पर तीसरे पक्ष से आसानी से उपलब्ध हो जाएं।

(4) विनियमित एंटिटी उन देशों या क्षेत्राधिकारों के लिए विशेष रूप से एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान करने, उनका आकलन करने और समझने के लिए उचित कदम उठाएगी, जिनमें तीसरा पक्ष संचालित होता है।

(5) जहां किसी विशेष क्षेत्राधिकार के कानून (जैसे गोपनीयता या डेटा संरक्षण कानून) विनियमित एंटिटी को बिना किसी देरी के अनुरोध पर सीडीडी जानकारी तक पहुंचने से रोकते हैं, विनियमित एंटिटी को संबंधित सीडीडी स्वयं करना चाहिए और तीसरे पक्ष पर विश्वास नहीं करना चाहिए .

(6) यदि कोई विनियमित एंटिटी इस बात से यथोचित रूप से संतुष्ट नहीं है कि किसी ग्राहक या लाभकारी स्वामी को इन दिशानिदेशों के अनुरूप तरीके से किसी तीसरे पक्ष द्वारा पहचाना और सत्यापित किया गया है, तो विनियमित एंटिटी किसी भी कमियों के संबंध में तुरंत ग्राहक की पहचान की उचित जांच करेगी।

(7) उपर्युक्त खंड 6.2 (ग) के अधीन मूल्यांकन करते समय, विनियमित एंटिटी अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी:

(क) एफएटीएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रकाशित पारस्परिक मूल्यांकन, मूल्यांकन रिपोर्ट या अनुवर्ती रिपोर्ट;

(ख) राजनीतिक स्थिरता या क्षेत्राधिकार में भ्रष्टाचार के स्तर जैसे प्रासंगिक कारक;

(ग) क्षेत्राधिकार की हाल ही की आलोचना का साक्ष्य, जिसमें निम्न शामिल हैं:

(i) एफएटीएफ सलाहकारी नोटिस;

(ii) (क) में संदर्भित संगठनों द्वारा क्षेत्राधिकार के एएमएल शासन का सार्वजनिक मूल्यांकन; या

(iii) अन्य प्रासंगिक गैर-सरकारी संगठनों या विशेषज्ञ

वाणिज्यिक संगठनों द्वारा रिपोर्ट।

अध्याय-VII

तदनुरूपी बैंकिंग और वायर ट्रांसफर

7. तदनुरूपी बैंकिंग

7.1 विनियमित एंटिटी के पास निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने शासी निकाय या अध्यक्ष/सीईओ/एमडी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तदनुरूपी बैंकिंग संबंधों को मंजूरी देने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए अनुमोदित नीति होगी: -

(क) निम्नलिखित कदम उठाकर प्रतिवादी बैंक की उपयुक्तता का आकलन किया जाता है:

(i) प्रतिवादी बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को पूरी तरह से समझने के लिए प्रतिवादी बैंक के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र करना, जिसमें इसके प्रबंधन, इसकी प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलापों और उन देशों या क्षेत्राधिकारों पर उचित पूछताछ करना शामिल है जिनमें यह संचालित होता है;

(ii) उपलब्ध स्रोतों से, प्रतिवादी बैंक की प्रतिष्ठा और उस पर पर्यवेक्षण की गुणवत्ता का निर्धारण करें, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह किसी एमएल/टीएफ जांच या नियामक कार्रवाई के अधीन है; तथा,

(iii) प्रतिवादी बैंक के एएमएल/सीएफटी नियंत्रणों का आकलन करें और पता लगाएं कि क्या वे उस देश या क्षेत्राधिकार के एएमएल/सीएफटी उपायों के संबंध में पर्याप्त और प्रभावी हैं जहां प्रतिवादी बैंक संचालित होता है;

(ख) प्रत्येक बैंक, जिसके साथ संपर्ककर्ता के बैंकिंग संबंध स्थापित है, की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाएगा।

(ग) प्रतिवादी बैंक को तदनुरूपी बैंकिंग या इसी तरह की सेवाएं प्रदान करने से पहले वरिष्ठ प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करें।

(घ) खातों के माध्यम से देया राशि के मामले में, संपर्ककर्ता बैंक संतुष्ट होगा कि प्रतिवादी बैंक ने खातों तक सीधी पहुंच रखने वाले ग्राहकों की पहचान सत्यापित कर ली है और उन पर जारी 'यथोचित कर्मठता' कर रहे हैं।

(ङ) संपर्ककर्ता बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी बैंक अनुरोध पर तत्काल प्रासंगिक ग्राहक पहचान डेटा प्रदान करने में सक्षम है।

(च) ऐसे बैंक के साथ संवाददाता संबंध नहीं बनाए जाएंगे जो एक शेल वित्तीय संस्थान है।

(छ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपर्ककर्ता बैंक अपने खातों को बैंक द्वारा उपयोग करने की अनुमति न दें जो एक फर्जी वित्तीय संस्थान है।

(ज) यह उन क्षेत्राधिकारों में स्थित प्रतिवादी बैंकों से सतर्क होगा जिनमें रणनीतिक कमियां हैं या एफएटीएफ सिफारिशों के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

(i) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिवादी बैंकों के पास केवाईसी/एएमएल नीतियां और प्रक्रियाएं हैं और संपर्ककर्ता खातों के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए बढ़ी हुई 'यथोचित कर्मठता' प्रक्रियाएं लागू करें।

<u>वायर से अंतरण</u>

7.2. यह खंड किसी बैंक या विनियमित एंटिटी पर तब लागू होगा जब वह वायर ट्रांसफ़र द्वारा धनराशि भेजता है या जब वह वायर ट्रांसफ़र प्रवर्तक या वायर ट्रांसफ़र लाभार्थी के खाते में वायर ट्रांसफ़र द्वारा धनराशि (सीरियल भुगतान और कवर भुगतान सहित) प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान के बीच हस्तांतरण और निपटान पर ऐसा लागू नहीं होगा जहां बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान क्रमशः वायर ट्रांसफर प्रवर्तक और वायर ट्रांसफर लाभार्थी के रूप में अपनी ओर से कार्य कर रहे हैं।

7.3 विनियमित एंटिटी उच्च-जोखिम वाले देशों या क्षेत्राधिकारों के लिए भुगतान संदेशों के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले देशों या क्षेत्राधिकारों के साथ लेन-देन की निगरानी करेगी और भुगतान संदेशों या स्वीकृत पक्षों या देशों या क्षेत्राधिकार के साथ लेन-देन को निलंबित या अस्वीकार कर देगी।

7.4. जहां नाम जांच यह पुष्टि करती है कि वायर ट्रांसफर प्रवर्तक या वायर ट्रांसफर लाभार्थी एक आतंकवादी या आतंकवादी संस्था है, विनियमित एंटिटी इन आतंकवादियों या आतंकवादी संस्थाओं की संपत्ति को तुरंत ब्लॉक, अस्वीकार या फ्रीज कर देगी।

7.5. जहां नाम संवीक्षा चेक से सकारात्मक हिट उत्पन्न होती हैं, उन्हें प्रधान अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। वायर ट्रांसफर की प्राप्ति या रिलीज को स्वीकृत या अस्वीकार करने का निर्णय उचित स्तर पर किया जाना चाहिए और इसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

7.6. भुगतान प्रक्रिया में किसी अन्य विनियमित एंटिटी द्वारा उस जानकारी का पता लगाने से बचने के उद्देश्य से विनियमित एंटिटी भुगतान संदेशों में जानकारी को नहीं मिटाएगी, हटाएगी या परिवर्तित नहीं करेगी।

<u>दिशानिदेश लेख:</u> -

(1) खंड 7.2. में निम्नांकित को कवर करने की मंशा नहीं है: -

(i) जब तक कि क्रेडिट, चार्ज, डेबिट या प्रीपेड कार्ड नंबर लेन-देन से संचालित होने वाले सभी अंतरणों पर होता है कोई भी अंतरण जो माल या सेवाओं की खरीद के लिए क्रेडिट, चार्ज, डेबिट या प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके किए गए लेन-देन से होगा,.

(ii) एंटिटियों के बीच स्थानांतरण और निपटान, जहां प्रवर्तक और लाभार्थी दोनों अपनी ओर से कार्य करने वाली विनियमित एंटिटियां हैं।

(2) खंड 7.2. तब लागू होगा जब क्रेडिट, चार्ज, डेबिट या प्रीपेड कार्ड का उपयोग भुगतान प्रणाली के रूप में व्यक्ति-से-व्यक्ति वायर ट्रांसफर को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे में इस तरह के लेन-देन के लिए संदेश में जरूरी जानकारी शामिल की जानी चाहिए।

7.7. <u>आदेश देने वाली संस्था की जिम्मेदारी</u>

7.7.1. <u>सूचना की पहचान और अभिलेखन</u>

वायर ट्रांसफर करने से पहले, प्रत्येक बैंक, जो आदेश देने वाली संस्था है, निम्नांकित करेगा: -

(क) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक की पहचान करेगा और उसकी पहचान सत्यापित करेगा; तथा

(ख) वायर ट्रांसफर के पर्याप्त विवरण अभिलेख करेगा ताकि वह इसके पुनर्निर्माण की अनुमति दे सके, जिसमें वायर ट्रांसफर की तारीख, मुद्रा का प्रकार और राशि और मूल्य तिथि शामिल है, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

7.7.2. <u>क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र 1000 अमेरिकी डॉलर से कम या उसके बराबर</u>

क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र में, जहां ट्रांसफ़र की जाने वाली राशि 1000 अमरीकी डॉलर से कम या उसके बराबर है, प्रत्येक बैंक जो ऑर्डर देने वाली संस्था है, उसे वायर ट्रांसफ़र के साथ या उससे संबंधित संदेश या भुगतान निर्देश में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक का नाम;

(ख) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक का खाता संख्या (या अद्वितीय लेन-देन संदर्भ संख्या जहां कोई खाता संख्या मौजूद नहीं है);

(ग) वायर ट्रांसफर लाभार्थी का नाम; तथा

(घ) वायर ट्रांसफर लाभार्थी का खाता संख्या (या अद्वितीय लेन-देन संदर्भ संख्या जहां कोई खाता संख्या मौजूद नहीं है)।

7.7.3. <u>1000 अमेरिकी डालर से अधिक सीमा-पार वायर ट्रांसफर</u>

(क) क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर में, जहां ट्रांसफर की जाने वाली राशि 1000 अमेरिकी डालर से अधिक है, प्रत्येक बैंक जो ऑर्डर देने वाला संस्थान है, वायर ट्रांसफर के साथ या उससे संबंधित संदेश या भुगतान निर्देश में खंड 7.7.2. (क) से (घ), और निम्नलिखित में से कोई के अधीन आवश्यक जानकारी शामिल करेगा:

(i) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक का आवासीय पता;

(ii) पंजीकृत या व्यावसायिक पता, और यदि भिन्न हो, तो व्यवसाय का प्रमुख स्थान, जैसा भी मामला हो;

(iii) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक की विशिष्ट पहचान संख्या (जैसे पहचान पत्र संख्या, जन्म प्रमाण पत्र संख्या या पासपोर्ट संख्या, या जहां वायर ट्रांसफर प्रवर्तक स्थानीय व्यक्ति नहीं है, निगमन संख्या या व्यवसाय पंजीकरण संख्या); या

(iv) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक (जैसा लागू हो) के जन्म और स्थान, निगमन या पंजीकरण की तारीख।

(ख) जहां एकल वायर ट्रांसफर प्रवर्तक से कई अलग-अलग क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर लाभार्थियों को संप्रेषण के लिए बैच फ़ाइल में बंडल किए जाते हैं, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बैच अंतरण फ़ाइल में नीचे दी गई जानकारी है जो लाभार्थी देश के भीतर पूरी तरह से पता लगाने योग्य है :

(i) खंड 7.7.3 के अधीन अपेक्षित वायर ट्रांसफर प्रवर्तक जानकारी, जिसे सत्यापित कर लिया गया है; तथा

(ii) खंड 7.7.3 के अधीन अपेक्षित वायर ट्रांसफर लाभार्थी की जानकारी।

7.7.4. देशीय वायर ट्रांसफर

देशीय वायर ट्रांसफर में, प्रत्येक बैंक जो ऑर्डर देने वाली संस्था है, या तो निम्नांकित करेगा: -

(क) संदेश या भुगतान निर्देश में वह निम्नलिखित शामिल करेगा जो वायर ट्रांसफर के साथ या उससे संबंधित है:

(i) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक का नाम;

(ii) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक का खाता संख्या (या अद्वितीय लेन-देन संदर्भ संख्या जहां कोई खाता संख्या मौजूद नहीं है); तथा

(iii) निम्नलिखित में से कोई एक:

(कक) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक का आवासीय या पंजीकृत या व्यावसायिक पता या व्यवसाय का प्रमुख स्थान (यदि पंजीकृत और व्यावसायिक पते अलग हैं), जैसा लागू हो;

(खख) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक की विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान संख्या (जैसे पहचान पत्र संख्या, जन्म प्रमाण पत्र संख्या या पासपोर्ट संख्या, या जहां वायर ट्रांसफर प्रवर्तक स्थानीय व्यक्ति नहीं है, निगमन संख्या या व्यवसाय पंजीकरण संख्या);

(गग) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक (जैसा लागू हो) का जन्म स्थान, निगमन या पंजीकरण।

(ख) केवल वायर ट्रांसफर प्रवर्तक की खाता संख्या (या अद्वितीय लेन-देन संदर्भ संख्या जहां कोई खाता संख्या मौजूद नहीं है) शामिल करें, बशर्ते: -

(i) कि ये विवरण लेन-देन को वायर ट्रांसफर प्रवर्तक और वायर ट्रांसफर लाभार्थी को वापस खोजने की अनुमति देंगे;

(ii) आदेश देने वाला संस्थान उपर्युक्त खंड 7.7.4. (क) में निर्धारित वायर ट्रांसफर प्रवर्तक प्राधिकरण या अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा लाभार्थी संस्थान द्वारा ऐसी जानकारी के लिए अनुरोध के 3 व्यावसायिक दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करेगा; तथा

(iii) आदेश देने वाला संस्थान ऊपर खंड 7.7.4 (क) में निर्धारित वायर ट्रांसफर प्रवर्तक भारत में कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ऐसी जानकारी के अनुरोध पर तुरंत जानकारी प्रदान करेगा।

(ग) आदेश देने वाली संस्था द्वारा एकत्र की गई सभी वायर ट्रांसफर प्रवर्तक और लाभार्थी जानकारी का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। जहां आदेश देने वाला संस्थान खंड 7.7.1 से 7.7.4 तक के अधीन अपेक्षाओं का पालन करने में असमर्थ है, यह वायर ट्रांसफर निष्पादित नहीं करेगा।

7.7.5. <u>लाभार्थी संस्थान की जिम्मेदारी</u>

(क) ऐसा बैंक जो लाभार्थी संस्था है, सीमा पार वायर ट्रांसफर की पहचान करने के लिए, जहां संभव हो, घटना पश्चात अनुश्रवण या घटना के दौरान अनुश्रवण सहित उचित उपाय करेगा, जिसमें आवश्यक वायर ट्रांसफर प्रवर्तक या आवश्यक वायर ट्रांसफर लाभार्थी जानकारी की कमी है।

(ख) क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर के लिए, लाभार्थी संस्थान वायर ट्रांसफर लाभार्थी की पहचान करेगा और पहचान को सत्यापित करेगा, यदि पहचान को पहले सत्यापित नहीं किया गया है।

(ग) बैंक जो लाभार्थी संस्थान है, वह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक जोखिम-आधारित नीतियां, प्रक्रियाएं और नियंत्रण लागू करेगा:

(i) वायर ट्रांसफर प्रवर्तक या वायर ट्रांसफर लाभार्थी से संबंधित आवश्यक जानकारी की कमी वाले वायर ट्रांसफर को कब निष्पादित, अस्वीकार या निलंबित करना है; तथा

(ii) समुचित अनुवर्ती कार्रवाई।

7.7.6. <u>मध्यस्थ संस्था की जिम्मेदारी</u>

(क) ऐसा बैंक, जो मध्यस्थ संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, वायर ट्रांसफर के साथ वायर ट्रांसफर प्रवर्तक और वायर ट्रांसफर लाभार्थी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी को बनाए रखेगा।

(ख) जहां तकनीकी सीमाएं सीमा पार वायर ट्रांसफर के साथ वायर ट्रांसफर प्रवर्तक या वायर ट्रांसफर लाभार्थी से संबंधित आवश्यक जानकारी को संबंधित घरेलू वायर ट्रांसफर के साथ शेष रहने से रोकती हैं, अभिलेख प्राप्त करने वाली मध्यस्थ संस्था द्वारा कम से कम छह वर्षों के लिए या लागू कानूनों के अधीन निर्धारित अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(ग) मध्यस्थ संस्था निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आंतरिक जोखिम-आधारित नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को लागू करेगी-

(i) आवश्यक वायर ट्रांसफर प्रवर्तक या वायर ट्रांसफर लाभार्थी जानकारी की कमी वाले वायर ट्रांसफर को कब निष्पादित, अस्वीकार या निलंबित करना है; तथा

(ii) समुचित अनुवर्ती कार्रवाई।

अध्याय-VIII

आंतरिक नीतियां, अनुपालन, लेखापरीक्षा और प्रशिक्षण

8.1. <u>आंतरिक नीतियां</u>

विनियमित एंटिटी एमएल/टीएफ को रोकने में मदद करने के लिए अपने एमएल/टीएफ जोखिमों और व्यवसाय के आकार को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को विकसित और कार्यान्वित करेगी, और अपने कर्मचारियों को इसकी सूचना देगी।

<u>दिशानिदेश लेख:</u>

चूंकि आंतरिक नीतियां और प्रक्रियाएं एएमएल/सीएफटी कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करती हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि विनियमित एंटिटी अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं

को समयबद्ध तरीके से अद्यतन करे, ताकि नए परिचालन, विधिक और नियामक विकास और उभरते या नए एमएल/टीएफ जोखिम को ध्यान में रखा जा सके।

8.2. <u>अनुपालन</u>

(क) विनियमित एंटिटी प्रबंधन स्तर पर प्रधान अधिकारी की नियुक्ति या पदनाम सहित उचित अनुपालन प्रबंधन विकसित करेगी और अनुपालन ढांचा भी विकसित करेगी।

(ख) विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रधान अधिकारी, साथ ही उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, उपयुक्त रूप से योग्य है और उसके पास सभी ग्राहक अभिलेख और अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए पर्याप्त संसाधन और समय पर पहुंच है, जिसकी उसे अपने कार्य निर्वहन के लिए आवश्यकता हो सकती है ।

(ग) विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रधान अधिकारी के पास अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से करने के लिए विनियमित एंटिटी के भीतर आवश्यक वरिष्ठता और अधिकार है।

(घ) प्रधान अधिकारी की जिम्मेदारियों में निम्नांकित शामिल होंगे:

(i) इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए व्यावसायिक संबंधों की निगरानी करना, या निगरानी के संचालन की देखरेख करना;

(ii) इन दिशानिदेशों के अनुपालन को बढ़ावा देना और संगठन के भीतर सभी एएमएल/सीएफटी मामलों का समग्र प्रभार ग्रहण करना;

(iii) नियामक परिवर्तनों के बारे में कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रतिनिधियों को तुरंत सूचित करना;

(iv) किसी भी मामले में त्वरित और उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना जिसमें एमएल / टीएफ का संदेह है;

(v) संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग या उसकी निगरानी करना;

(vi) एएमएल/सीएफटी पर आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को विकसित करने और लागू करने के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रतिनिधियों को सलाह देना और प्रशिक्षण देना;

(vii) इन दिशानिदेशों और जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं के साथ विनियमित एंटिटी के अनुपालन की समीक्षा के परिणाम पर वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्ट करना; तथा

(viii) प्रमुख एएमएल/सीएफटी जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण मुद्दों पर नियमित रूप से रिपोर्ट करना, और किसी भी आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई, जो विनियमित एंटिटी के वरिष्ठ प्रबंधन को लेखा-परीक्षा, निरीक्षण और अनुपालन समीक्षाओं से उत्पन्न होती है।

(ङ) विनियमित एंटिटी के व्यावसायिक हितों को प्रधान अधिकारी की उपर्युक्त जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और संभावित हितों के टकराव से बचा जाना चाहिए।

(च) निष्पक्ष निर्णयों को सक्षम करने और प्रबंधन को निष्पक्ष सलाह की सुविधा के लिए, प्रधान अधिकारी को आंतरिक लेखा-परीक्षा और व्यापार लाइन के कार्यों से अलग होना चाहिए। जहां व्यापार लाइनों और प्रधान अधिकारी की जिम्मेदारियों के बीच कोई संघर्ष उत्पन्न होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं होनी चाहिए कि एएमएल/सीएफटी सरोकारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए और विनियमित एंटिटी के प्रबंधन के उचित स्तर पर संबोधित किया जाए।

8.3. <u>अंकेक्षण</u>

(क) विनियमित एंटिटी एक लेखा-परीक्षा फ़ंक्शन को बनाए रखेगी जो पर्याप्त रूप से संसाधन और स्वतंत्र है, जो नियमित रूप से नियामक अपेक्षाओं और इन दिशानिदेशों के अनुपालन मेंविनियमित एंटिटी की आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन करने में सक्षम है।

(ख) विनियमित एंटिटी के एएमएल/सीएफटी ढांचे को आवधिक लेखा-परीक्षा के अधीन किया जाना चाहिए। इस तरह के लेखा-परीक्षा न केवल व्यक्तिगत व्यावसायिक कार्यों पर बल्कि विनियमित एंटिटी -व्यापी आधार पर भी किए जाने चाहिए। लेखा परीक्षकों को एमएल/टीएफ को रोकने के लिए किए गए उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करना चाहिए। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल होंगे:

(i) विनियमित एंटिटी की एएमएल/सीएफटी नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों, एमएल/टीएफ जोखिम मूल्यांकन ढांचे और जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अनुप्रयोग की पर्याप्तता का निर्धारण;

(ii) एएमएल/सीएफटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सामग्री और आवृत्ति, और कर्मचारी, अधिकारी और प्रतिनिधि द्वारा स्थापित एएमएल/सीएफटी नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा की समीक्षा करना; तथा

(iii) यह आकलन करना कि क्या गैर-अनुपालन के मामलों की सूचना वरिष्ठ प्रबंधन को समय पर दी जाती है। लेखा-परीक्षा की आवृत्ति और सीमा की समीक्षा पेश आए एमएल/टीएफ जोखिमों और विनियमित एंटिटी के व्यवसाय के आकार और जटिलता के अनुरूप होनी चाहिए।

8.4. <u>प्रशिक्षण और जागरूकता</u>

विनियमित एंटिटी निम्नांकित संपन्न करेगी:-

(क) सभी संबंधित कर्मचारियों को समय-समय पर एएमएल/सीएफटी प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ख) सुनिश्चित करेगी कि इसका एएमएल/सीएफटी प्रशिक्षण अपने कर्मचारियों को सक्षम बनाता है:

(i) अधिनियम और नियमों सहित एमएल/टीएफ से संबंधित लागू कानूनों को समझना;

(ii) एएमएल/सीएफटी से संबंधित अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों और उसमें किसी भी संशोधन/संशोधन को समझना;

(iii) एमएल/टीएफ से संबंधित लेन-देन और अन्य कार्यकलापों को पहचानना और उनसे निपटना;

(iv) कार्यकलाप के प्रकार को समझना जिसे संदिग्ध कार्यकलाप माना जा सकता है, जिसके लिए प्रधान अधिकारी को तत्काल सूचना दी जानी अपेक्षित है;

(v) एमएल/टीएफ में प्रचलित तकनीकों, विधियों और प्रवृत्तियों का ज्ञान है, जो विनियमित एंटिटी के व्यवसाय के लिए प्रासंगिक है;

(vi) एमएल/टीएफ से निपटने के लिए विनियमित एंटिटी के प्रधान अधिकारी और उपाधिकारी, जहां लागू हो, की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझना, जिसमें उनकी पहचान और कर्तव्य शामिल हैं; तथा,

(vii) अध्याय VI में वर्णित प्रासंगिक निष्कर्षों, सिफारिशों, मार्गदर्शन, निर्देशों, संकल्पों, प्रतिबंधों, नोटिसों या अन्य निष्कर्षों को समझना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि इसका एएमएल/सीएफटी प्रशिक्षण:

(i) अपने उत्पादों, सेवाओं, ग्राहकों, वितरण चैनलों, व्यापार भागीदारों, इसके लेन-देन के स्तर और प्रकृति सहित विनियमित एंटिटी की कार्यकलापों के लिए प्रासंगिक और अनुरूप है; तथा

(ii) उपर्युक्त उप-खंड (ग) (i) में मामलों से जुड़े एमएल/टीएफ जोखिम और कमजोरियों के विभिन्न स्तरों की पहचान करता और इसे इंगित करता है।

<u>दिशानिदेश लेख:</u> -

(1) विनियमित एंटिटी के सभी नए प्रासंगिक कर्मचारियों को विनियमित एंटिटी के साथ रोजगार शुरू करने के बाद उचित रूप से व्यावहारिक रूप से शीघ्रातिशीघ्र उचित एएमएल/सीएफटी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(2) एएमएल/सीएफटी प्रशिक्षण प्रदान करने का तरीका अनिवार्य रूप से औपचारिक नहीं हो सकता है और इसमें कोई भी माध्यम, जिसे उपयुक्त माना जाता है, शामिल हो सकता है ।

(3) प्रासंगिक कर्मचारी में वरिष्ठ प्रबंधन का सदस्य या परिचालन स्टाफ, ग्राहक संपर्क वाला कोई कर्मचारी या ग्राहक के पैसे या संपत्ति की संभाल करने या संभाल सकने वाला कोई अन्य कर्मचारी जो अन्यथा व्यावसायिक संदर्भ में एमएल/टीएफ का सामना कर सकता है, शामिल हो सकता है।

अध्याय- IX

अभिलेख रखना

9. **अभिलेख अनुरक्षण**

9.1. विनियमित एंटिटी निम्नलिखित अभिलेख बनाए रखेगी:

(क) प्रारंभिक और जारी ग्राहक यथोचित कर्मठता में प्राप्त सभी दस्तावेजों और सूचनाओं की प्रति;

(ख) ग्राहक व्यापार संबंधों के अभिलेख (मूल और प्रमाणित दोनों प्रतियां), जिसमें निम्नांकित शामिल हैं: -

(i) व्यवसाय का पत्राचार और ग्राहक के खाते से संबंधित अन्य जानकारी;

(ii) स्वत: पूर्ण लेन-देन को फिर से बनाने में सक्षम बनाने के लिए लेन-देन के पर्याप्त अभिलेख; तथा

(iii) व्यापार लेन-देन या अन्य लेन-देन से संबंधित आंतरिक निष्कर्ष और विश्लेषण, जहां लेन-देन या व्यवसाय असामान्य या संदिग्ध हो सकता है, चाहे वह संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट में परिणत हो या न हो;

(ग) खंड 10.1(ख) के अधीन की गई अधिसूचनाएं;

(घ) संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट और आंतरिक निष्कर्ष और विश्लेषण सहित किसी भी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज और जानकारी;

(ङ) कोई प्रासंगिक संचार, यदि एफआईयू के साथ किया जाता है;

(च) खंड 9.4 में संदर्भित दस्तावेज; तथा

(छ) कोई अन्य मामला जिसे विनियमित एंटिटी को इन दिशानिदेशों के अधीन स्पष्ट रूप से अभिलेख करने और बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है।

9.2. विनियमित एंटिटी कम से कम छह वर्षों के लिए या लागू कानूनों के अधीन निर्धारित अवधि के लिए, जिस तारीख से व्यावसायिक संबंध समाप्त हो गया है या लेन-देन पूरा हो गया है, सभी आवश्यक अभिलेख को संरक्षित करेगा।

9.3. विनियमित एंटिटी प्राधिकरण या किसी भी कानून प्रवर्तन अभिकरण को अनुरोध पर तुरंत इन दिशानिदेशों के अधीन उसके द्वारा बनाए गए अभिलेख की एक प्रति प्रदान करेगी।

9.4. <u>जोखिम मूल्यांकन दस्तावेज</u>

विनियमित एंटिटी सभी जोखिम मूल्यांकन दस्तावेजों को रखेगी और बनाए रखेगी और अनुरोध पर प्राधिकरण को तुरंत सभी प्रासंगिक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करेगी, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं: -

(क) खंड 3.1 के अनुसार उनके द्वारा किया गया व्यापार जोखिम मूल्यांकन;

(ख) खंड 4.1(क) के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए (क) में व्यापार जोखिम मूल्यांकन का उपयोग कैसे किया गया था;

(ग) खंड 4.1(क)(i) के अधीन किए गए अपने ग्राहक का जोखिम मूल्यांकन; तथा,

(घ) खंड 4.1 (क)(ii) के अधीन किए गए जोखिम रेटिंग का निर्धारण।

<u>दिशानिदेश लेख</u>: -

(1) विनियमित एंटिटी अधिनियम, नियमों और इन दिशानिदेशों के अधीन किसी भी अन्य लागू उपबंधों के साथ नियम 3, 4 और 5 के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करेगी।

(2) उपर्युक्त अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखा जा सकता है, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसे अभिलेख आसानी से सुलभ हों और मांग पर प्राधिकरण या अन्य कानून प्रवर्तन अभिकरण को तुरंत उपलब्ध कराए जाएं।

(3) जहां किसी ग्राहक के साथ व्यापार संबंध समाप्त होने की तारीख अस्पष्ट रहती है, इसे अंतिम लेन-देन के पूरा होने की तारीख को समाप्त माना जाएगा।

(4) विनियमित एंटिटी अभिलेखों के उचित रख-रखाव और परिरक्षण के लिए इस तरह से एक प्रणाली विकसित करेगी जिससे:

(क) डेटा जब भी आवश्यक हो या सक्षम अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आसानी से और जल्दी से पुनर्प्राप्त किया जा सके;

(ख) प्राधिकरण या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी लागू कानूनों के साथ विनियमित एंटिटी के अनुपालन का आकलन करने में सक्षम है;

(ग) ग्राहक या तीसरे पक्ष की पहचान;

(घ) यह किसी भी लेन-देन के पुनर्निर्माण की अनुमति देता है जिसे ग्राहक या अन्य तीसरे पक्ष की ओर से विनियमित एंटिटी द्वारा या उसके माध्यम से संसाधित किया गया था।

9.5 जहां खंड 9.1 में संदर्भित अभिलेख आईएफएससी के बाहर विनियमित एंटिटी द्वारा रखे जाते हैं, विनियमित एंटिटी निम्नांकित करेगी:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगी कि अभिलेख इन दिशानिदेशों के अनुरूप रखे गए हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि अभिलेख इसके लिए आसानी से सुलभ हैं; तथा

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि प्राधिकरण द्वारा वांछित होने पर अभिलेख तुरंत निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

9.6. <u>सभी विनियमित एंटिटियां</u>:

(क) सत्यापित करेगी कि क्या गोपनीयता या डेटा संरक्षण कानून हैं जो भारत की विनियमित एंटिटियों, प्राधिकरण या कानून प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा खंड 9.1 में संदर्भित अभिलेख तक बिना देरी के पहुंच को प्रतिबंधित करेंगे; तथा

(ख) जहां ऐसा कानून मौजूद है, बिना देरी के, प्रासंगिक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करें और ऐसी प्रतियों को एक क्षेत्राधिकार में रखें जो उपर्युक्त खंड (क) में संदर्भित उन व्यक्तियों द्वारा उपयोग की अनुमति देता है।

9.7 विनियमित एंटिटियां प्रासंगिक प्रशिक्षण अभिलेख के रखरखाव सहित उपयुक्त उपायों के माध्यम से यह बताने में सक्षम होंगी कि उन्होंने अध्याय VIII में प्रशिक्षण अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

अध्याय X

संदिग्ध लेन-देन की पहचान की प्रक्रिया

10.1. <u>आंतरिक रिपोर्टिंग अपेक्षाएं</u>

(क) विनियमित एंटिटी संभावित एमएल/टीएफ के संबंध में संदिग्ध लेन-देन की निगरानी और पता लगाने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों को स्थापित और बनाए रखेगी।

(ख) विनियमित एंटिटी ऐसी नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों को स्थापित करेगी जो यह सुनिश्चित करती हैं कि जब भी उसका कोई कर्मचारी, अपने रोजगार के सामान्य क्रम में कार्य कर रहा हो, वह या तो:

(i) जानता है;

(ii) संदिग्ध है; या

(iii) जानने या संदेह करने का उचित आधार हैं;

कि कोई व्यक्ति एमएल/टीएफ में संलिप्त है या प्रयास कर रहा है, तो वह कर्मचारी सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ विनियमित एंटिटी के प्रधान अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा।

10.2 <u>संदिग्ध लेन-देन के संकेत</u>

विनियमित एंटिटी इन चार चरणों का पालन करके संदिग्ध लेन-देन की पहचान कर सकती है:

(क) संदिग्ध संकेतक का पता लगाकर;

(ख) ग्राहक से प्रश्न पूछ कर;

(ग) ग्राहक के अभिलेख की समीक्षा करके; तथा

(घ) उपर्युक्त जानकारी का मूल्यांकन करके।

(क) <u>संदिग्ध संकेतकों का पता लगाना</u>

संदिग्ध लेन-देन की पहचान करने में पहला कदम संकेतकों का पता लगाना है कि लेन-देन में अवैध कार्यकलाप से प्राप्त धन शामिल हो सकता है या यह कि लेन-देन अवैध कार्यकलाप से प्राप्त धन को छिपाने का प्रयास है या इसका कोई व्यवसाय या स्पष्ट वैध उद्देश्य नहीं है।

<u>दिशानिदेश लेख</u>: -

1) संदिग्ध संकेतक "लाल ध्वजा" के रूप में कार्य करते हैं और किसी विशेष ग्राहक या लेन-देन पर अधिक ध्यान देने के लिए विनियमित एंटिटी के लिए सजग करते हैं। इन संकेतकों में निम्नांकित शामिल हैं:

(क) जटिल, असामान्य या बड़े लेन-देन जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या वैध उद्देश्य नहीं है;

(ख) लेन-देन का असामान्य पैटर्न जिसका कोई स्पष्ट आर्थिक या वैध उद्देश्य नहीं है;

(ग़) लेन-देन (या लेन-देन का प्रयास) ज्ञात पृष्ठभूमि, प्रकृति और ग्राहक के प्रकार से मेल नहीं खाता है, जिसमें धन का स्रोत भी शामिल है;

घ) असामान्य ग्राहक व्यवहार;

(ङ) जिन ग्राहकों की पहचान का सत्यापन कठिन लगता है या जो ग्राहक असहयोगी दिखाई देते हैं;

(च) ग्राहकों के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं जहां धन का स्रोत स्पष्ट नहीं है या व्यावसायिक कार्यकलाप को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की स्थिति स्पष्ट नहीं है;

(छ) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार में बसे हुए ग्राहक;

(ज) बिना किसी स्पष्ट कारण के व्यापार में पर्याप्त वृद्धि; या

(झ) जाहिर तौर पर असंबंधित तीसरे पक्ष को निवेश की आय के हस्तांतरण का प्रयास ।

2) संदिग्ध संकेतकों की उपस्थिति तुरंत आपराधिकता या संदेह के बराबर नहीं होती है। इसके बजाय, एक संकेतक का पता लगाना विशेष रूप से संकेतकों के संयोजन से विनियमित एंटिटी को निगरानी बढ़ाने और यह आकलन करने के लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि क्या लेन-देन को संदिग्ध के रूप में एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ख) <u>ग्राहक से प्रश्न पूछना</u>

(i) यदि एक या अधिक संदिग्ध संकेतक पाए जाते हैं, तो विनियमित एंटिटी और उसके कर्मचारी ग्राहक से प्रासंगिक और उचित प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उस अभिलक्षित संकेतक के बारे में उचित स्पष्टीकरण है या नहीं।

(ii) विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे प्रश्न पूछते समय, वे ग्राहक को "टिप-ऑफ" न करें। इसके बजाय, सेवा दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(ग) <u>ग्राहक के अभिलेख की समीक्षा करना</u>

अगला कदम यह निर्धारित करना है कि ग्राहक के बारे में जो ज्ञात है उसे देखते हुए पहले पहचाने गए संदिग्ध संकेतक उचित हैं या नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए, विनियमित एंटिटी अपने ग्राहक के अभिलेख की समीक्षा करेगी और ग्राहक के बारे में पहले से ज्ञात सभी सूचनाओं पर विचार करेगी। इसमें निम्नांकित शामिल हो सकते हैं:

(i) ग्राहक का सामान्य व्यवसाय, व्यापार या प्रमुख कार्यकलाप;

(ii) ग्राहक का लेन-देन इतिहास;

(iii) ग्राहक का जोखिम प्रोफाइल;

(iv) ग्राहक की आय का स्तर;

(v) ग्राहकों की आय का स्रोत जैसा कि खाता खोलने या आरंभिक जुड़ाव के दौरान बताया गया है;

(vi) ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए लेन-देन के कारण;

(vii) धन के प्रेषक या लाभार्थी के साथ ग्राहक का "संबंध";

(viii) लेन-देन की आवृत्ति;

(ix) लेन-देन का आकार और जटिलता;

(x) लेन-देन में शामिल किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) की पहचान या स्थान;

(xi) समान व्यवसाय या व्यवसाय श्रेणी में ग्राहकों के सामान्य या विशिष्ट वित्तीय, व्यवसाय या परिचालन व्यवहार या व्यवहार; तथा

(xii) पहचान दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों की उपलब्धता।

पूर्वोक्त समीक्षा के बाद यदि विनियमित एंटिटी को पता चलता है कि ग्राहक की प्रोफ़ाइल बदल गई है, तो वह ग्राहक की प्रोफ़ाइल को अद्यतन करेगी।

(घ) एकत्रित जानकारी का मूल्यांकन करना

(क) विनियमित एंटिटी इसका मूल्यांकन करना:

(i) संदिग्ध संकेतक,

(ii) पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से ग्राहक से मांगी गई जानकारी, और

(iii) ग्राहक के बारे में ज्ञात जानकारी यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह संदेह करने के लिए उचित आधार हैं कि लेन-देन एमएल/टीएफ या किसी अन्य गंभीर अपराध के कृत्य से संबंधित है।

(ख) यदि विनियमित एंटिटी यह निष्कर्ष निकालती है कि संदेह करने के लिए उचित आधार हैं कि लेन-देन या लेन-देन का प्रयास एमएल/टीएफ या किसी अन्य गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है, तो उसे इस संदेह की रिपोर्ट करनी चाहिए

दिशानिदेश लेख: -

1) विनियमित एंटिटी को इस मूल्यांकन के आधार पर अपने संदेह के कारणों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। यदि कोई विनियमित एंटिटी संदेह के उचित आधार स्थापित करने में असमर्थ है, तो उसे ग्राहक या व्यावसायिक संबंधों की निगरानी जारी रखनी चाहिए।

2) ग्राहक के कार्यकलाप की निगरानी करके, विनियमित एंटिटी बाद की तारीख में उपर्युक्त किसी भी चरण (पता लगाना, पूछना, समीक्षा करना और मूल्यांकन करना) पर वापस लौट सकती है और यह पता लगा सकती है कि नए तथ्य और संदर्भ संदेह सीमा के उचित आधार को पूरा करने के लिए संदेह कर सकते हैं। ।

3) किसी भी संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता सभी प्रकार के लेन-देन पर लागू होती है। संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने के लिए कोई न्यूनतम मौद्रिक सीमा राशि नहीं है। इस प्रकार, लेन-देन की मुद्रा या राशि की परवाह किए बिना संदिग्ध माने जाने वाले लेन-देन को एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाना चाहिए।

4) यदि कोई विनियमित एंटिटी ग्राहक की पहचान का संतोषजनक प्रमाण प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो विनियमित एंटिटी को लेन-देन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक कि एफआईयू-आईएनडी द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित रूप में निदेशित नहीं किया जाता है।

5) यदि विनियमित एंटिटी ग्राहक की विफलता या पर्याप्त पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने के कारणों को अनुचित या संदिग्ध मानती है, तो वह संदिग्ध लेन-देन के रूप में एफआईयू-आईएनडी को प्रयास किए गए लेन-देन की रिपोर्ट करेगी।

संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग

10.3. वित्तीय आसूचना इकाई के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ - भारत

विनियमित एंटिटी निदेशक, वित्तीय खुफिया एंटिटी-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को नियमों के नियम-3 में निर्दिष्ट आवश्यक जानकारी और उसके नियम-7 की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

दिशानिदेश लेख: -

1) एफआईयू-आईएनडी द्वारा निर्धारित या जारी रिपोर्टिंग प्रारूप और व्यापक रिपोर्टिंग प्रारूप गाइड और निर्धारित रिपोर्ट तैयार करने में विनियमित एंटिटियों की सहायता के लिए विकसित रिपोर्ट सृजन उपयोगिता और रिपोर्ट सत्यापन उपयोगिता पर ध्यान दिया जाएगा। संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज करने के लिए संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपयोगिताओं, जिसे एफआईयू-आईएनडी ने अपनी वेबसाइट पर रखा है, का उपयोग उन विनियमित एंटिटियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें अपने लाइव लेन-देन डेटा से एसटीआर निकालने के लिए उपयुक्त तकनीकी उपकरण स्थापित करना/अपनाना शेष है।

2) निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को सूचना प्रस्तुत करते समय, लेन-देन की सूचना नहीं देने में प्रत्येक दिन की देरी या नियम में निर्दिष्ट समय-सीमा से परे गलत प्रतिनिधित्व वाले लेन-देन को सुधारने में प्रत्येक दिन की देरी अलग तरह का उल्लंघन होगी।

3) जब लेन-देन जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों के अद्यतन प्रोफाइल के साथ असंगत हों तो चेतावनी देने के लिए मजबूत सॉफ्टवेयर को संदिग्ध लेन-देन की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में उपयोग में लाया जाएगा।

4) नियमों के अनुसार, विनियमित एंटिटियों को निम्नलिखित पते पर निदेशक, वित्तीय खुफिया एंटिटी-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को संदिग्ध लेन-देन से संबंधित जानकारी की रिपोर्ट करना अनिवार्य है:

निदेशक, एफआईयू-आईएनडी,

वित्तीय खुफिया एंटिटी-भारत,

छठी मंजिल, टावर-2,

जीवन भारती बिल्डिंग,

कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली-110001,

टेलीफोन: 91-11-23314429, 23314459

वेबसाइट: http://fiuindia.gov.in

5) विनियमित एंटिटियां एफआईयू-आईएनडी की वेबसाइट पर उपलब्ध सभी रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और प्रारूपों को ध्यान से देखेंगी।

(क) इसके अलावा, नियमों के अनुसार, विनियमित एंटिटियां अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का पालन करेंगी:

(i) संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी कि कोई भी लेन-देन या लेन-देन की एक श्रृंखला जो एकीकृत रूप से जुड़ी हुई है, संदिग्ध प्रकृति की है। प्रधान अधिकारी किसी भी लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला को संदिग्ध मानने के कारणों को दर्ज करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई अनुचित देरी न हो।

(ii) प्रत्येक महीने के लिए गैर-लाभकारी संगठन लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) अगले महीने की 15 तारीख तक एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत की जाएगी।

(iii) एफआईयू-आईएनडी को एसटीआर और एनटीआर को समय पर जमा करने के लिए प्रधान अधिकारी जिम्मेदार होंगे;

(iv) एफआईयू-आईएनडी को एसटीआर और एनटीआर दाखिल करने में अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

10.4. संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) की गोपनीयता

(क) विनियमित एंटिटियां और उसके कर्मचारी या एजेंट किसी भी व्यक्ति (ग्राहक सहित) को खुलासा नहीं करेंगे:

(i) कि उसने एफआईयू-आईएनडी को संदिग्ध लेन-देन की सूचना दी है या इस बारे में रिपोर्ट करेगा;

(ii) कि इसने किसी विशेष ग्राहक के लेन-देन पर संदेह पैदा किया है; या

(iii) कोई अन्य जानकारी जिसके कारण व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संदेह किया गया है या एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट दी गई है या की जा सकती है।

(ख) केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में संदिग्ध लेन-देन पर जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति है:

(i) उस व्यक्ति के कर्तव्यों के प्रदर्शन से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए विनियमित एंटिटी के किसी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट को प्रकटीकरण;

(ii) मामले पर कानूनी सलाह प्राप्त करने के उद्देश्य से वकील को प्रकटीकरण;

(iii) पर्यवेक्षी प्राधिकरण को प्रकटीकरण (इसे अपनी पर्यवेक्षी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए); या

(iv) अदालत के आदेश के अनुपालन में प्रकटीकरण।

(ग) विनियमित एंटिटियों और उसके कर्मचारियों को उनके विरुद्ध की गई किसी भी नागरिक, आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई से संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने के लिए संरक्षित किया जाता है।

दिशानिदेश लेख:

1) यदि कोई संदिग्ध/गैर-लाभकारी संगठन लेन-देन रिपोर्ट नहीं होता है तो एफआईयू-आईएनडी को कोई शून्य रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। विनियमित एंटिटियां उन खातों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगी जहां एसटीआर बनाया गया है। विनियमित एंटिटियों और उनके निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों (स्थायी और अस्थायी) को इस तथ्य का खुलासा ("टिपिंग ऑफ") करने से प्रतिबंधित किया जाएगा कि एसटीआर या संबंधित जानकारी की रिपोर्ट की जा रही है या एफआईयू-आईएनडी को प्रदान की जा रही है।

2) टिपिंग ऑफ पर यह प्रतिबंध न केवल एसटीआर और/या संबंधित जानकारी दाखिल करने तक, बल्कि एसटीआर जमा करने से पहले, उसके दौरान और बाद में भी लागू होता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर ग्राहक को कोई सूचना न दी जाए।

3) यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियमित एंटिटियां, यदि उनके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि लेन-देन अपराध की आय शामिल है तो लेन-देन की राशि और/या अधिनियम की अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट विधेय अपराधों के लिए परिकल्पित सीमा पर ध्यान दिए बिना, एसटीआर दाखिल करेंगी।

10.5. अतिरिक्त उपाय

(क) जब ग्राहक की ओर से या ग्राहक के लिए, निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में वकील, नोटरी, एकाउंटेंट, और ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं वित्तीय लेन-देन में संलग्न हों: तो वे संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट करेंगी, -

(i) अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री;

(ii) ग्राहक के पैसे, प्रतिभूतियों या अन्य परिसंपत्तियों का प्रबंधन;

(iii) बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन;

(iv) कंपनियों के निर्माण, संचालन या प्रबंधन के लिए योगदान का आयोजन;

(v) विधिक व्यक्तियों या व्यवस्थाओं का निर्माण, संचालन या प्रबंधन, और व्यावसायिक संस्थाओं की खरीद और बिक्री।

अध्याय- XI

अंतरराष्ट्रीय समझौतों और देशीय कानूनों के अधीन अनुपालन दायित्व

11.1. अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के अंतरराष्ट्रीय समझौतों के संप्रेषणों के अधीन अपेक्षाएँ/दायित्व -

(क) विनियमित एंटिटियां यह सुनिश्चित करेंगी कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 51क और उसमें संशोधन के अनुसार, व्यक्तियों की सूची में आने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं और संस्थाएं, जिनके आतंकवादी लिंक होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर परिचालित किया जाता है, के नाम पर उनका कोई खाता नहीं है। दो सूचियों का विवरण इस प्रकार है:

(i) "आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची", जिसमें अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं। अद्यतन आईएसआईएल और अल-कायदा प्रतिबंध सूची यहां उपलब्ध है: https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida-r.xsl

(ii) तालिबान से जुड़े व्यक्तियों (समेकित सूची की धारा क) और संस्थाओं (खंड ख) से मिलकर "1988 प्रतिबंध सूची", जो यहां उपलब्ध है:

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/taliban-r.xsl

(ख) उपर्युक्त सूचियों में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति/संस्थाओं से मिलते-जुलते खातों का विवरण, यूएपीए आदेश के अधीन आवश्यक गृह मंत्रालय को सलाह देने के अलावा एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा, जिसकी फाइल संख्या 14014/01/2019/सीएफटी दिनांक 2 फरवरी, 2021 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सीटीसीआर डिवीजन द्वारा जारी किया गया, जो https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ProcedureImplementationSection51A_30032021.pdf पर उपलब्ध है।

(ग) उपर्युक्त के अलावा, आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर किसी अन्य क्षेत्राधिकार/संस्थाओं के संबंध में परिचालित अन्य यूएनएससी प्रस्तावों को भी आवश्यक अनुपालन के लिए नोट किया जाएगा।

11.2. गैरकानूनी कार्यकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अधीन संपत्तियों को फ्रीज करना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सीटीसीआर प्रभाग द्वारा जारी 2 फरवरी, 2021 की फाइल संख्या 14014/01/2019/सीएफटी वाले यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यूएपीए के लिए नोडल अधिकारियों की सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

11.3. क्षेत्राधिकार जो एफएटीएफ अनुशंसाओं को लागू नहीं करते या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं

(क) समय-समय पर प्रसारित एफएटीएफ वक्तव्य, और एफएटीएफ सिफारिशों को लागू नहीं करने वाले या अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों की पहचान के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर विचार किया जाएगा। एफएटीएफ विवरण में शामिल क्षेत्राधिकारों के ईमएल/सीएफटी शासन में कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) एफएटीएफ के बयानों में शामिल एफएटीएफ सिफारिशों और क्षेत्राधिकारों को लागू नहीं करने वाले या अपर्याप्त रूप से लागू होने वाले या वहां से आने वाले व्यक्तियों (विधिक व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ व्यापार संबंधों और लेन-देन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण: ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया, एफएटीएफ विवरण में उल्लिखित देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध व्यापार और व्यावसायिक लेन-देन करने से विनियमित एंटिटियों को नहीं रोकती है।

(ग) एफएटीएफ वक्तव्यों में शामिल क्षेत्राधिकारों से व्यक्तियों (विधिक व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ लेन-देन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य और ऐसे देश जो एफएटीएफ सिफारिशों को पूर्वोक्त रूप से लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से लागू होते हैं, और लिखित निष्कर्ष, सभी के साथ दस्तावेजों को रखा जाएगा और अनुरोध करने पर प्राधिकरण और अन्य संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

11.4. गोपनीयता दायित्व और सूचना साझा करना:

(क) विनियमित एंटिटी ग्राहक की जानकारी के बारे में गोपनीयता बनाए रखेगी जो उसके और ग्राहक के बीच संविदात्मक संबंधों से उत्पन्न होती है।

(ख) खाता खोलने के उद्देश्य से ग्राहकों से एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना उसका विवरण प्रकट नहीं किया जाएगा।

(ग) सरकार और अन्य अभिकरणों से डेटा/सूचना के अनुरोधों पर विचार करते समय, विनियमित एंटिटी स्वयं को संतुष्ट करेगी कि मांगी जा रही जानकारी ऐसी प्रकृति की नहीं है जो गोपनीयता से संबंधित विधियों के उपबंधों का उल्लंघन करेगी।

(घ) उपर्युक्त दायित्वों के अपवाद निम्नानुसार होंगे:

(i) जहां प्रकटीकरण कानून की बाध्यता के अधीन है;

(ii) जहां खुलासा करना जनता का कर्तव्य है;

(iii) जहां विनियमित एंटिटी के हित के प्रकटीकरण की आवश्यकता है; तथा

(iv) जहां प्रकटीकरण ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति से किया जाता है।

11.5. विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (सीआरएस) के अधीन रिपोर्टिंग की आवश्यकता

एफएटीसीए और सीआरएस के अधीन, विनियमित एंटिटी आयकर नियम 114च, 114छ और 114ज के उपबंधों का पालन करेगी और यह निर्धारित करेगी कि क्या यह रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान है जैसा कि आयकर नियम 114ज में परिभाषित है और यदि ऐसा है, तो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगा:

(क) रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थानों के रूप में आयकर विभाग के संबंधित ई-फिलिंग पोर्टल पर लिंक पर पंजीकरण करें: https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post login > My Account --> रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकरण करें;

(ख) ऑनलाइन रिपोर्ट प्ररूप 61ख में अपलोड करके 'नामित निदेशक' के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके या 'शून्य' रिपोर्ट जमा करें, जिसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा तैयार की गई स्कीम को संदर्भित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: नियम 114ज के संदर्भ में रिपोर्ट करने योग्य खाते वित्तीय एंटिटी फोरेन करंसी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा अपनी वेबसाइट *https://fedai.org.in/* पर प्रकाशित स्पॉट रेफरेंस दरों को पहचानने के उद्देश्यों के लिए यथोचित कर्मठता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संदर्भित करेगी।

(ग) नियम 114ज में यथा उपबंधित यथोचित कर्मठता प्रक्रिया को पूरा करने और उसे अभिलेख करने और बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचे का विकास करना।

(घ) आईटी ढांचे और आयकर नियमों के नियम 114च, 114छ और 114ज के अनुपालन के लिए लेखा-परीक्षा की प्रणाली विकसित करना।

(ङ) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नामित निदेशक या किसी अन्य समकक्ष अधिकारी के अधीन "उच्च स्तरीय निगरानी समिति" का गठन करेगी।

(च) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी अद्यतन निर्देशों/नियमों/मार्गदर्शन नोटों/प्रेस विज्ञप्तियों का अनुपालन सुनिश्चित करें और वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर उपलब्ध हैं। विनियमित एंटिटी निम्नलिखित पर भी ध्यान देगी:

(i) एफएटीसीए और सीआरएस पर अद्यतन मार्गदर्शन नोट; तथा

(ii) नियम 114ज के अधीन 'वित्तीय खातों को बंद करने' के बारे में प्रेस विज्ञप्ति।

11.6. केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ भारतीय निवासी (स्थानीय और कानूनी एंटिटियों) से संबंधित केवाईसी जानकारी साझा करना:

(क) नियमों के नियम 9(1क) के उपबध के अनुसार, विनियमित एंटिटी ग्राहक के केवाईसी अभिलेख को कैप्चर करेगी और ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध शुरू होने के 10 दिनों के भीतर प्ररूप और तरीके से सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेगी। केंद्रीकृत केवाईसी प्रचालन दिशानिदेश, 2016, केंद्रीय भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) द्वारा जारी किया गया है और यह सुनिश्चित करेगा कि:

(i) अपलोड किए जाने वाले केवाईसी अभिलेख सीईआरएसएआई द्वारा जारी केवाईसी टेम्पलेट के अनुसार हैं।

(ii) सीकेवाईसीआर द्वारा एक बार केवाईसी पहचानकर्ता सृजित हो जाने पर, ग्राहक को इसकी सूचना दी जाती है।

(iii) इसने अंतिम केवाईसी सत्यापन किया है या ग्राहक के संबंध में सीकेवाईसीआर को अद्यतन जानकारी भेजी है।

(ख) जहां एक ग्राहक, खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए, सीकेवाईसीआर से अभिलेख डाउनलोड करने के लिए स्पष्ट सहमति के साथ केवाईसी पहचानकर्ता को विनियमित एंटिटी को प्रस्तुत करता है, ऐसी विनियमित एंटिटी सीकेवाईसीआर से ऑनलाइन केवाईसी अभिलेख प्राप्त करेगी। केवाईसी पहचानकर्ता और ग्राहक को एक ही केवाईसी अभिलेख या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि -

(i) सीकेवाईसीआर के अभिलेख में मौजूद ग्राहक की जानकारी में परिवर्तन है;

(ii) ग्राहक के वर्तमान पते को सत्यापित करना आवश्यक है; तथा,

(iii) विनियमित एंटिटी ग्राहक की पहचान या पते को सत्यापित करने के लिए, या बढ़ी हुई यथोचित कर्मठता करने या ग्राहक की उपयुक्त जोखिम प्रोफ़ाइल बनाने के लिए इसे आवश्यक समझती है।

दिशानिदेश लेख

नियमों के नियम 9क के अधीन, भारतीय नागरिकों के मामले में, विनियमित एंटिटी को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री में केवाईसी अभिलेख जमा करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह आवश्यकता विदेशी नागरिकों के मामले में लागू नहीं होगी।

अध्याय XII

समूह, शाखाएं और सहायक कंपनियां

12.1. **केवाईसी/एएमएल-सीएफटी मानकों के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का दायित्व**

(क) आईएफएससी में शामिल विनियमित एंटिटी, इन दिशानिदेशों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एएमएल/सीएफटी के बारे में समूह नीति विकसित करेगी और इसे अपनी सभी शाखाओं और बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भी लागू करेगी। समूह नीतियों में निम्नांकित शामिल होना चाहिए:

(i) कर्मचारियों को कार्य पर रखते समय उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुपालन प्रबंधन व्यवस्था और पर्याप्त स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का विकास;

(ii) चालू कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम; तथा

(iii) प्रणाली का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र लेखा-परीक्षा कार्य।

(ख) विनियमित एंटिटी अपनी सभी शाखाओं और बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को समूह नीति के बारे में बताएगी और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

(ग) जहां किसी अन्य क्षेत्राधिकार में केवाईसी/एएमएल-सीएफटी मानक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानकों से भिन्न होते हैं, विनियमित एंटिटी को उस क्षेत्राधिकार में अपनी शाखा या बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा अनुमत्य सीमा तक दो मानकों में से उच्चतर को उस क्षेत्राधिकार का कानून लागू करने की आवश्यकता होगी।

(घ) जहां किसी अन्य क्षेत्राधिकार का कानून केवाईसी / एएमएल-सीएफटी मानकों के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देता है जो कि आईएफएससी में शामिल विनियमित एंटिटी पर लागू होने वाले समकक्ष या उससे अधिक हैं, वहां विनियमित एंटिटी: -

(i) प्राधिकरण को लिखित में सूचित करेगी; तथा

(ii) संबंधित शाखा या सहायक कंपनी द्वारा उत्पन्न एमएल/टीएफ जोखिमों को रोकने के लिए उपयुक्त अतिरिक्त उपाय लागू करेगी।

(ङ) जहां विनियमित एंटिटी की किसी देश या क्षेत्राधिकार में शाखा या सहायक कंपनी है:

(i) जिसके लिए एफएटीएफ ने प्रति-उपायों का आह्वान किया है; या

(ii) इसे अपर्याप्त एएमएल/सीएफटी उपायों के लिए जाना जाता है, जैसा कि स्वयं के लिए विनियमित एंटिटी द्वारा पहचाना जाता है या प्राधिकरण या अन्य विदेशी नियामक प्राधिकरणों द्वारा विनियमित एंटिटियों को अधिसूचित किया जाता है;

विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उस शाखा या सहायक कंपनी के प्रबंधन द्वारा केवाईसी-एएमएल-सीएफटी मानकों पर उसकी समूह नीति का कड़ाई से पालन किया जाए।

12.2 <u>समूह नीति</u>

विनियमित एंटिटी, जो किसी वित्तीय समूह का हिस्सा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह:

(क) सीडीडी से संबंधित जानकारी साझा करने और एमएल/टीएफ जोखिम प्रबंधन सहित वित्तीय समूह संस्थाओं के बीच सूचना साझा करने के लिए अपनी समूह नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित और कार्यान्वित करे;

(ख) वित्तीय समूह संस्थाओं के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की गोपनीयता और उपयोग की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(ग) वित्तीय समूह के समग्र रूप से एमएल/टीएफ जोखिमों से अवगत है, वित्तीय समूह के संपर्क में है और उसने ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं;

(घ) वित्तीय समूह के लिए एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान करने और उनका आकलन करने के लिए समूह-व्यापी जोखिम मूल्यांकन में योगदान दिया है;

(ङ) एमएल/टीएफ जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक होने पर, अपनी शाखाओं और सहायक कंपनियों से अपने समूह-व्यापी अनुपालन, लेखा-परीक्षा और ग्राहक के एएमएल/सीएफटी कार्यों, खातों और लेन-देन की जानकारी प्रदान की है।

<u>अनुबंध- I</u>

<u>सीडीडी प्रक्रिया पर मार्गदर्शन</u>

<u>(खंड 5.4.3 देखें)</u>

<u>भाग- I</u>

<u>ग्राहकों की पहचान के लिए मार्गदर्शन</u>

ऑनबोर्डिंग ग्राहकों के लिए, विनियमित एंटिटी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकती है जो इन दिशानिदेशों के अधीन आवश्यक हो, इसके अलावा यह अधिनियम और नियमों के अधीन भी आवश्यक है। ऑनबोर्डिंग ग्राहकों के लिए प्राप्त की जाने वाली जानकारी की निदर्शी सूची नीचे दी गई है: -

(1) व्यैक्तिक के लिए

(i) किसी भी उपनाम सहित पूरा नाम;

(ii) विशिष्ट पहचान संख्या (जैसे पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, आदि);

(iii) जन्म तिथि;

(iv) राष्ट्रीयता;

(v) कानूनी अधिवास;

(vi) वर्तमान आवासीय पता; (डाकघर के बॉक्स पते के अलावा);

(vii) संपर्क विवरण जैसे व्यक्तिगत, कार्यालय या काम के टेलीफोन नंबर।

(viii) व्यवसाय या पेशा, नियोक्ता का नाम और कार्यकलाप का स्थान; (जहां लागू हो)

(ix) संचालित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति के बारे में जानकारी; (जहां लागू हो)

(x) धन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी; और (जहां लागू हो)

(xi) धन या आय के स्रोत के बारे में जानकारी। (जहां लागू हो)।

दिशानिदेश लेख

विनियमित एंटिटी ग्राहक के पते से भौतिक रूप से ग्राहक का पता लगाने में सक्षम होनी चाहिए।

(2) विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था के लिए

ऐसे मामलों में जहां ग्राहक विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था है, विनियमित एंटिटी, ग्राहक की पहचान करने के अलावा, कानूनी रूप, संविधान और शक्तियों की पहचान करेगी जो विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था को विनियमित और बाध्य करती हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित एंटिटियां ऐसे ग्राहक के संबंधित पक्षों या संबद्ध पक्षों की पहचान और संवीक्षा भी करेंगी और उन्हें संबंधित पक्षों को किसी भी परिवर्तन से अवगत कराया जाना चाहिए। संबद्ध पक्षों की पहचान के लिए, विनियमित एंटिटियां प्रत्येक संबंधित या संबद्ध पक्ष की निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेंगी:

(i) कोई उपनाम सहित पूरा नाम; तथा

(ii) विशिष्ट पहचान संख्या (जैसे पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, आदि)।

भाग II

ग्राहकों की पहचान के सत्यापन के लिए मार्गदर्शन

(1) निम्नलिखित दस्तावेजों के माध्यम से पहचान का सत्यापन:

(i) पासपोर्ट;

(ii) ड्राइविंग लाइसेंस;

(iii) आधार संख्या (भारतीय नागरिकों के लिए) धारिता का प्रमाण;

(iv) भारत के चुनाव आयोग (भारतीय नागरिकों के लिए) द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र;

(v) विदेशी नागरिकों के लिए, विदेशी क्षेत्राधिकार की सरकार या उनके द्वारा अधिकृत अभिकरणों द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसमें किसी विदेशी नागरिक की तस्वीर, नाम, जन्म तिथि और पता दर्शाया गया हो, ओवीडी माना जाएगा।

(2) जहां ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए सरल उपाय लागू किए जाते हैं, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों को भी ओवीडी माना जाएगा:

(i) केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा आवेदक की तस्वीर के साथ जारी पहचान पत्र;

(ii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसमें व्यक्ति की विधिवत सत्यापित तस्वीर हो।

(3) विनियमित एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक की पहचान के सत्यापन के उद्देश्य से उपयोग किया गया कोई भी दस्तावेज मूल दस्तावेज है।

(4) यदि कोई ग्राहक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है, या ग्राहक के लिए सत्यापन के लिए इसे जमा करना संभव नहीं है (उदाहरण के लिए, ऐसी स्थितियों में जहां विनियमित एंटिटी का ग्राहक के साथ कोई भौतिक संपर्क नहीं है, या ग्राहक की ऑनबोर्डिंग बेरुबरू मोड के माध्यम से की जाती है); विनियमित एंटिटी को ओवीडी की प्रति प्राप्त करनी चाहिए जो प्रमाणित 'स्वच्छ प्रति' हो और ऐसा प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा किया जा सकता है: -

(i) वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) के अनुपालन क्षेत्राधिकार में स्थित बैंक का अधिकृत अधिकारी जिसके साथ व्यक्ति का बैंकिंग संबंध है;

(ii) नोटरी पब्लिक (भारत के बाहर);

(iii) कोर्ट मजिस्ट्रेट (भारत के बाहर);

(iv) न्यायाधीश (भारत के बाहर);

(v) प्रमाणित सार्वजनिक या व्यावसायिक लेखाकार (भारत के बाहर);

(vi) अधिवक्ता (भारत के बाहर);

(vii) जिस देश का अनिवासी व्यक्ति नागरिक है उसका दूतावास/महावाणिज्य दूतावास; या

(viii) कोई अन्य प्राधिकरण जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(5) ओवीडी प्रमाणित करने वाला व्यक्ति से संपर्क करना संभव होना चाहिए।

(6) जहां ओवीडी का प्रमाणीकरण विनियमित एंटिटी के अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है, ऐसी प्रमाणित प्रति दिनांकित, हस्ताक्षरित और 'मूल दस्तावेज देखा गया/सत्यापित' के साथ चिह्नित की जानी चाहिए।

(7) जहां ग्राहक के पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य को सत्यापित करने के लिए सरलीकृत उपाय लागू किए जाते हैं, जहां एक संभावित ग्राहक पते का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित दस्तावेज को भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज माना जाएगा:

(i) उपयोगिता बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल) का दो महीने से अधिक पुराना न हो;

(ii) संपत्ति, नगरपालिका कर रसीद, नगर परिषद कर रसीद, या ऐसे अन्य समकक्ष दस्तावेज;

(iii) बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता विवरण या विदेशी बैंक का विवरण; (केवल कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए लागू)

(iv) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता है;

(v) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं की अनुमति और लाइसेंस समझौते; तथा

बशर्ते यह भी कि यदि किसी विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं है, तो विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज या भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।

(8) विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था की पहचान के सत्यापन के लिए प्राप्त किए जा सकने वाले दस्तावेजों की निदर्शी सूची इस प्रकार है:

(i) <u>कंपनी के मामले में</u>

(क) निगमन का प्रमाण पत्र;

(ख) ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख;

(ग) कंपनी के गृह क्षेत्राधिकार में प्रचलित पैन या समकक्ष दस्तावेज;

(घ) निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;

(ङ) ऐसे ओवीडी जो लाभार्थी स्वामियों, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों, या पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों, जैसा भी मामला हो, की पहचान के सत्यापन के लिए आवश्यक हैं, जो कंपनी की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत हैं।

(ii) साझेदारी/सीमित देयता भागीदारी के मामले में

(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र;

(ख) पार्टनरशिप डीड/सीमित देयता भागीदारी विलेख;

(ग़) साझेदारी फर्म के गृह क्षेत्राधिकार में प्रचलित पैन या समकक्ष दस्तावेज;

(घ) ऐसे ओवीडी जो लाभार्थी स्वामियों, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों, या पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों की पहचान के सत्यापन के लिए आवश्यक हैं, जैसा भी मामला हो, जो साझेदारी फर्म की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत हैं;

(ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज जो विनियमित एंटिटियों द्वारा सामूहिक रूप से ऐसी साझेदारी फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(iii) ट्रस्ट के मामले में

(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र;

(ख) ट्रस्ट डीड;

(ग) ट्रस्ट के गृह क्षेत्राधिकार में प्रचलित पैन या समकक्ष दस्तावेज;

(घ) ऐसे ओवीडी, जो ट्रस्ट की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत हैं, लाभकारी स्वामियों, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों, या पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों जैसा भी मामला हो, की पहचान के सत्यापन के लिए आवश्यक हैं।

(iv) अनिगमित संघों/निकायों के मामले में

(क) ऐसे संघ / निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प;

(ख) गृह क्षेत्राधिकार में पैन या समकक्ष प्रचलित दस्तावेज;

(ग) इसकी ओर से लेन-देन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;

(घ) ऐसे ओवीडी जो लाभार्थी स्वामियों, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों, या पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों, जैसा भी मामला हो, की पहचान के सत्यापन के लिए आवश्यक हैं जो अनिगमित संघों / निकायों की ओर से लेन-देन के लिए अधिकृत हैं;

(ङ) ऐसे अन्य दस्तावेज जो विनियमित एंटिटियों द्वारा सामूहिक रूप से ऐसे संघ/निकाय के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

भाग- III

ग्राहकों की पहचान के सत्यापन के विभिन्न तरीके

(i) व्यापार सुविधाकर्ताओं का उपयोग;

(ii) उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को छोड़कर, सत्यापन के निम्नलिखित तरीके पर भी विचार किया जा सकता है: -

(क) आधिकारिक स्रोत (जैसे नियामक या अन्य आधिकारिक सरकारी वेबसाइट) से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी डाउनलोड करना।

(ख) एक प्रतिष्ठित कंपनी से प्राप्त सीडीडी जानकारी और शोध या इंटरनेट और वाणिज्यिक डेटाबेस पर मिली विश्वसनीय और स्वतंत्र सार्वजनिक जानकारी से प्राप्त जानकारी भी विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्वीकार्य हो सकती है, बशर्ते कि वाणिज्यिक डेटाबेस को इस तरह के उद्देश्य के लिए गृह नियामक द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

व्यापार सुविधाकर्ता पर मार्गदर्शन नोट: -

1) विनियमित एंटिटी अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार सुविधाकर्ताओं की पहचान कर सकती है और ग्राहक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के साथ उनके साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करेगी।

2) जहां ऐसी सेवाओं का उपयोग किया जाता है, वहां विनियमित एंटिटी ग्राहक की सहायता करने वाले व्यापार सुविधाकर्ताओं के विवरण को बनाए रखेगी। ग्राहक यथोचित कर्मठता की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा विनियमित एंटिटियों की होगी।

3) विनियमित एंटिटी खाता खोलने के लिए ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी/ओवीडी को सत्यापित करने के लिए व्यापार सुविधाकर्ताओं का उपयोग करेगी।

4) व्यापार सुविधाकर्ता अधिवासित और विनियमित या क्षेत्राधिकार में पंजीकृत होंगे जो एफएटीएफ के सार्वजनिक विवरण में 'उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार' के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है, या जो भारत सरकार द्वारा किसी आदेश द्वारा या अन्य संप्रभु सरकारों के साथ समझौते या संधि के माध्यम से निर्दिष्ट किसी भी देश से 'कार्रवाई के लिए आह्वान' के अध्यधीन नहीं हैं।

अनुबंध- II

(खंड 5.4.3 देखें)

भाग-क

भारतीय नागरिकों को शामिल करने हेतु वी-सीआईपी प्रक्रिया

1.1. विनियमित एंटिटियां निम्नलिखित कार्य करने के लिए वी-सीआईपी कर सकती हैं:

(क) व्यैक्तिक ग्राहकों के लिए नए ग्राहक को शामिल करने के मामले में सीडीडी, प्रोपराइटरशिप फर्म के मामले में प्रोपराइटर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और ऐसे ग्राहकों, जो गैर-स्थानीय व्यक्ति हैं, के मामले में लाभकारी स्वामी (बीओ)।

(ख) पात्र ग्राहकों के लिए केवाईसी का अद्यतन/आवधिक अद्यतन।

1.2. वी-सीआईपी करने का विकल्प चुनने वाली विनियमित एंटिटियों को निम्नलिखित न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा:

1.2.1. वी-सीआईपी अवसंरचना

(i) विनियमित एंटिटी, समय-समय पर यथा-अद्यतन, न्यूनतम आधारभूत साइबर सुरक्षा और लचीले ढांचे का अनुपालन करेगी, साथ ही आईटी जोखिमों पर अन्य सामान्य दिशानिदेशों का भी पालन करेगी। प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को विनियमित एंटिटी के अपने परिसर में रखा जाना चाहिए और वी-सीआईपी कनेक्शन और बातचीत आवश्यक रूप से अपने स्वयं के सुरक्षित नेटवर्क डोमेन से शुरु होगी। प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी संबंधी आउटसोर्सिंग यथा-निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

(ii) विनियमित एंटिटी उचित एन्क्रिप्शन मानकों के अनुसार, ग्राहक डिवाइस और वी-सीआईपी एप्लिकेशन के होस्टिंग पॉइंट के बीच डेटा का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेगी। ग्राहक की सहमति को लेखा-परीक्षा करने योग्य और परिवर्तन रोधी तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए।

(iii) वी-सीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर/एप्लिकेशन भारत के बाहर आईपी पते या फर्जी आईपी पते से कनेक्शन रोकने में सक्षम होना चाहिए।

(iv) वीडियो रिकॉर्डिंग में वी-सीआईपी करने वाले ग्राहक के लाइव जीपीएस को-ऑर्डिनेट्स (जियो-टैगिंग) और डेट-टाइम स्टैंप शामिल होने चाहिए। वी-सीआईपी में लाइव वीडियो की गुणवत्ता संदेह से परे ग्राहक की पहचान करने के लिए पर्याप्त होगी।

(v) एप्लिकेशन में फेस लाईवनेस / स्पूफ डिटेक्शन के साथ-साथ उच्च सटीकता के साथ फेस मैचिंग तकनीक वाले घटक होंगे, यद्यपि किसी ग्राहक की पहचान की अंतिम जिम्मेदारी विनियमित एंटिटी की ही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वी-सीआईपी सशक्त है, उपयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) पता लगाए गए/प्रयास किए गए/'निकट चूक' वाले पहचानपत्र के मामलों के अनुभव के आधार पर, एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के साथ-साथ वर्कफ़्लो सहित प्रौद्योगिकी अवसंरचना को नियमित रूप से उन्नत किया जाएगा। वी-सीआईपी के माध्यम से जाली पहचान के पता लगाए गए किसी भी मामले को मौजूदा नियामक दिशानिदेशों के अधीन साइबर घटना के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

(vii) वी-सीआईपी अवसंरचना को इसकी मजबूती और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए भेद्यता मूल्यांकन, प्रवेश परीक्षण और सुरक्षा लेखा-परीक्षा जैसे आवश्यक परीक्षणों में से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया के अधीन रिपोर्ट किए गए किसी भी महत्वपूर्ण अंतर को इसके कार्यान्वयन को शुरू करने से पहले कम किया जाएगा। इस तरह के परीक्षण उपयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त अभिकरणों द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस तरह के परीक्षण भी समय-समय पर आंतरिक/नियामक दिशानिदेशों के अनुरूप किए जाने चाहिए।

(viii) वी-सीआईपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और प्रासंगिक एपीआई/वेब सेवाओं को भी लाइव वातावरण में उपयोग किए जाने से पहले कार्यात्मक, प्रदर्शन, रखरखाव शक्ति के उपयुक्त परीक्षण से गुजरना होगा। इस तरह के परीक्षणों के दौरान पाए जाने वाले किसी भी महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के बाद ही इसके कार्यांवयन शुरू किया जाना चाहिए। इस तरह के परीक्षण भी समय-समय पर आंतरिक/नियामक दिशानिदेशों के अनुरूप किए जाएंगे।

1.2.2. <u>वी-सीआईपी प्रक्रिया</u>

(i) प्रत्येक विनियमित एंटिटी वी-सीआईपी के लिए स्पष्ट कार्यप्रवाह और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगी और उसका पालन सुनिश्चित करेगी। वी-सीआईपी प्रक्रिया केवल इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित विनियमित एंटिटी के अधिकारियों द्वारा संचालित की जाएगी। अधिकारी को जीवंतता की जांच करने और ग्राहक के किसी अन्य कपटपूर्ण हेरफेर या संदिग्ध आचरण का पता लगाने और उस पर कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए।

(ii) यदि वी-सीआईपी प्रक्रिया में कोई व्यवधान है, तो उसे निरस्त करके नया सत्र शुरू किया जाना चाहिए।

(iii) वीडियो इंटरैक्शन के दौरान बातचीत की जीवंतता को इंगित करने वाले प्रश्नों सहित अनुक्रम और/या प्रश्नों के प्रकार को अलग-अलग किया जाएगा ताकि यह स्थापित किया जा सके कि इंटरैक्शन रीयल-टाइम हैं और पहले से रिकॉर्डेड नहीं हैं।

(iv) ग्राहक की ओर से किसी प्रकार का अवैध प्रयास दिखाई देने पर खाता खोलने की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(v) वी-सीआईपी ग्राहक के मौजूदा या नए ग्राहक होने का तथ्य, या यदि यह पहले खारिज किए जा चुके मामले से संबंधित है या यदि उसका नाम किसी नकारात्मक सूची में आया है तो इसे वर्कफ़्लो के उपयुक्त चरण में नोटिस में लाया जाना चाहिए।

(vi) वी-सीआईपी का प्रदर्शन करने वाली विनियमित एंटिटी के अधिकृत अधिकारी को ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ-साथ पहचान के लिए उपस्थित ग्राहक की तस्वीर खींचनी होगी और निम्नलिखित में से किसी एक का उपयोग करके पहचान की जानकारी प्राप्त करनी होगी:

(क) पहचान के लिए आधार का ऑफलाइन सत्यापन;

(ख) ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी अभिलेख;

(ग) डिजिलॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेजों सहित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) के समकक्ष ई-दस्तावेज।

(vii) विनियमित एंटिटी सुनिश्चित करेगी कि अनुबंध II के भाग ख के अधीन प्रदान किए गए तरीके से आधार संख्या को संशोधित या ब्लैकआउट किया जाए।

(viii) एक्सएमएल फाइल या आधार सिक्योर क्यूआर कोड का उपयोग करके आधार के ऑफलाइन सत्यापन के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक्सएमएल फाइल या क्यूआर कोड जनरेशन की तारीख वी-सीआईपी करने की तारीख से तीन दिन से अधिक पुरानी नहीं है।

(ix) इसके अलावा, आधार एक्सएमएल फ़ाइल/आधार क्यूआर कोड के उपयोग के लिए तीन दिनों की निर्धारित अवधि के अनुरूप, विनियमित एंटिटियां यह सुनिश्चित करेंगी कि यदि दुर्लभ मामलों में, सीकेवाईसीआर / आधार प्रमाणीकरण / समकक्ष ई-दस्तावेज़ के माध्यम से जानकारी की पूरी प्रक्रिया को एक बार में या निर्बाध रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है, तो वी-सीआईपी की वीडियो प्रक्रिया पहचान को डाउनलोड/प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर पूरा किया जाए। हालांकि,विनियमित एंटिटियां यह सुनिश्चित करेंगी कि इसके कारण जोखिम में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो।

(x) यदि ग्राहक का पता ओवीडी में दर्शाए गए पते से भिन्न है, तो मौजूदा पते के उपयुक्त अभिलेख मौजूदा आवश्यकता के अनुसार कैप्चर किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आर्थिक और वित्तीय प्रोफाइल/सूचना की पुष्टि भी उपयुक्त तरीके से वी-सीआईपी करने वाले ग्राहक द्वारा क्र॰ जाए।

(xi) विनियमित एंटिटी, उन मामलों को छोड़कर जहां ग्राहक द्वारा ई-पैन प्रदान किया हुआ है, प्रक्रिया के दौरान ग्राहक द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले पैन कार्ड की स्पष्ट छवि को कैप्चर करेगी। पैन विवरण डिजिलॉकर सहित जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से सत्यापित किया जाएगा।

(xii) ई-पैन सहित समकक्ष ई-दस्तावेज की मुद्रित प्रति का उपयोग वी-सीआईपी के लिए मान्य नहीं है।

(xiii) विनियमित एंटिटी के अधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आधार/ओवीडी और पैन/ई-पैन में ग्राहक की तस्वीर वी-सीआईपी करने वाले ग्राहक और आधार/ओवीडी और पैन/ई-पैन में पहचान विवरण पैन ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण से मेल खाना चाहिए।

(xiv) वी-सीआईपी के माध्यम से खोले गए सभी खातों को प्रक्रिया की अखंडता और परिणाम की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा के अधीन होने के बाद ही चालू किया जाएगा।

(xv) सभी मामले जो पैराग्राफ के अधीन निर्दिष्ट नहीं हैं लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के अधीन आवश्यक हैं, उनका विनियमित एंटिटियों द्वारा उचित रूप से अनुपालन किया जाएगा।

1.2.3. <u>वी-सीआईपी रिकॉर्ड्स और डेटा प्रबंधन</u>

(क) वी-सीआईपी का संपूर्ण डेटा और रिकॉर्डिंग भारत के क्षेत्र में स्थित तंत्र/तंत्रों में संग्रहीत किया जाएगा। विनियमित एंटिटियां यह सुनिश्चित करेंगी कि वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित और संरक्षित तरीके से संग्रहीत की जाए और उस पर तारीख और समय की मुहर लगी हो, जो सरल ऐतिहासिक डेटा अनुसंधान सुकर बनाती है। अभिलेख प्रबंधन पर मौजूदा निदेश, जैसा कि इन दिशानिदेशों में निर्धारित है, वी-सीआईपी के लिए भी लागू होगा।

(ख) वी-सीआईपी करने वाले विनियमित एंटिटी के अधिकृत व्यक्ति की साख के साथ कार्यकलाप लॉग को संरक्षित किया जाएगा।

भाग-ख

भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया

2.1. भारतीय नागरिकों की सीडीडी करने के लिए, विनियमित एंटिटियां खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित प्राप्त करेंगी जो लाभकारी स्वामी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या किसी कानूनी एंटिटी से संबंधित मुख्तारनामा धारक है:

(क) आधार नंबर जहां: -

(i) ग्राहक अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के पहले उपबंध के अधीन अधिसूचित किसी बैंक या किसी विनियमित एंटिटी को स्वेच्छा से अपना आधार नंबर जमा करने का निर्णय लेता है; या

(कक) आधार नंबर धारिता का साक्ष्य जहां ऑफ़लाइन सत्यापन किया जा सकता है; या

(खख) आधार नंबर धारिता का प्रमाण जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है या ग्राहक की पहचान और पते का विवरण वाला कोई ओवीडी या समकक्ष ई-दस्तावेज; तथा

(ख) स्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज़, जैसा कि आयकर नियम, 1962 में परिभाषित किया गया है; तथा

(ग) व्यवसाय की प्रकृति और ग्राहक की वित्तीय स्थिति, या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों के संबंध में ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विनियमित एंटिटी द्वारा आवश्यक हो सकते हैं:

बशर्ते कि जहां ग्राहक ने निम्नांकित जमा किया है,

(i) किसी बैंक या विनियमित एंटिटी को अधिनियम की धारा 11क की उप-धारा (1) के पहले उपबंध के अधीन उपर्युक्त खंड (क) के अधीन अधिसूचित आधार संख्या, ऐसा बैंक या विनियमित एंटिटी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहक के आधार नंबर का प्रमाणीकरण करेगी। इसके अलावा, ऐसे मामले में, यदि ग्राहक ऐसा वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है, जो केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में उपलब्ध पहचान जानकारी के अनुसार पते से अलग है, तो वह विनियमित एंटिटी को इस आशय की स्व-घोषणा दे सकता है।

(ii) उपर्युक्त उप-खंड (कक) के अधीन आधार धारिता का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन किया जा सकता है, विनियमित एंटिटी इसका ऑफ़लाइन सत्यापन करेगी।

(iii) किसी भी ओवीडी के समकक्ष ई-दस्तावेज, विनियमित एंटिटी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) और उसके अधीन जारी किए गए किसी भी नियम के उपबंधों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगी और डिजिटल नियमों के अनुबंध I के अधीन निर्दिष्ट केवाईसी प्रक्रिया के अधीन निर्दिष्ट लाइव फोटो लेगी।

(iv) उपर्युक्त (क)(i)(खख) के अधीन कोई भी ओवीडी या आधार संख्या की धारिता का प्रमाण जहां ऑफ़लाइन सत्यापित नहीं किया जा सकता है, विनियमित एंटिटी नियमों के अनुबंध I के अधीन निर्दिष्ट डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से उसका सत्यापन करेगी।

बशर्ते कि ऐसे वर्ग से संबंधित विनियमित एंटिटी, जहां समकक्ष ई-दस्तावेज जमा नहीं किया गया है, ऐसी अवधि के लिए, जो सरकार द्वारा विनियमित एंटिटियों के वर्ग के लिए अधिसूचित की जा सकती है, के पश्चात डिजिटल केवाईसी करने के बजाय, आधार संख्या धारिता के प्रमाण की प्रमाणित प्रति या ओवीडी और नवींनतम फोटोग्राफ प्राप्त कर सकती है।

स्पष्टीकरण I: विनियमित एंटिटी, जहां उसका ग्राहक आधार संख्या वाले आधार नंबर धारिता का प्रमाण प्रस्तुत करता है, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा ग्राहक आधार नंबर को उपयुक्त माध्यमों से मिटा दे या काला कर दे।

स्पष्टीकरण II: बायोमेट्रिक आधारित-केवाईसी प्रमाणीकरण विनियमित एंटिटी/व्यापार सुविधाकर्ता के अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण III: आधार, आधार धारिता आदि के प्रमाण का उपयोग, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभों और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, आईएफएससीए

[विज्ञापन-III/4/असा./360/2022-23]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 28th October, 2022

IFSCA/2022-23/GN/GL001.—International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022

TABLE OF CONTENTS

INDEX OF ABBREVIATIONS

Sl. No.	Abbreviation	Full form
1.	AML/CFT	Anti-Money Laundering/Countering of Terrorist Financing (also used for *Combating the financing of terrorism*)
2.	BF	Business facilitator
3.	BO	Beneficial Owner
4.	CDD	Customer Due Diligence
5.	CKYCR	Central Know Your Customer Records Registry
6.	CRS	Common Reporting Standards
7.	ECDD	Enhanced Customer Due Diligence
8.	FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
9.	FATF	Financial Action Task Force
10.	FIU-IND	Financial Intelligence Unit- India
11.	KYC	Know Your Customer
12.	IFSCs	International Financial Services Centres
13.	IFSCA	International Financial Services Centres Authority
14.	ML/TF	Money Laundering/Terrorist Financing
15.	NPO	Non-Profit Organisation
16.	NRI	Non- Resident Indian
17.	OVD	Officially Valid Document
18.	PEP	Politically Exposed Person
19.	RBA	Risk-Based Approach
20.	RE	Regulated Entity
21.	SCDD	Simplified Customer Due Diligence
22.	STR	Suspicious Transaction Report
23.	V-CIP	Video- Customer Identification Procedure
24.	NTR	Non-Profit Transaction Report
25.	UAPA	Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
26.	UNSC	United Nations Security Council

CHAPTER – I

APPLICABILITY, DEFINITIONS AND DUTIES OF A REGULATED ENTITY

1.1. Short title and commencement

These Guidelines may be called as International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022 and shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

1.2. Applicability

1.2.1. The provisions of these Guidelines shall apply to every Regulated Entity which is licensed, recognised or registered by International Financial Services Centres Authority (IFSCA) and also to the Regulated Entities authorised by it, to the extent specified.

1.2.2. The provisions of these Guidelines shall also apply to a Financial Group of the Regulated Entity, to such extent as specified in Chapter-XII.

1.3. Definitions

In these Guidelines, unless the context otherwise requires, -

1.3.1. "Act" and "Rules" means the Prevention of Money-laundering Act, 2002 and the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, respectively.

1.3.2. "Authority" or "IFSCA" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).

1.3.3. "Beneficial Owner" means: -

(a) Where the customer is a company, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical persons, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

Explanation- For the purpose of this sub-clause-

(i) "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than twenty-five per cent. of the shares or capital or profits of the company;

(ii) "Control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;

(b) Where the customer is a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of/entitlement to more than fifteen per cent. of capital or profits of the partnership;

(c) Where the customer is an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of or entitlement to more than fifteen per cent. of the property or capital or profits of the unincorporated association or body of individuals;

***Explanation*:** The term 'body of individuals' includes societies. Where no natural person is identified under (a) to (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official.

(d) Where the customer is a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen per cent. or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.

Explanation: - For the purpose of determination of beneficial owner, any amendment made under sub-rule 3 of rule 9 of Rules, shall be applicable in addition to the requirements under these Guidelines.

1.3.4. "Beneficiary Institution" means the financial institution that receives the wire transfer from the ordering institution, directly or through an intermediary institution, and makes the funds available to the wire transfer beneficiary.

1.3.5. "Business Facilitator" means a person authorised by the Regulated Entity, to verify the information/officially valid documents provided by the customer for opening account with it.

1.3.6. "Central KYC Records Registry" means an entity defined under rule 2 (1) (ac) of the Rules, which is authorised to receive, store, safeguard and retrieve the KYC records of a customer in digital form.

1.3.7. "Certified Copy" means comparing the original officially valid document provided by the customer with the copy thereof and recording the same as 'true copy' by the authorised officer of the Regulated Entity.

Provided that in case of non-resident individuals including Non-Resident Indians (NRIs), the

certification may be carried out by:

(i) Authorised official of a bank located in a Financial Action Task Force (FATF) compliant jurisdiction with whom the individual has banking relationship;

(ii) Notary Public (outside India);

(iii) Court Magistrate (outside India);

(iv) Judge (outside India);

(v) Certified public or professional accountant (outside India);

(vi) Lawyer (outside India);

(vii) The Embassy/Consulate General of the country of which the non-resident individual is a citizen; or

(viii) Any other authority as may be specified by the Authority.

1.3.8. "Common Reporting Standards" means reporting standards set for implementation of multilateral agreement signed to automatically exchange information based on Article 6 of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters.

1.3.9. "Cover payment" means a wire transfer that combines a payment message sent directly by the ordering institution to the beneficiary institution with the routing of the funding instruction (the cover) from the ordering institution to the beneficiary institution through one or more intermediary institutions.

1.3.10. "Cross-border wire transfer" means any wire transfer (including a chain of wire transfers) where either the ordering institution or the beneficiary institution is located in IFSC.

1.3.11. "Customer" or "Client" for the purpose of these Guidelines shall mean a person who is engaged in a financial transaction or activity with a Regulated Entity and includes a person on whose behalf the person engaged in the transaction or activity, is acting.

1.3.12. "Designated Director" means a person designated by the Regulated Entity to ensure overall compliance with the obligations imposed under Chapter IV of the Act, the Rules and these Guidelines.

1.3.13. "Digital KYC" means the capturing live photo of the customer and officially valid document or the proof of possession of Aadhaar, where offline verification cannot be carried out, along with the latitude and longitude of the location where such live photo is being taken by an authorised officer of the Regulated Entity as per the provisions contained in the Act.

1.3.14. "Digital Signature" shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section (2) of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

1.3.15. "Domestic Wire Transfer" means a wire transfer where both the ordering institution and beneficiary institution are located in the IFSC and also refers to any chain of wire transfers that takes place entirely within the IFSC.

1.3.16. "Equivalent e-document" means an electronic equivalent of a document, issued by the issuing authority of such document with its valid Digital Signature, including documents issued to the digital locker account of the customer as per rule 9 of the Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities) Rules, 2016 or its equivalent in other jurisdictions, as may be recognised by the Authority.

1.3.17. "FATCA" means Foreign Account Tax Compliance Act, 2010 of the United States of America (USA) which, inter-alia, requires reporting financial institutions to report about financial accounts held by U.S. taxpayers or foreign entities in which U.S. taxpayers hold a substantial ownership interest.

1.3.18. "Financial Group" means a group that consists of a parent company or of any other type of legal person exercising control and coordinating functions over the rest of the group, together with branches and/or subsidiaries that are subject to AML/CFT policies and procedures at the group level.

1.3.19. "Financial Intelligence Unit – India" refers to a national agency, set by the Government of India, which is inter-alia responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information relating to suspect financial transactions.

1.3.20. "Governing Body" means:

(a) In relation to a company- the board of directors;

(b) In relation to a partnership firm- the partner(s);

(c) In relation to a limited liability partnership- the partners including any designated partner (s);

(d) In relation to a trust- the managing trustee (s); and

(e) In relation to an unincorporated association or a body of individuals - committees of management or anybody who controls and manages the affairs of such unincorporated association or a body of individuals (consisting of more than one person);

(f) In relation to a Regulated Entity established as a branch, a committee constituted at the branch level with the authorization of the Governing Body of the parent entity of the Regulated Entity.

1.3.21. "International Financial Services Centre" shall have the meaning assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the IFSCA Act, 2019 (50 of 2019).

1.3.22. "Intermediary Institution" means the financial institution in a serial payment or cover payment chain that receives and transmits a wire transfer on behalf of the ordering institution and the beneficiary institution, or another intermediary institution.

1.3.23. "International Organisation PEP" means a person who is or has been entrusted with prominent function by an international organisation.

***Explanation*:** This may include members of Senior Management or individuals who have been entrusted with equivalent functions, i.e., directors, deputy directors and members of the board or equivalent functionaries. An international organisation includes any organisation set up either by the governments of more than one country or by international organisation(s).

1.3.24. "Know Your Client (KYC) Identifier" means the unique number or code assigned to a customer by the Central Know Your Customer Records Registry.

1.3.25. "Money Laundering" shall have the meaning assigned to it under section 3 of the Act and "Anti-Money Laundering" shall be construed accordingly, and shall include Counter-Terrorist Financing and other related measures.

1.3.26. "Non-face-to-face customers" means customers who open accounts without visiting the branch/offices of the Regulated Entity or meeting the authorised officials/persons of the Regulated Entity.

1.3.27. "Non-profit organisations" means any entity or organisation that is registered as a trust or a society under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any similar State legislation or a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or other legal entity from any other jurisdictions, which is engaged in not-for-profit activities, and is recognised as such by the Authority.

1.3.28. "Non- Resident Indian" shall have the meaning as defined in Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

1.3.29. "Ordering Institution" means the financial institution that initiates the wire transfer and transfers the funds upon receiving the request for a wire transfer on behalf of the wire transfer originator.

1.3.30. "Officially Valid Document" means the passport, the driving license, proof of possession of Aadhar number, the Voter's Identity Card issued by the Election Commission of India or letter issued by the National Population Register containing details of name, address or any other document as notified by the Central Government in consultation with the Regulator;

Provided that in an International Financial Services Centre, the national identity card and voter identification card, by whatever name called, issued by the Government of foreign jurisdictions or agencies authorised by them capturing the photograph, name, date of birth and address of a foreign national shall also be considered as officially valid document.

Provided further that, where simplified measures are applied for verifying the identity of the customers, the following documents shall also be deemed to be 'officially valid document': -

(a) identity card with applicant's photograph issued by Central/State Government Departments, Statutory/ Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, and Public Financial Institutions;

(b) letter issued by a gazetted officer, with a duly attested photograph of the person.

Provided also that,

where the simplified measures are applied for verifying the limited purpose of proof of address of the customer, where a prospective customer is unable to produce any proof of address, the following document shall also be deemed to be Officially Valid Document:

(i) utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill);

(ii) property, Municipal tax receipt, city council tax receipt, or such other equivalent document;

(iii) Post Office savings bank account statement or statement of a bank account including of a foreign bank;

(iv) pension or family Pension Payment Orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address;

(v) letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and license agreements with such employers allotting official accommodation; and

Provided also that in case the Officially Valid Document presented by a foreign national does not contain the details of address, in such case the documents issued by the Government departments of foreign jurisdictions and letter issued by the Foreign Embassy or Mission in India shall be accepted as proof of address;

Provided also that where the client submits his proof of possession of Aadhaar number as an Officially Valid Document, he may submit it in such form as are issued by the Unique Identification Authority of India.

Explanation: For the purpose of this Clause, a document shall be deemed to be an Officially Valid Document even if there is a change in the name subsequent to its issuance, provided it is supported by a marriage certificate issued by the State Government or Gazette notification, indicating such a change of name.

1.3.31. "Person" means and includes:

(a) an individual;

(b) a Hindu undivided family;

(c) a company;

(d) a partnership firm;

(e) a limited liability partnership;

(f) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not;

(g) every artificial juridical person not falling within any of the above; and

(h) any agency, office or branch owned or controlled by any of the above.

1.3.32. "Periodic Updation" means steps taken to ensure that documents, data or information collected under the Customer Due Diligence process is kept up-to-date and relevant by undertaking reviews of existing records at periodicity specified by the Authority.

1.3.33. "Principal Officer" means an officer designated by the Regulated Entity as such, who shall be responsible for furnishing information as required under rule 8 of the Rules.

1.3.34. "Politically Exposed Person" means the individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by any country, which shall include Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, important political party officials or International Organisation Politically Exposed Person.

Explanation: The definition of Politically Exposed Person is not intended to cover middle ranking or more junior individuals in the definition.

1.3.35. "Regulated Entity" means a unit/entity which has been granted license, recognition, registration or authorisation by the Authority.

1.3.36. "Senior Management" means:

(a) In relation to a Regulated Entity,

(i) for an incorporated entity in International Financial Services Centre in India, every member of the Regulated Entity's Governing Body;

(ii) for a branch, the person or persons who control the day-to-day operations of the Regulated Entity in an IFSC and may include such other persons as may be designated by the Regulated Entity.

(b) In relation to a customer, that is a legal person, every member of its Governing Body and the person or persons who control its day-to-day operations.

1.3.37. "Serial Payment" means a direct sequential chain of payment where the wire transfer and accompanying payment message travel together from the ordering institution to the beneficiary institution, directly or through one or more intermediary institutions.

1.3.38. "Shell financial institution" means a bank or financial institution incorporated, formed or established in a country or jurisdiction where the bank or financial institution has no physical presence, and which is unaffiliated with a financial group that is subject to effective supervision.

1.3.39. "Straight-through processing" means payment transactions that are conducted electronically without the need for manual intervention.

1.3.40. "Suspicious Transaction" means a "Transaction" as defined in these Guidelines, including an attempted transaction, which to a person acting in good faith-

(a) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve proceeds of an offence specified in the Schedule to the Act, regardless of the value involved; or

(b) appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity; or

(c) appears to have no economic rationale or *bona-fide* purpose; or

(d) gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of the activities relating to terrorism;

Explanation: Transaction involving financing of the activities relating to terrorism includes transaction involving funds suspected to be linked or related to, or to be used for terrorism, terrorist acts or by a terrorist, terrorist organization or those who finance or are attempting to finance terrorism.

1.3.41. "Transaction" means a purchase, sale, loan, pledge, gift, transfer, delivery or the arrangement thereof and includes-

(a) opening of an account;

(b) deposits, withdrawal, exchange or transfer of funds in whatever currency, whether by payment order or other instruments or by electronic or other non-physical means;

(c) the use of a safety deposit box or any other form of safe deposit;

(d) entering into any fiduciary relationship;

(e) any payment made or received, in whole or in part, for any contractual or other legal obligation; and

(f) establishing or creating a legal person or legal arrangement.

1.3.42. "Unique transaction reference number" means a combination of letters, numbers or symbols, determined by the payment service provider in accordance with the protocols of the payment and settlement system or messaging system used for the wire transfer, which permits the traceability of the wire transfer.

1.3.43. "Video based Customer Identification Process" or "V-CIP" means an alternate method of customer identification with facial recognition and customer due diligence, by an authorised official of the Regulated Entity, by undertaking seamless, secure, live, informed &consent based audio-visual interaction with the customer to obtain identification information required for Customer Due Diligence purpose, and to ascertain the veracity of the information furnished by the customer through independent verification and maintaining audit trail of the process.

Explanation: - Such processes complying with prescribed standards and procedures shall be treated on par with face-to-face customer identification procedure for the purpose of these Guidelines.

1.3.44. "Wire Transfer" means any transaction carried out on behalf of a Wire Transfer Originator through a financial institution by electronic means with a view to making an amount of funds available to a beneficiary person at a Beneficiary Institution, irrespective of whether the originator and the beneficiary are the same person.

1.3.45. "Wire Transfer Beneficiary" means the natural person, legal person or legal arrangement who is identified by the wire transfer originator as the receiver of the wire transfer funds.

1.3.46. "Wire Transfer Originator" means the account holder who allows the wire transfer from that account; or where there is no account, the natural person, legal person or legal arrangement that places the wire transfer order with the ordering institution to perform the wire transfer.

1.4. Words and expressions used but not defined in these Guidelines shall have the same meaning as assigned to them under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the Prevention of Money Laundering Act, 2002, the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 and regulations made thereunder, any statutory modification or re-enactment thereto or as used in commercial parlance, as the case may be.

1.5. Duties of a Regulated Entity

(a) Every Regulated Entity shall formulate an AML-CFT policy, which shall be duly approved by the Governing Body or by a committee to whom such power has been delegated by the Governing Body. While formulating the AML-CFT policy, every Regulated Entity shall incorporate the key principles or elements of these Guidelines.

(b) Additionally, every Regulated Entity shall develop a KYC Policy which shall be the part of its AML-CFT policy.

(c) Every member of Regulated Entity's Senior Management shall be responsible for the Regulated Entity's compliance under these Guidelines. While carrying out their responsibilities under these Guidelines every member of a Regulated Entity's Senior Management shall exercise due skill, care, and diligence.

CHAPTER-II

RISK-BASED APPROACH

2.1. (a) The primary thrust of these Guidelines is to enable a Regulated Entity to adopt Risk-Based Approach (RBA) to identify and assess the Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF) risk to which the Regulated Entity is exposed, depending upon its nature of business and exposure to or involvement with certain types of clients, countries or geographic areas, products, services, transactions, or delivery channels, etc. and document the same. A Regulated Entity while adopting RBA shall ensure that:

(i) The RBA is objective and proportionate to the risks;

(ii) The RBA is based on reasonable grounds; and

(iii) The RBA is reviewed and updated at appropriate intervals.

(b) The RBA shall be appropriate to the nature and size of the business. While implementing the RBA, the Regulated Entity shall consider all relevant risk factors before deciding overall risk. Based on the risk assessment, the Regulated Entity shall monitor, manage, and mitigate the risks it is exposed to by applying effective, appropriate and proportionate measures.

(c) In addition to assessing the ML/TF risks presented by an individual customer, a Regulated Entity shall also identify and assess ML/TF risks at an enterprise-wide level, wherever applicable. This shall include a consolidated assessment of the Regulated Entity's ML/TF risks perception that exist across all its business units, product lines and delivery channels.

Explanation: FATF Public Statement, the reports and guidance notes on AML/CFT/PF issued by FATF and any country specific information that is circulated by relevant authorities from time to time, as well as the updated list of natural and legal persons who are subjected to sanction measures as required under various United Nations' Security Council Resolutions. etc., may also be used in risk assessment.

(d) The outcome of the risk assessment by a Regulated Entity shall be properly documented. The documentation should include the enterprise-wide AML/CFT risk assessment wherever applicable, details of the implementation of the AML/CFT risk management systems and controls as guided by the AML/CFT risk assessment. A Regulated Entity shall ensure that the ML/TF risk assessment information are made available to the Authority upon request. The records of documented risk assessment shall be kept as per the requirements of record keeping process specified under these Guidelines.

(e) The result of the risk assessment shall be used to classify the ML/TF risks as low, medium, and high. The general principle of this classification is to apply enhanced measures in case of high-risk customers and simplified measures in case of low-risk customers.

(f) To keep the risk assessments up-to-date, the Regulated Entity shall review its risk assessment at least once every two years or when a material trigger event occurs, whichever is earlier. The outcome of the exercise shall be put up to the Governing Body or such other committee of the Regulated Entity to which power in this regard has been delegated.

Guidance Note: -

The RBA should be an essential foundation in Regulated Entity's AML-CFT compliance culture, and it must trickle down from the level of Senior Management to the rest of the organization.

CHAPTER-III

BUSINESS RISK ASSESSMENT

3.1. Identifying and Assessing business AML risks

A Regulated Entity shall:

(a) take into consideration the nature, size and the complexity of its business activities and take suitable steps to identify its exposure to ML/TF risks;

(b) consider the following risk factors, to the extent applicable and relevant, while identifying and assessing the ML/TF risks: -

(i) its type of customers and their activities;

(ii) its business engagement with the countries or geographic areas;

(iii) its products, services, delivery channels and activity profiles;

(iv) the complexity and volume of its transactions;

(v) the development of new products and new business practices, including new delivery mechanisms, channels and partners; and

(vi) the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products;

(c) based on the assessment and risk identification made at Clause (a) and (b) above, the Regulated Entity shall undertake commensurate mitigation measures.

3.2. New products, business practices and technologies

(a) A Regulated Entity shall identify and assess the ML and TF risks that may arise in relation to: -

(i) the development of new products, business practices, including new delivery mechanisms; and

(ii) the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products.

(b) The Regulated Entity shall undertake the above risk assessment exercise, prior to the launch or use of such products, practices and technologies and shall take appropriate measures to manage and mitigate the risks.

Guidance Note: -

(1) One of the key reasons for undertaking the exercise of business risk assessment is that it will aid the Regulated Entity to better understand its exposure to ML/TF risks and then take appropriate measures to prevent its business being used for the purposes of ML/TF. The risk exposure of the Regulated Entity varies depending on several factors such as the nature of the business, the type of customers, the nature of the products, services offered, and transactions and delivery channels involved.

(2) The outcome of the business risk assessment should be used by a Regulated Entity to gauge its own vulnerabilities to ML/TF risks and to take all necessary measures to mitigate such risks.

(3) The outcome of the business risk assessment shall be factored into while assessing the customer risk assessment, in the manner as specified under Chapter IV.

3.3. AML/CFT systems and controls

(a) The nature and extent of AML/CFT systems and controls implemented by a Regulated Entity shall be commensurate with the ML/TF risks identified via the enterprise-wide ML/TF risk assessment, wherever applicable. A Regulated Entity shall put in place adequate policies, procedures, systems and controls to mitigate such ML/TF risks. The information obtained from the risk assessment shall be used to:

(i) establish and maintain effective policies, procedures, systems and controls to prevent ML/TF;

(ii) ensure that Regulated Entity's AML/CFT policies, procedures, systems and controls adequately mitigate the risks identified under Clause 3.1 above;

(iii) ensure that Regulated Entity's systems and controls:

(aa) include a provision enabling its Senior Management to regularly review the information on operations and effectiveness of its AML systems and controls;

(bb) enable the Regulated Entity to determine:

(1) whether a customer or a Beneficial Owner is a Politically Exposed Person (PEP); and

(2) whether a beneficiary of the policy, or a Beneficial Owner of such beneficiary is a PEP, (in the cases where it is providing life insurance or other similar policies); and

(3) enable a Regulated Entity to comply with these Guidelines and applicable AML-CFT legislations.

(iv) ensure that regular risk assessments are carried out on the adequacy of the Regulated Entity's AML/CFT systems and controls to enable it to identify, assess, monitor, manage and mitigate such risks adequately.

(b) The AML/CFT policies, procedures and controls shall be approved by Senior Management to enable a Regulated Entity to effectively manage and mitigate the risks either identified by it or notified to it by the Authority or other relevant authorities. Further, the Regulated Entity shall constantly monitor the implementation of the policies, procedures and controls, and improve them, if necessary.

Guidance Note

(1) A Regulated Entity's ML/TF risk assessment serves as a guide to the allocation of AML/CFT resources within it.

(2) In the context of Clause (a) (iii) (bb) (2) above, a beneficiary may be a natural person, legal person, legal arrangement, or category of persons who will be paid the policy proceeds when an insured event occurs, that is covered by the policy.

CHAPTER-IV

CUSTOMER RISK ASSESSMENT

Risks identified while assessing the business risks shall be used for the customer risk assessment. The customer risk assessment shall be performed while taking into consideration the parameters, or the process as specified below. The outcome of the Customer risk assessment shall be used to assign the risk rating of the customer as high, medium or low, proportionate to the ML/TF risks.

4.1. Assessing customer AML risks

(a) A Regulated Entity shall:

(i) undertake a risk-based assessment of every customer; and

(ii) assign the customer a risk rating proportionate to the ML/TF risks.

(b) The customer risk assessment referred to in Clause (a) above, shall be completed prior to undertaking Customer Due Diligence for new customers, and also where the Regulated Entity otherwise feels necessary, for existing customers.

(c) When undertaking an assessment under Clause 4.1 (a) (i) above, a Regulated Entity shall:

(i) identify the customer and Beneficial Owner, if any;

(ii) obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship;

(iii) obtain information on, and take into consideration, the nature of the customer's business;

(iv) take into consideration the nature of the customer, its ownership, control structure, and its Beneficial Ownership, wherever applicable;

(v) take into consideration the nature of the customer's business relationship with the Regulated Entity;

(vi) take into consideration the customer's country of origin, residence, nationality, place of incorporation or place of business;

(vii) take into consideration the relevant product, service or transaction; and,

(viii) take into consideration the beneficiary of the policy including any Beneficial Owner of such beneficiary, if it is providing the customer with a life insurance or other similar policy.

4.2. Factors that may indicate high ML/TF risk

When assessing if there is a high risk of ML/TF in a particular situation, a Regulated Entity shall take into account, among other things:

(a) Customer risk

(i) Whether the customers are from high-risk businesses / activities / sectors, as well as from other sectors as may be identified by it;

(ii) Whether the ownership structure of the legal person or arrangement appears unusual or excessively complex;

(iii) Whether the business relations are conducted under unusual circumstances (e.g., significant unexplained geographic distance between the Regulated Entity and the customer);

(iv) Whether the companies have nominee shareholders or shares in bearer form;

(v) Whether the legal persons or legal arrangements are personal asset holding vehicles; and,

(vi) Whether the corporate structure of the customer is unusual or excessively complex given the nature of the business.

(b) Country or Geographic risk

(i) Whether the countries or jurisdictions the Regulated Entity is exposed to, either through its own activities (including where its branches and subsidiaries operate in) or the activities of its customers (including the Regulated Entity's network of correspondent account relationships) have relatively high levels of corruption, organized crime or inadequate AML/CFT measures, as identified by the FATF;

(ii) Whether the countries or jurisdictions are identified by any credible body as having significant levels of corruption, terrorism financing or other criminal activities;

(iii) Whether the countries or jurisdictions are identified by credible sources, such as mutual evaluation or detailed assessment reports or published follow-up reports, as not having adequate AML/CFT systems;

(iv) Whether the countries or jurisdictions do not have effective systems to counter ML/TF; or not implementing the AML/CFT measures that are consistent with FATF Recommendations;

(v) Whether the countries or jurisdictions are subject to sanctions, embargos or similar measures issued by International Organisations or India;

(vi) Whether the countries or jurisdictions are funding or supporting the terrorism; and,

(vii) Whether countries or jurisdictions have organizations operating within their territory that have been designated by India, other countries or International Organizations as terrorist organizations.

(c) product, service, transaction or delivery channel risk factors

(i) Whether the service involves private banking;

(ii) Whether the product, service or transaction is one that might favour anonymity;

(iii) Whether the situation involves non-face-to-face business relationships or transactions, without adequate safeguards;

(iv) Whether the payments received are from unknown or unassociated third parties;

(v) Whether the services offered are in relation to nominee directors, nominee shareholders or the formation of companies in another country; and

(vi) Whether there are anonymous transactions or any transaction which involves frequent payments, received from unknown or unassociated third parties.

When assessing the risk factors, the Regulated Entity shall examine the overall risk while keeping in mind that the presence of one or more risk factors alone may not always indicate a high risk of ML/TF in a particular situation.

4.3. Factors that may indicate low ML/TF risks

When assessing if there is a low risk of ML/TF in a particular situation, a Regulated Entity shall take into account, among other things:

(a) customer risk factors, including whether the customer is:

(i) a Government entity;

(ii) public companies listed on a stock exchange and subject to disclosure requirements (either by stock exchange rules or through law or enforceable means), which impose requirements to ensure adequate transparency of beneficial ownership.

(iii) regulated financial institution incorporated or established outside India that is subject to and supervised for compliance with AML/CFT requirements consistent with standards set by the FATF.

(iv) a subsidiary of a regulated financial institution referred to in sub-clause (iii) above, if the law that applies to the Parent entity ensures that the subsidiary also observes the same AML standards as that of its Parent entity;

(v) a public body or a publicly owned enterprise;

(vi) a resident established or registered in a geographical area of low risk;

(b) <u>product, service, transaction or delivery channel risk factors, including whether the product or service is:</u>

(i) a Contract of Insurance that is non-life insurance;

(ii) a Contract of Insurance that is a life insurance product with no investment return or redemption or surrender value;

(iii) an insurance policy for a pension scheme that does not provide for an early surrender option and cannot be used as collateral;

(iv) a Contract of Insurance which is a reinsurance contract that is ceded by an insurer which is a regulated financial institution;

(v) a pension, superannuation or similar scheme that satisfies the following conditions:

(aa) the scheme provides retirement benefits to employees;

(bb) contributions to the scheme are made by way of deductions from wages; and

(cc) the scheme rules do not permit the assignment of a member's interest.

(vi) a product where the ML/TF risks are adequately managed by other factors such as transaction limits or transparency of ownership; and

(vii) financial products or services that provide appropriately defined and limited services to certain types of customers (e.g., to increase customer access for financial inclusion purposes).

When assessing the risk factors, the Regulated Entity shall examine the overall risk while keeping in mind that the presence of one or more risk factors alone may not always indicate a low risk of ML/TF in a particular situation.

4.4. <u>Business relationship should not be established in the following cases:</u>

The Regulated Entity shall not establish the business relationship with the customer, which is a legal person or legal arrangement, in the following cases: -

(a) where the ownership or control arrangements of the customer prevent the Regulated Entity from identifying one or more of the customer's Beneficial Owners;

(b) where there are anonymous accounts, accounts in fictitious names, or a nominee account which is held in the name of one person, but is controlled by or held for the benefit of another person whose identity has not been disclosed to the Regulated Entity; or

(c) a Shell Financial Institution.

<u>Guidance Note for customer risk assessment</u>

(1) The risk assessment requires a Regulated Entity to allocate an appropriate risk rating to every customer. The risk ratings should be descriptive, such as "low", "medium" or "high". The outcome of the ML/TF risk assessment decides the degree of Customer Due Diligence that need to be performed. For a high-risk customer, the Regulated Entity shall undertake Enhanced CDD measures in addition to the normal CDD. For a low-risk customer, the Regulated Entity may undertake Simplified CDD. For any other customer, the Regulated Entity may undertake the normal CDD.

(2) Where information obtained as part of CDD alters the risk rating of a customer, such change should reflect in its CDD being undertaken.

CHAPTER- V

CUSTOMER DUE DILIGENCE

5.1. A Regulated Entity after assigning risk rating for each Customer proportionate to their AML/CFT risks, shall undertake the Customer Due Diligence. While undertaking the CDD, a Regulated Entity shall: -

(i) undertake Customer Due Diligence measures as detailed under Clause 5.4, in respect of all the customers;

(ii) undertake Enhanced Customer Due Diligence measures as detailed under Clause 5.6, in addition to the CDD measures detailed under Clause 5.4, in respect of the customer who has been assigned 'high risk'; and,

(iii) undertake Simplified Customer Due Diligence measures as detailed under Clause 5.7 by modifying Customer Due Diligence process detailed under Clause 5.4, in respect of a customer who has been assigned 'low risk'.

5.2. Timing of CDD

(a) Except as otherwise provided in Clause 5.3 and 5.4, a Regulated Entity shall undertake the Customer Due Diligence of a customer: -

(i) at the time of establishing business relationship, as mandated under Clause 5.4.1 (a) to (c); and,

(ii) after establishing a business relationship, as mandated under Clause 5.4.1.(d).

(b) A Regulated Entity shall also undertake Customer Due Diligence if, at any time:

(i) in relation to an existing customer, it doubts the veracity or adequacy of documents, data or information obtained for the purposes of Customer Due Diligence;

(ii) it suspects ML/TF; or,

(iii) there is a change in risk-rating of the customer, or it is otherwise warranted by a material change in circumstances of the customer.

5.3. Establishing business relationship before verification

(a) A Regulated Entity may establish a business relationship with a customer before completing the verification required under Clause 5.4.1, subject to fulfilling the following conditions:

(i) the deferral of completion of the verification of the customer or Beneficial Owner is essential in order not to interrupt the normal conduct of a business relationship;

(ii) there is low risk of occurrence of ML/TF activity and any such risks identified can be effectively managed by the Regulated Entity;

(iii) in relation to a bank account opening, there are adequate safeguards in place to ensure that the account is not closed, and transactions are not carried out by or on behalf of the account holder (including any payment from the account to the account holder) before verification has been completed; and

(iv) subject to Clause 5.3 (b) below, the relevant verification is completed as soon as reasonably practicable and, in any event, it should not exceed 30 business days after the establishment of business relationship.

(b) Where a Regulated Entity is not able to comply with the 30-day requirement, it shall, prior to the end of the 30-day period:

(i) document the reason for its non-compliance;

(ii) complete the verification as soon as possible; and

(iii) record the non-compliance event for reporting to its Governing Body.

(c) The Regulated Entity shall suspend business relationship with the customer and refrain from carrying out further transactions (except to return funds to their sources, to the extent that is possible) if such verification remains uncompleted for 30 days after the establishment of business relationship.

(d) The Regulated Entity shall terminate business relations with the customer if such verification remains uncompleted for 120 days after the establishment of business relationship.

(e) A Regulated Entity shall ensure that its AML/CFT systems and controls referred to in Clause 3.3 above, include internal risk management policies and procedures concerning the conditions under which such

business relationships may be established with a customer before completing verification and should also factor the above time limitation in its policies, procedures and controls.

Guidance Note: -

(1) Examples of the situations which might lead a Regulated Entity to have doubts about the veracity or adequacy of documents, data or information previously obtained, could be where there is a suspicion of ML/TF in relation to that customer, or where there is a material change in the manner the customer's account is operated, which is not consistent with the customer's business profile, or where it appears to the Regulated Entity that a person other than the customer is the real customer.

(2) Examples of the types of circumstances where it would be permissible for verification to be completed after the establishment of the business relationship, because it would be essential not to interrupt the normal conduct of business, may include:

(i) Non-face-to-face business.

(ii) Securities transactions.

In the securities market, companies and intermediaries may be required to perform transactions without delay depending upon market conditions, and in such circumstances, the execution of the transaction may be required before verification of identity is completed. Similar circumstances may occur where the customer seeks immediate insurance cover.

(3) In case the Regulated Entity is not able to complete customer due diligence as required under Clause 5.4, it shall not commence or continue business relations with any customer or undertake any transaction for any customer. In case of failure to complete customer due diligence in the prescribed time limit, the Regulated Entity shall apply appropriate measures as specified under Clause 5.10. A Regulated Entity shall also consider filing of STR if the circumstances are suspicious.

(4) A Regulated Entity shall also adopt risk management procedures in the cases specified under Clause 5.3. These procedures shall include a set of measures, such as a limitation of the number, types and/or value of transactions that can be performed. The procedures shall also include the monitoring of large or complex transactions being carried out outside the expected norms for that type of relationship. In such situations, a Regulated Entity shall ensure close monitoring, until the verification is completed.

5.4. Customer Due Diligence Requirements

5.4.1. Undertaking Customer Due Diligence (CDD)

In undertaking Customer Due Diligence as required under Clause 5.1.(a) (i), the following measures shall be undertaken by a Regulated Entity: -

(a) Identifying the customer and verifying that customer's identity using reliable, independent source documents, data or information.

(b) Identifying the beneficial owner and taking reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner, in such a manner that the Regulated Entity is satisfied that it knows who the beneficial owner is. Similarly, for legal persons and arrangements, the CDD shall include Regulated Entity taking reasonable steps to understand the nature of the customer's business, its ownership and control structure.

(c) Understanding and, as appropriate, obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship.

(d) Conducting ongoing due diligence on the business relationship and scrutiny of transactions undertaken throughout the course of business relationship to ensure that the transactions that are being conducted, are consistent with the Regulated Entity's knowledge of the customer, customer's business and risk profile, including, where necessary, the source of funds.

5.4.2. Identification of Customer

(a) If a customer is a natural person, a Regulated Entity shall obtain at least the following information:

(i) Full name, including any aliases;

(ii) Unique Identification Number (such as an Identity card number, passport number, etc.);

(iii) Date of birth;

(iv) Nationality;

(v) Legal domicile;

(vi) Current residential address; (other than a post office box address);

(vii) Contact details such as personal, office or work telephone numbers.

(b) If a customer is a legal person or legal arrangement, a Regulated Entity shall obtain at least the following information:

(i) The full name and any trading name;

(ii) Unique identification Number (i.e., Tax identification number or equivalent where this exists, incorporation number or business registration number);

(iii) Registered or business address, and if different, its principal place of business;

(iv) Date of establishment, incorporation or registration;

(v) Place of incorporation or registration.

(c) Further, in cases where the customer is a legal person or legal arrangement, a Regulated Entity shall, also identify the legal form, constitution and powers that regulate and bind the legal person or legal arrangement. In addition to this, Regulated Entity shall also identify and screen the related parties or connected parties of such customer and should remain apprised of any changes to connected parties. For identification of the connected parties, a Regulated Entity shall obtain at least the following information of each related or connected party:

(i) full name, including any aliases; and

(ii) Unique Identification Number (such as an Identity card number, passport number, etc.).

Guidance Note: -

(1) The concept of domicile generally refers to the place which a person regards as his permanent home and with which he has the closest ties, or which is his place of origin.

(2) A Regulated Entity should exercise greater caution when dealing with an unfamiliar or a new customer. Apart from obtaining the identification information required under Clause 5.4.2 (a), a Regulated Entity should (if not already obtained as part of its account opening process) also obtain additional information on the customer's background such as occupation, employer's name, nature of business, range of annual income, other related accounts with the same Regulated Entity and whether the customer holds or has held a prominent public position. Such additional identification information enables a Regulated Entity to obtain better knowledge of its customer's risk profile, as well as the purpose and intended nature of the account.

(3) Identification of connected parties or related parties may be undertaken using publicly available sources or databases such as company registries, annual reports. Additionally, it could be based on substantiated information provided by the customers.

5.4.3. Verification of Identity of Customer

(a) A Regulated Entity shall verify the identity of the customer using reliable, independent source data, documents or information. Where the customer is a legal person or legal arrangement, a Regulated Entity shall verify the legal form, proof of existence, constitution and powers that regulate and bind the customer, using reliable, independent source data, documents or information.

(b) When relying on documents, a Regulated Entity should be aware that the most reliable documents to verify the identity of the customer are those which are most difficult to obtain illegally or to counterfeit. These may include government-issued identity cards or current valid passport, reports from independent company registries, published or audited annual reports and other reliable sources of information. The rigor of the verification process should be commensurate with the customer's risk profile.

(c) In verifying the identity of a customer, a Regulated Entity may obtain the following documents:

In case of Natural Persons –

(i) any of the OVD specified under these Guidelines that contains photograph of the customer, name, unique identification number, date of birth and nationality; and

(ii) residential address based on OVD or recent utility bill, bank statement or such other documents specified under the definition of OVD.

In case of Legal persons or Legal Arrangements-

(i) **Name, legal form, proof of existence and constitution:** - the verification for the same can be obtained from certificate of incorporation, certificate of good standing, partnership deed/agreement,

trust deed, constitutional document, certificate of registration or any other document from a reliable independent source; and

(ii) **Powers that regulate and bind the legal person or legal arrangement**: - This can be ascertained from the constitutional documents, as well as the names of the relevant persons having a Senior Management position in the legal person or legal arrangement and board resolution or similar document authorising the opening of an account and appointment of its authorised signatories.

Guidance Note: -

(1) In cases where a customer is a natural person, the Regulated Entity shall obtain the OVD that contain a clear photograph of that customer.

(2) In cases where a customer is a foreign national, the national identity card and voter identification card, by whatever name called, issued by the Government of foreign jurisdictions or agencies authorised by them capturing the photograph, name, date of birth and address of a foreign national would also be considered as OVD. In case where the customer is an Indian national, OVD shall include the passport, the driving license, proof of possession of Aadhar number, the Voter's Identity Card, etc. as prescribed under the Rules (For more detailed understanding, refer OVD definition). For the purpose of customer verification, equivalent e-documents of OVDs shall also be treated as original document by a Regulated Entity.

(3) In cases where other than simplified measures are applied, the customer shall submit updated OVD or their equivalent e-documents thereof with current address within a period of three months of submitting the documents specified at the third proviso of Clause .1.3.30 above.

Explanation: - For those customers to whom simplified measures are not applied, the bank account or Post Office savings bank account statement or statement of foreign bank shall not be accepted as deemed OVD for the limited purpose of proof of address.

(4) While undertaking CDD for different customers (including legal persons or legal arrangements), a Regulated Entity should obtain such information and documents as required under these Guidelines. Illustrative list of information and documents which should be obtained for onboarding customers are specified in ***Annexure-I*** of these Guidelines.

(5) Further, for onboarding Indian Nationals, a Regulated Entity may follow the procedure as specified under ***Annexure-II*** of these Guidelines.

(6) A Regulated Entity should examine the original identification documents and retain a copy of the same. However, in complying with Clause 5.4.1, (i.e., undertaking customer due diligence), at times, if a customer is unable to produce, or it might not be possible for customer to submit original documents for verification (e.g., in situations where Regulated Entity has no physical contact with the customer or the onboarding of customer is done through non-face to face mode), a Regulated Entity should obtain a copy of the document that is certified to be a 'true copy' and such certification may be carried out by person specified in Clause 1.3.7 of these Guidelines.

(7) The Regulated Entity shall ensure that documents obtained for performing CDD, as required under these Guidelines, are clear and legible. This is important for the establishment of a customer's identity, particularly in situations where business relations are established through non-face to face mode.

(8) Except for high-risk customers, the following mode of verifications are also considered as sufficient to satisfy the requirements of Clause 5.4.3: -

(i) downloading publicly available information from an official source (such as a regulator's or other official government website);

(ii) CDD information and research obtained from a reputable company or information obtained from reliable and independent public information found on the internet and commercial databases, provided that the commercial database is recognized for such purpose by the home regulator, if any, of the database.

(9) Where a Regulated Entity obtains data, documents or information from the customer or a third party, it shall ensure that such data, documents or information is up-to-date.

(10) Where the customer is rated as high-risk, the identification information shall be independently verified, using both public and non-public sources.

5.4.4. Identification and Verification of Identity of Natural Person appointed to act on behalf of Customer

(a) Where a customer is a natural person or legal person, and appoints one or more natural persons to act on its behalf for establishing business relations with a Regulated Entity, the Regulated Entity shall identify each

natural person who acts or is appointed to act on behalf of such natural or legal person by obtaining information as specified in Clause 5.4.2 above.

(b) Further, the Regulated Entity shall verify the identity of each such natural persons using reliable, independent source data, documents or information. Furthermore, the Regulated Entity shall verify the authorisation of each natural person appointed to act on behalf of the customer by obtaining at least the following:

(i) The appropriate documentary evidence authorising the appointment of such natural person by the customer to act on his or its behalf which may include power of attorney, resolution passed by Governing Body or authorisation granted to transact on its behalf.

(ii) Where there is a long list of natural persons appointed to act on behalf of the customer (e.g., a list comprising more than 10 authorized signatories), the Regulated Entity shall verify those natural persons who will deal directly with the Regulated Entity.

5.4.5. Identification and Verification of Identity of Beneficial Owners

Where there is one or more Beneficial Owners in relation to a customer, the Regulated Entity shall identify the Beneficial Owners and take reasonable measures to verify their identities using the relevant information or data obtained from reliable, independent sources.

For the identification and verification of Identity of Beneficial Owner, the Regulated Entity should consider the following in relation to:

(a) Customers that are legal persons

(i) The identity of the natural person(s) (whether acting alone or together) exercising control over the legal person through ownership or who ultimately owns the legal person;

(ii) To the extent that there is doubt as to whether the natural persons who ultimately own the legal person are the beneficial owners or where no natural persons ultimately own the legal person, identify the natural person(s) (if any) who ultimately control the legal person or have ultimate effective control over the legal person.

(b) Customers that are legal arrangements

(i) Where the customer is a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen per cent. or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.

(ii) In all other types of legal arrangements, the Regulated Entity shall identify persons in equivalent or similar positions.

5.4.6. Parameters to Identify and Verify the Identity of Beneficial Owners: -

(a) Where the customer is a company, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical persons, has/have a controlling ownership interest or who exercise control through other means.

Explanation- For the purpose of this sub-clause-

(i) "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than twenty-five per cent. of the shares or capital or profits of the company;

(ii) "Control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;

(b) Where the customer is a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of/entitlement to more than fifteen per cent. of capital or profits of the partnership;

(c) Where the customer is an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of or entitlement to more than fifteen per cent. of the property or capital or profits of the unincorporated association or body of individuals.

Explanation: The term 'body of individuals' includes societies. Where no natural person is identified under (a) to (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official.

(d) Where the customer is a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen per cent. or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.

5.4.7. As per rule 9(3)(f) of the Rules, unless the Regulated Entity has doubts about the veracity of the CDD information, or suspects that customer may be connected with ML/TF, it shall not be required to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of a customer in the following -

Where the client or the owner of the controlling interest is an entity listed on the stock exchange in India, or it is an entity resident in jurisdictions notified by the Central Government and listed on stock exchanges in such jurisdictions notified by the Central Government, or it is a subsidiary of such listed entities and such other entities who have been excluded from the requirements regarding identifying and verifying beneficial owners of a customer under the Act and Rules.

5.4.8. As per the proviso of rule 9(1)(b) of the Rules, in cases where a customer is subscribing or dealing with depository receipts or equity shares issued or listed in jurisdictions notified by the Central Government, of a company incorporated in India, and it is acting on behalf of a beneficial owner who is resident of such jurisdiction, the determination, identification and verification of such beneficial owner, shall be as per the norms of such jurisdiction and nothing in sub-rules (3) to (9) of the rule 9 of the Rules shall be applicable for due-diligence of such beneficial owner.

Guidance Note: -

(1) For opening an account of a Legal Person who is not a natural person, the Regulated Entity has to identify the beneficial owner(s) and shall undertake all reasonable steps to verify his/her identity in terms of sub- rule (3) of rule 9 of the Rules.

(2) A Regulated Entity may also consider obtaining an undertaking or declaration from the customer on the identity of, and the information relating to, the beneficial owner.

(3) Notwithstanding the obtaining of such an undertaking or declaration, the Regulated Entity remains responsible for complying with the obligations under the Guidelines to take reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner by, for example, researching publicly available information on the beneficial owner or arranging a face-to-face meeting with the beneficial owner, to corroborate the undertaking or declaration provided by the customer.

(4) Where the customer is not a natural person and has a complex ownership or control structure, a Regulated Entity should obtain enough information to sufficiently understand if there are legitimate reasons for such ownership or control structure.

(5) Where the Regulated Entity has exhausted all possible means but has not been able to identify the Beneficial Owners under Clause 5.4.5., it shall treat the Senior Management of the said legal person or legal arrangement, as the Beneficial Owners. However, in such cases, the Regulated Entity shall keep a record of all the actions it has taken to identify the Beneficial Owners of such legal persons or legal arrangement.

(6) If the ownership or control arrangements of a customer are of such a nature that the Regulated Entity is prevented from identifying the Beneficial Owners, the Regulated Entity shall not establish a business relationship with the customer under Clause (a) of 4.4.

(7) In relation to Clause 5.4.7 and Clause 5.4.8 above, currently the notified jurisdictions by Central Government are as follows: -

(i) United States of America

(ii) Japan

(iii) South Korea

(iv) United Kingdom excluding British Overseas Territories

(v) France

(vi) Germany

(vii) Canada

(8) Where the customer is not a natural person, the Regulated Entity shall understand the nature of the customer’s business, its ownership and control structure, before opening an account.

5.4.9. Identifying and verifying beneficiary of a life insurance policy

For life or other investment-related insurance business, Regulated Entity shall, in addition to the CDD measures required for the customer and the beneficial owner, conduct the following CDD measures on the beneficiary(ies) of life insurance and other investment related insurance policies, as soon as the beneficiary(ies) are identified/designated:

(i) A Regulated Entity shall, as soon as a beneficiary of a life policy is identified as a specifically named natural person, legal person or legal arrangement, obtain the full name, including any aliases, of such beneficiary;

(ii) For beneficiary(ies) that are designated by characteristics or by class (e.g., spouse or children at the time that the insured event occurs) or by other means (e.g., under a will) – the Regulated Entity shall obtain sufficient information concerning the beneficiary(ies) to satisfy itself that it will be able to establish the identity of the beneficiary(ies) at the time of the payout.

Guidance Note: -

(1) For both the cases referred to in (i) and (ii) of the Clause 5.4.9 above, the verification of the identity of the beneficiary(ies) should be conducted at the time of the payout.

(2) The information collected under (i) and (ii) of the Clause 5.4.9 above, should be recorded and maintained in accordance with the record keeping requirements under these Guidelines.

(3) The beneficiary of a life insurance policy should be included as a relevant risk factor by the Regulated Entity in determining whether enhanced CDD measures are applicable. If the Regulated Entity determines that a beneficiary who is a legal person or a legal arrangement presents a high risk, then the enhanced CDD measures should include reasonable measures to identify and verify the identity of the beneficial owner of the beneficiary, at the time of payout.

5.4.10. Information on the Purpose and Intended Nature of Business Relations

(a) A Regulated Entity shall, while establishing business relationship, understand and as appropriate, obtain information from the customer as to the purpose and intended nature of business relations.

(b) The measures taken by a Regulated Entity to understand the purpose and intended nature of business relations should be commensurate with the risk profile and complexity of the customer's business.

5.5. Accounts of Politically Exposed Persons

(a) A Regulated Entity shall implement appropriate internal risk management systems, policies and procedures to determine if a customer or any natural person appointed to act on behalf of the customer, or any beneficial owner of the customer is a politically exposed person (PEP) or in case of a life insurance or other similar policy, if a beneficiary of the policy, or a Beneficial Owner of a beneficiary, is a PEP.

(b) A Regulated Entity shall, in addition to undertaking CDD measures, undertake at least the following additional measures where a customer or any beneficial owner of the customer or beneficiary of a life insurance or other similar policy, or a Beneficial Owner of a beneficiary is determined by the Regulated Entity to be a PEP:

(i) Collect by appropriate and reasonable means, adequate information including information about the source of wealth and income of family members, any beneficial owner and close relatives;

(ii) Verify the identity before accepting the PEP as a customer;

(iii) Obtain approval from its Senior Management before opening an account of a PEP or making any payout under the life insurance or other similar policy to the PEP;

(iv) In the event of an existing customer or the beneficial owner of an existing account subsequently becoming a PEP, obtain the Senior Management's approval to continue the business relationship;

(v) Increase the degree and nature of ongoing monitoring of the business relationship, to determine whether the customer's transactions or activities appear unusual or suspicious.

(vi) Carry out the additional Customer Due Diligence for circumstances specified in sub-clauses (i) to (v) above, before making any payout under the life insurance or other similar policy.

(c) A Regulated Entity may adopt a risk-based approach in determining whether to perform enhanced CDD measures or the extent of enhanced CDD measures to be performed for:-

(i) PEP, their family members and close associates;

(ii) International Organisation PEP, their family members, and close associates; or

(iii) PEP who have stepped down from their prominent public functions, taking into consideration the level of influence such persons may continue to exercise after stepping down, their family members and close associates, except in cases where their business relations or transactions with the Regulated Entity present a high risk for ML/TF.

Guidance Note: -

(1) A Regulated Entity is required to take reasonable measures to determine whether a customer or beneficial owner is a PEP or a person who is or has been entrusted with a prominent function by an international organisation.

(2) A Regulated Entity shall also ascertain the source of wealth of the customers by appropriate and reasonable means. (Examples of appropriate and reasonable means of establishing source of wealth are information and documents such as evidence of title, copies of trust deeds, audited accounts, salary details, tax returns, bank statements, etc.).

(3) A Regulated Entity should be aware that customer relationships with family members or close associates of PEPs involve similar risks to those associated with PEPs themselves. Therefore, the measures applied for all types of PEPs should also apply to family members or close associates of such PEPs.

(4) A Regulated Entity should not automatically treat all individuals who are PEPs, as a high-risk customer. Each PEP should be assessed on risk sensitive basis and the Regulated Entity shall determine what risk category is appropriate for such PEPs. In case a PEP is assigned as high risk, the Regulated Entity shall undertake the Enhanced Customer Due Diligence measures referred under Clause 5.6. However, even if a PEP is not assigned a high risk, the Regulated Entity shall still undertake the additional customer due diligence measures specified in Clause 5.5 (b) for PEPs.

(5) Source of wealth generally refers to the origin of the customer's and beneficial owner's entire body of wealth (i.e., total assets). This relates to how the customer and beneficial owner have acquired the wealth which is distinct from identifying the assets that they own. Source of wealth information should give an indication about the size of wealth the customer and beneficial owner would be expected to have. Although the Regulated Entity may not have specific information about assets that are not deposited with or processed by the Regulated Entity, it may be possible to obtain general information from the customer, commercial databases or other open sources.

(6) Verification of source of wealth can be carried out by various measures including obtaining independent corroborating evidence such as share certificates, publicly available registers of ownership, information and documents such as evidence of title, copies of trust deeds, bank or brokerage account statements, probate documents, audited accounts and financial statements, salary details, tax returns, news items from a reputable source and other similar evidence. For instance:

(i) for a legal person, this might be achieved by obtaining its financial or annual reports published on its website or news articles and press releases that reflect its financial situation or the profitability of its business; and

(ii) for a natural person, this might include documentary evidence which corroborates answers given to questions on the source of wealth in an application form or customer questionnaire. For example, if a natural person attributes the source of his wealth to inheritance, he may be asked to provide a copy of the relevant will or grant of probate. In other cases, a natural person may be asked to provide bank statements, salary statements or tax returns covering number of years to draw up a picture of his source of wealth.

5.6. Enhanced Due Diligence

(a) Where the risks of ML/TF are high, a Regulated Entity shall conduct enhanced CDD measures, consistent with the risks identified. The enhanced CDD measures are as follows: -

(i) Obtaining additional information on the customer (e.g., occupation, volume of assets, information available through public databases, internet, etc.), and updating more regularly the identification data of customer and beneficial owner.

(ii) Obtaining information and taking additional steps to examine the ownership and financial position, including source of wealth and source of funds of the customer or, if applicable, of the Beneficial Owner.

(iii) Obtaining information and taking additional steps to record the purpose behind conducting the specified transaction and the intended nature of the relationship between the transaction parties.

(iv) Obtaining the approval of Senior Management to commence or continue the business relationship.

(v) Conducting enhanced monitoring of the business relationship, by increasing the number and timing of controls applied, and selecting patterns of transactions that need further examination; and,

(vi) Requiring the first payment to be carried out through an account in the customer's name with a bank subject to similar CDD standards.

(b) Where applicable, it is required that first payment made by a customer in order to open an account with a Regulated Entity shall be carried out through a bank account in the customer's name with:

(i) a Bank;

(ii) a regulated financial institution whose entire operations are subject to regulation and supervision, including AML/CFT regulation and supervision, in a jurisdiction where its regulations on AML/CFT are equivalent to the standards set out in the FATF recommendations; or

(iii) a subsidiary of a regulated financial institution referred to in (ii), if the law that applies to the Parent entity ensures that the subsidiary also observes the same AML/CFT standards as its Parent entity.

Guidance Note: -

(1) The Enhanced CDD measures will apply depending upon the risk profile of the customer and the extent of its applicability to a customer shall be decided on case-to-case basis.

(2) Circumstances where a customer presents or may present a high probability of ML/TF risk may include, but are not limited to the following:

(i) where a customer or any beneficial owner of the customer is from or in a country or jurisdiction in relation to which the FATF has called for countermeasures; and

(ii) where a customer or any beneficial owner of the customer is from or in a country or jurisdiction known to have inadequate AML/CFT measures, as determined by the Regulated Entity for itself or notified to Regulated Entity generally by the Authority or other relevant domestic authorities in India or other foreign regulatory authorities.

(3) For establishing an account-based relationship with high-risk customers, the approval may be given by Senior Management or committee of senior managers or an individual member who has been authorised by the Senior Management in this behalf.

(4) In cases where a customer uses complex legal structures and/or trusts, private investment vehicle, the Regulated Entity shall satisfy itself that it is used for a legitimate and genuine purpose.

(5) The Regulated Entity shall take reasonable measures to examine the source of wealth and source of funds. That is, where the funds for a particular service or transaction will come from (e.g., a specific bank account held with a specific financial institution) and whether that funding is consistent with the source of wealth of the customer or, if applicable, of the Beneficial Owner.

(6) Source of funds refers to the origin of the particular funds or other assets which are the subject of the establishment of business relations. In order to ensure that the funds are not proceeds of crime, the Regulated Entity should not limit its source of funds inquiry to identifying the other financial institution from which the funds have been transferred, but more importantly, the activity that generated the funds. The information obtained should be substantive and facilitate the establishment of the provenance of the funds or reason for the funds having been acquired.

(7) Examples of appropriate and reasonable means of establishing source of funds are such as proof of dividend payments connected to a shareholding, bank statements, salary payments or bonus certificates, sale proceeds, loan documentation and proof of a transaction which gave rise to the payment into the account.

(8) A customer should be able to demonstrate and document how the relevant funds are connected to a particular event which gave rise to the payment into the account or to the source of the funds for a transaction.

5.7. Simplified Customer Due Diligence

(a) Where the risks of ML/TF are low, a Regulated Entity may conduct simplified CDD measures, which should be commensurate with the low risk factors. Examples of possible measures are:

(i) Verifying the identity of the customer and the beneficial owner after the establishment of the business relationship as specified under Clause 5.3.

(ii) Reducing the frequency of customer identification updates.

(iii) Reducing the degree of on-going monitoring and scrutinizing transactions, based on a reasonable monetary threshold.

(iv) Not collecting specific information or carrying out specific measures to understand the purpose and intended nature of the business relationship but inferring the purpose and nature from the type of transactions or business relationship established.

(b) Simplified CDD (SCDD) measures shall not be conducted where there is a suspicion of ML/TF.

Guidance Note: -

(1) Where a Regulated Entity applies SCDD measures, it is still required to perform ongoing monitoring of business relations as specified under Clause 5.8.

(2) A Regulated Entity is not required to identify or verify Beneficial Owners for retail investment funds which are widely held and for investment funds where the investor invests via pension contributions.

(3) The Regulated Entity may also use other measures to conduct CDD in accordance with the customer risks.

5.8. Ongoing customer due diligence

While undertaking the ongoing customer due diligence, as required under Clause 5.4.1.(d), the following requirements shall be complied with by a Regulated Entity: -

(i) The Regulated Entity shall monitor its business relations with the customer on an ongoing basis.

(ii) The Regulated Entity during the course of business relations with a customer, shall observe the conduct of the customer's account and scrutinize transactions undertaken throughout the course of business relations, to ensure that the transactions are consistent with Regulated Entity's knowledge of the customer, its business and risk profile and where appropriate, may seek the source of wealth and source of funds.

(iii) The Regulated Entity shall pay particular attention to any complex, unusually large or unusual patterns of transactions undertaken throughout the course of business relations, that have no apparent or visible economic or legitimate purpose.

(iv) The Regulated Entity shall make further enquiries into the background and purpose of the transaction specified in sub-clause (iii) above and document its findings so that this information is made available to the relevant authorities, should the need arise.

(v) A Regulated Entity shall periodically review each customer to ensure that the risk rating assigned under Clause 4.1. (a) (ii) above, is commensurate with the ML/TF risks posed by the customer.

(vi) Where there are indications that the risks associated with an existing business relation with the customer may have increased, the Regulated Entity shall request additional information and conduct a review of the customer's risk profile in order to determine if additional measures are necessary.

(vii) The Regulated Entity shall ensure that the Customer Due Diligence data, documents and information obtained in respect of customers, natural persons appointed to act on behalf of the customers, related parties of the customers and beneficial owners of the customers, are relevant and kept up-to-date by undertaking the review of adequacy of the existing Customer Due Diligence data, documents and information, particularly for customers with high-risk rating.

Guidance Note: -

(1) For an effective and robust AML/CFT risk management system, a Regulated Entity shall follow the process of Ongoing monitoring of all business relations. However, the rigor and extent of monitoring of a customer shall be determined based on the customer's ML/TF risk profile.

(2) An essential aspect of ongoing monitoring includes maintaining up-to-date and relevant Customer Due Diligence data, documents and information so that the Regulated Entity can identify the changes in customer's risk profile. The following shall be followed by the Regulated Entity: -

(i) for customers who are rated as high risk, the Regulated Entity shall obtain updated CDD information (including updated copies of the customer's Officially Valid Documents if these have expired), as part of its periodic CDD review, or upon the occurrence of a trigger event as deemed necessary by the Regulated Entity, whichever is earlier; and

(ii) for all other risk categories of customers, a Regulated Entity should obtain updated CDD information upon the occurrence of a trigger event.

(3) A Regulated Entity shall undertake a review under sub-clause (v) and (vii) of Clause 5.8, both periodically and at other appropriate times, including when:

(i) the Regulated Entity changes its CDD documentation requirements;

(ii) an unusual transaction with the customer is expected to take place;

(iii) there is a material change in the business relationship with the customer; or

(iv) there is a material change in the nature or ownership of the customer.

5.9. Ongoing sanctions screening

A Regulated Entity shall review its customers, their business and transactions against United Nations Security Council sanctions lists and also against any other relevant sanctions list when complying with Clause 5.4.1 (d).

5.10. Failure of Regulated Entity to conduct or complete customer due diligence

(a) In cases where a Regulated Entity is unable to conduct or complete the requisite Customer Due Diligence for a customer in accordance with Clause 5.4.1, it, to the extent relevant, shall: -

(i) not open an account or otherwise provide a service;

(ii) not carry out a transaction with or for the customer;

(iii) not otherwise establish a business relationship;

(iv) terminate or suspend any existing business relationship with the customer;

(v) return any monies or assets received from the customer; and,

(vi) consider whether the failure to conduct or complete Customer Due Diligence necessitates the filing of a Suspicious Transaction Report (STR).

(b) A Regulated Entity is not bound to comply with sub-clauses (a) (i) to (v) above, if it amounts to "tipping off" of the customer, or FIU-IND directs the Regulated Entity to act otherwise.

Guidance Note: -

(1) A Regulated Entity while complying under Clause 5.10 (a), should apply one or more of the measures specified under sub-clauses (i) to (vi) above, as applicable, in the circumstances. In cases where CDD cannot be completed, it is appropriate that the Regulated Entity shall not carry out transaction until the completion of pending CDD.

(2) Clause 5.10 shall apply to both existing and prospective customers. In case of existing customers, while termination of the business relationship should not be ruled out, suspension may be more appropriate depending on the circumstances.

(3) The Risk Based Approach shall be adopted for the Customer Due Diligence of the existing customers.

5.11. Periodic Updation

A Regulated Entity shall adopt a risk-based approach for periodic updation of CDD. The periodicity of updation from the date of opening of the account / last CDD updation for different categories of customers is as follows: -

(i) Annually- for high-risk customers;

(ii) once in three years- for medium risk customer; and,

(iii) once in every five years- for low-risk customers.

Policy in this regard shall be documented as part of Regulated Entity's internal KYC policy, which is duly approved by the Governing Body of the Regulated Entity.

(a) Individual Customers:

(i) No change in CDD information:

In case of no change in the CDD information, a self-declaration from the customer in this regard may be obtained through mobile number registered with the Regulated Entity or through digital channels (such as online banking / internet banking, e-mail or mobile application of Regulated Entity).

(ii) Change in address:

(aa) In case of a change only in the address details of the customer, a self-declaration of the new address may be obtained from the customer through customer's email-id registered with the Regulated

Entity, customer's mobile number registered with the Regulated Entity, digital channels (such as online banking internet banking, e-mail or mobile application of the Regulated Entity). The declared address shall be verified through positive confirmation within two months, by means such as address verification letter, contact point verification, deliverables etc.

(bb) Further, a Regulated Entity shall obtain a copy of OVD or the equivalent e-documents thereof for the purpose of proof of address declared by the customer at the time of periodic updation. Such requirement, however, shall be clearly specified by the Regulated Entity in its internal KYC policy, duly approved by its Governing Body.

(b) Customers other than Natural Persons:

(i) No change in CDD information:

In case of no change in the CDD information of a customer, which is a non-natural person, a self-declaration through email id registered with the Regulated Entity, digital channels (such as online banking / internet banking, mobile application of Regulated Entity), a letter duly signed by authorised official and requisite resolutions in this regard shall be obtained from the customer. Further, a Regulated Entity shall ensure that Beneficial Ownership (BO) information available with them is accurate and up-to-date.

(ii) Change in CDD information:

In case of change in CDD information, Regulated Entity shall undertake fresh CDD process as is applicable for on boarding a new customer which is a non-natural person.

(c) Additional measures:

In addition to the above, a Regulated Entity shall ensure that:

(i) The KYC documents of the customer as per the current CDD standards are available with it. This is applicable even if there is no change in customer information but the documents available with the Regulated Entity are not as per the current CDD standards. Further, in case the validity of the CDD documents available with the Regulated Entity has expired at the time of periodic updation of CDD, Regulated Entity shall undertake fresh CDD process equivalent to that applicable for on boarding a new customer.

(ii) In case of Indian National, the customer's PAN details, if available with the Regulated Entity, is verified from the database of the issuing authority at the time of periodic updation of CDD.

(iii) Acknowledgment is provided to the customer mentioning the date of receipt of the relevant document(s), including self-declaration from the customer, for carrying out periodic updation. Further, the Regulated Entity shall ensure that the information / documents obtained from the customers at the time of periodic updation of CDD are promptly updated in its records / database and an intimation, mentioning the date of updation of CDD details, is provided to the customer.

(iv) In order to ensure customer convenience, a Regulated Entity may consider making available the facility of periodic updation of CDD at any of its branch, or in such other facilities in terms of its internal KYC policy, duly approved by its Governing Body.

(v) A Regulated Entity shall adopt a risk-based approach with respect to periodic updation of CDD. Any additional and exceptional measures, which otherwise are not mandated under the above instructions, adopted by the Regulated Entity (such as requirement of obtaining recent photograph, requirement of physical presence of the customer, requirement of periodic updation of CDD only where account is maintained, a more frequent periodicity of CDD updation than the minimum specified periodicity etc.), shall be clearly specified in its approved internal KYC policy.

(vi) A Regulated Entity shall ensure that its internal KYC policy and processes on updation / periodic updation of CDD are transparent and adverse actions against the customers should be avoided, unless warranted by specific regulatory requirements.

CHAPTER-VI

THIRD PARTY RELIANCE

6.1. For the purposes of these Guidelines, "Third Party" shall mean-

(a) A financial institution which is subject to and supervised by a financial regulator; or

(b) In relation to a Regulated Entity, its branches, subsidiaries, parent entity, the branches and subsidiaries of the parent entity, and other related corporations;

AND

(c) Has an existing client relationship with a person whose data would be used for CDD and customer verification by a Regulated Entity.

6.2. A Regulated Entity may rely on a Third Party to perform CDD measures, subject to the following conditions:

(a) The Regulated Entity shall obtain records or information of the client due diligence carried out by the third party, within 2 days;

(b) The Regulated Entity shall take adequate steps to satisfy itself that the copies of identification data and other relevant documentation relating to the client due diligence will be made available by the third party upon request, without delay;

(c) The Regulated Entity is satisfied that the third party, it intends to rely upon, is regulated, supervised or monitored for, and has measures in place for compliance with client due diligence and record-keeping requirements mentioned under recommendation 10 and 11 of the FATF recommendations and also are in line with the requirements and obligations under the Act;

Provided that where a Regulated Entity relies on a third party that is part of the same Financial Group, the above condition is not applicable. The Regulated Entity can rely on member of the Financial Group subject to the condition that such member meets the following requirements: -

(i) the Financial Group applies and implements a group-wide policy on customer due diligence and record keeping, which meets the standards set out in the FATF Recommendations; and

(ii) the implementation of Customer Due Diligence and record keeping at the group level are supervised by a financial services regulator or other competent authority in a country.

(d) The third party is not based in a country or jurisdiction assessed as high risk;

(e) No Regulated Entity shall rely on a third party to conduct ongoing monitoring of business relations with customers;

(f) No Regulated Entity shall rely on a third party specifically precluded by the Authority from relying upon;

(g) The Regulated Entity shall document the basis for its satisfaction that the requirements under sub-clause (c) above, have been met;

(h) The reliance on Third Party shall also be subject to the conditions that are specified in rule 9 (2) of the Rules and shall be in accordance with the regulations and circulars/guidelines issued by Authority from time to time; and,

(i) The Regulated Entity is ultimately responsible for client due diligence and undertaking enhanced due diligence measures, as applicable.

Guidance Note: -

(1) In a Third-Party reliance scenario, the Third Party will typically have an existing relationship with the customer that is independent of the relationship to be formed by the customer with the relying Regulated Entity. The third party will therefore perform the CDD measures on the customer according to its own AML/CFT policies, procedures and controls.

(2) Obtaining records or information of the client due diligence under sub-clause (a) above, means obtaining all relevant CDD information, and not just basic information such as name and address.

(3) For the avoidance of doubt, it is clarified that a Regulated Entity is not required automatically to obtain the underlying certified documents used by the third party to undertake its CDD. A Regulated Entity shall, however, under sub-clause (b) above, ensure that the certified documents are readily available from the third party on request.

(4) The Regulated Entity shall take appropriate steps to identify, assess and understand the ML/TF risks particular to the countries or jurisdictions that the third party operates in.

(5) Where a particular jurisdiction's laws (such as secrecy or data protection legislation) would prevent a Regulated Entity from having access to CDD information upon request without delay, the Regulated Entity should undertake the relevant CDD itself and should not rely on the third party.

(6) If a Regulated Entity is not reasonably satisfied that a customer or Beneficial Owner has been identified and verified by a third party in a manner consistent with these Guidelines, the Regulated Entity shall immediately perform the Customer Due Diligence itself with respect to any deficiencies identified.

(7) When assessing under Clause 6.2 (c) above, a Regulated Entity shall consider following factors including, among other things:

(a) mutual evaluations, assessment reports or follow-up reports published by FATF and other International Organisations;

(b) contextual factors such as political stability or the level of corruption in the jurisdiction;

(c) evidence of recent criticism of the jurisdiction, including in:

(i) FATF advisory notices;

(ii) public assessments of the jurisdiction's AML regime by organisations referred to in (a); or

(iii) reports by other relevant non-government organisations or specialist commercial organisations.

CHAPTER-VII

CORRESPONDENT BANKING AND WIRE TRANSFERS

7. Correspondent Banking

7.1. A Regulated Entity shall have a policy approved by its Governing Body, or by a committee headed by the Chairman/CEO/MD to lay down parameters for approving correspondent banking relationships subject to the following conditions namely: -

(a) assessment of the suitability of the respondent bank by taking the following steps:

(i) gather adequate information about the respondent bank to fully understand the nature of the respondent bank's business, including making appropriate inquiries on its management, its major business activities and the countries or jurisdictions in which it operates;

(ii) determine from the available sources, the reputation of the respondent bank and the quality of supervision over it, including whether it has been the subjected to any ML/TF investigation or regulatory action; and,

(iii) assess the respondent bank's AML/CFT controls and ascertain whether they are adequate and effective, having regard to the AML/CFT measures of the country or jurisdiction in which the respondent bank operates;

(b) the responsibilities of each bank with whom correspondent banking relationship is established shall be clearly documented.

(c) obtain approval from the Senior Management before providing correspondent banking or similar services to a respondent bank.

(d) in the case of payable-through-accounts, the correspondent bank shall be satisfied that the respondent bank has verified the identity of the customers having direct access to the accounts and is undertaking on-going 'due diligence' on them.

(e) The correspondent bank shall ensure that the respondent bank is able to provide the relevant customer identification data immediately on request.

(f) Correspondent relationship shall not be entered into with a bank which is a Shell Financial Institution.

(g) It shall be ensured that the correspondent banks do not permit their accounts to be used by bank which is a Shell Financial Institution.

(h) It shall be cautious with respondent banks located in jurisdictions which have strategic deficiencies or have not made sufficient progress in implementation of FATF Recommendations.

(i) It shall be ensured that respondent banks have KYC/AML policies and procedures in place and apply enhanced 'due diligence' procedures for transactions carried out through the correspondent accounts.

Wire Transfers

7.2. This Clause shall apply to a bank or Regulated Entity when it sends funds by wire transfer or when it receives funds (including serial payments and cover payments) by wire transfer on the account of the wire transfer originator or the wire transfer beneficiary, but shall not apply to a transfer and settlement between the bank and another financial institution where the bank and the other financial institution are acting on their own behalf as the wire transfer originator and the wire transfer beneficiary, respectively.

7.3. A Regulated Entity shall monitor payment messages to and from high-risk countries or jurisdictions, as well as transactions with high risk countries or jurisdictions and suspend or reject payment messages or transactions with sanctioned parties or countries or jurisdictions.

7.4. Where name screening checks confirm that the wire transfer originator or wire transfer beneficiary is a terrorist or a terrorist entity, the Regulated Entity shall block, reject or freeze assets of these terrorists or terrorist entities immediately.

7.5. Where there are positive hits arising from name screening checks, they should be escalated to the Principal Officer. The decision to approve or reject the receipt or release of the wire transfer should be made at an appropriate level and be documented.

7.6. A Regulated Entity shall not omit, delete or alter information in payment messages, for the purpose of avoiding detection of that information by another Regulated Entity in the payment process.

Guidance Note: -

(1) Clause 7.2. is not intended to cover: -

(i) any transfer that flows from a transaction carried out using a credit, charge, debit or prepaid card for the purchase of goods or services, so long as the credit, charge, debit or prepaid card number accompanies all transfers flowing from the transaction.

(ii) transfers and settlements between the entities, where both the originator and the beneficiary are Regulated Entities acting on their own behalf.

(2) Clause 7.2. shall apply when a credit, charge, debit or prepaid card is used as a payment system to effect a person-to-person wire transfer. In such a case, the necessary information should be included in the message for such transactions.

7.7. Responsibility of the Ordering Institution

7.7.1. Identification and Recording of Information

Before effecting a wire transfer, every bank that is an ordering institution shall: -

(a) identify the wire transfer originator and verify his or its identity; and

(b) record adequate details of the wire transfer so as to permit its reconstruction, including but not limited to, the date of the wire transfer, the type and amount of currency transferred and the value date.

7.7.2. Cross-Border Wire Transfers Below or Equal To USD 1000

In a cross-border wire transfer where the amount to be transferred is below or equal to USD 1000, every bank which is an ordering institution shall include in the message or payment instruction that accompanies or relates to the wire transfer, the following:

(a) the name of the wire transfer originator;

(b) the wire transfer originator's account number (or unique transaction reference number where no account number exists);

(c) the name of the wire transfer beneficiary; and

(d) the wire transfer beneficiary's account number (or unique transaction reference number where no account number exists).

7.7.3. Cross-border Wire Transfers Exceeding USD 1000

(a) In a cross-border wire transfer where the amount to be transferred exceeds USD 1000, every bank which is an ordering institution shall include in the message or payment instruction that accompanies or relates to the wire transfer, the information required under Clause 7.7.2. (a) to (d), and any of the following:

(i) the wire transfer originator's residential address;

(ii) registered or business address, and if different, principal place of business, as the case may be;

(iii) the wire transfer originator's unique identification number (such as an identity card number, birth certificate number or passport number, or where the wire transfer originator is not a natural person, the incorporation number or business registration number); or

(iv) the date and place of birth, incorporation or registration of the wire transfer originator (as applicable).

(b) Where several individual cross-border wire transfers from a single wire transfer originator are bundled in a batch file for transmission to wire transfer beneficiaries, a bank shall ensure that the batch transfer file contains below information which are fully traceable within the beneficiary country:

(i) the wire transfer originator information required under Clause 7.7.3, which has been verified; and

(ii) the wire transfer beneficiary information required under Clause 7.7.3.

7.7.4. Domestic Wire Transfers

In a domestic wire transfer, every bank that is an ordering institution shall either: -

(a) include in the message or payment instruction that accompanies or relates to the wire transfer, the following:

(i) the name of the wire transfer originator;

(ii) the wire transfer originator's account number (or unique transaction reference number where no account number exists); and

(iii) any of the following:

(aa) the wire transfer originator's residential or registered or business address or principal place of business (if registered and business addresses are different), as applicable;

(bb) the wire transfer originator's unique national identification number (such as an identity card number, birth certificate number or passport number, or where the wire transfer originator is not a natural person, the incorporation number or business registration number);

(cc) the date and place of birth, incorporation or registration of the wire transfer originator (as applicable).

(b) Include only the wire transfer originator's account number (or unique transaction reference number where no account number exists), provided: -

(i) that these details will permit the transaction to be traced back to the wire transfer originator and wire transfer beneficiary;

(ii) the ordering institution shall provide the wire transfer originator information set out in Clause 7.7.4. (a) above, within 3 business days of a request for such information by the beneficiary institution, by the Authority or other relevant authorities; and

(iii) the ordering institution shall provide the wire transfer originator information set out in Clause 7.7.4. (a) above, immediately upon request for such information by law enforcement authorities in India.

(c) All wire transfer originator and beneficiary information collected by the ordering institution shall be documented. Where the ordering institution is unable to comply with the requirements under Clause 7.7.1. to 7.7.4, it shall not execute the wire transfer.

7.7.5. Responsibility of the Beneficiary Institution

(a) A bank that is a beneficiary institution shall take reasonable measures, including post event monitoring or real-time monitoring where feasible, to identify cross-border wire transfers that lack the required wire transfer originator or required wire transfer beneficiary information.

(b) For cross-border wire transfers, a beneficiary institution shall identify and verify the identity of the wire transfer beneficiary, if the identity has not been previously verified.

(c) A bank that is a beneficiary institution shall implement appropriate internal risk-based policies, procedures and controls for determining:

(i) when to execute, reject, or suspend a wire transfer lacking required information related to wire transfer originator or wire transfer beneficiary; and

(ii) the appropriate follow-up action.

7.7.6. Responsibility of the Intermediary Institution

(a) A bank, who is acting as an intermediary institution, shall retain all the required information related to wire transfer originator and wire transfer beneficiary, accompanying the wire transfer.

(b) Where technical limitations prevent the required information related to wire transfer originator or wire transfer beneficiary accompanying a cross-border wire transfer from remaining with a related domestic

wire transfer, a record shall be preserved by the receiving intermediary institution for at least six years or for such period as prescribed under the applicable laws.

(c) An intermediary institution shall implement appropriate internal risk-based policies, procedures and controls for determining-

(i) when to execute, reject, or suspend a wire transfer lacking required wire transfer originator or wire transfer beneficiary information; and

(ii) the appropriate follow-up actions.

CHAPTER—VIII

INTERNAL POLICIES, COMPLIANCE, AUDIT AND TRAINING

8.1. Internal Policies

A Regulated Entity shall develop and implement adequate internal policies, procedures, and controls, taking into consideration its ML/TF risks and the size of business, to help prevent ML/TF, and communicate these to its employees.

Guidance Note:

As internal policies and procedures serve to guide employees, officers and representatives in ensuring compliance with AML/CFT laws and regulations, it is important that a Regulated Entity updates its policies and procedures in a timely manner, to take into account new operational, legal and regulatory developments and emerging or new ML/TF risks.

8.2. Compliance

(a) A Regulated Entity shall develop appropriate compliance management, including appointing or designating a Principal Officer at the management level and shall also develop compliance framework.

(b) A Regulated Entity shall ensure that the Principal Officer, as well as any other persons appointed to assist him, is suitably qualified and, has adequate resources and timely access to all customer records and other relevant information which he may require to discharge his functions.

(c) A Regulated Entity shall ensure that the Principal Officer has the necessary seniority and authority within the Regulated Entity to effectively perform his responsibilities.

(d) The responsibilities of the Principal Officer shall include:

(i) carrying out, or overseeing the carrying out of, ongoing monitoring of business relations for compliance with these Guidelines;

(ii) promoting compliance of these Guidelines and taking overall charge of all AML/CFT matters within the organisation;

(iii) informing employees, officers and representatives promptly of regulatory changes;

(iv) ensuring a speedy and appropriate reaction to any matter in which ML/TF is suspected;

(v) reporting or overseeing the reporting of suspicious transactions;

(vi) advising and training employees, officers and representatives on developing and implementing internal policies, procedures and controls on AML/CFT;

(vii) reporting to Senior Management on the outcome of reviews of the Regulated Entity's compliance with these Guidelines & risk assessment procedures; and

(viii) reporting regularly on key AML/CFT risk management and control issues, and any necessary remedial actions, arising from audit, inspection & compliance reviews to the Regulated Entity's Senior Management.

(e) The business interests of a Regulated Entity should not interfere with the effective discharge of the above-mentioned responsibilities of the Principal Officer and potential conflicts of interest should be avoided.

(f) To enable unbiased judgments and facilitate impartial advice to management, the Principal Officer should be distinct from the internal audit and business line functions. Where any conflict between business lines and the responsibilities of the Principal Officer arises, procedures should be in place to ensure that AML/CFT concerns are objectively considered and addressed at the appropriate level of the Regulated Entity's management.

8.3. Audit

(a) A Regulated Entity shall maintain an audit function that is adequately resourced and independent, that is able to regularly assess the effectiveness of the Regulated Entity's internal policies, procedures and controls, in compliance with regulatory requirements and these Guidelines.

(b) A Regulated Entity's AML/CFT framework should be subjected to periodic audits. Such audits should be performed not just on individual business functions but also on a Regulated Entity-wide basis. Auditors should assess the effectiveness of measures taken to prevent ML/TF. This would *inter-alia* include —

(i) Determining the adequacy of the Regulated Entity's AML/CFT policies, procedures and controls, ML/TF risk assessment framework and application of risk-based approach;

(ii) Reviewing the content and frequency of AML/CFT training programmes, and the extent of employee's, officer's and representative's compliance with established AML/CFT policies and procedures; and

(iii) Assessing whether instances of non-compliance are reported to Senior Management on a timely basis. The frequency and extent of the audit should be commensurate with the ML/TF risks presented and the size and complexity of the Regulated Entity's business.

8.4. Training and awareness

The Regulated Entity shall: -

(a) provide AML/CFT training to all relevant employees, periodically;

(b) ensure that its AML/CFT training enables its employees to:

(i) comprehend the applicable laws relating to ML/TF, including the Act and Rules;

(ii) understand its policies, procedures, systems and controls related to AML/CFT and any amendments/modifications thereto;

(iii) recognise and deal with transactions and other activities which may be related to ML/TF;

(iv) comprehend the kind of activity that may constitute suspicious activity, which warrants prompt notification to the Principal Officer;

(v) have knowledge of the prevailing techniques, methods and trends in ML/TF, relevant to the business of the Regulated Entity;

(vi) understand their roles and responsibilities in combating ML/TF, including the identity and duties of the Regulated Entity's Principal Officer and deputy, where applicable; and,

(vii) understand the relevant findings, recommendations, guidance, directives, resolutions, sanctions, notices or other conclusions described in Chapter VI.

(c) ensure that its AML/CFT training:

(i) is relevant and tailored to the Regulated Entity's activities, including its products, services, customers, distribution channels, business partners, level and nature of its transactions; and

(ii) identifies and indicates the different levels of ML/TF risk and vulnerabilities associated with the matters in sub-clause (c)(i) above.

Guidance Note: -

(1) All new relevant employees of a Regulated Entity should be given appropriate AML/CFT training as soon as reasonably practicable after commencing employment with the Regulated Entity.

(2) The manner of providing AML/CFT training may not necessarily be formal and may include any medium which is considered appropriate.

(3) A relevant employee may include a member of the Senior Management or operational staff, any employee with customer contact or who handles or may handle customer monies or assets, and any other employee who might otherwise encounter ML/TF in the business context.

CHAPTER- IX

RECORD KEEPING

9. Record Keeping

9.1. A Regulated Entity shall maintain the following records:

(a) a copy of all documents and information obtained in undertaking initial and ongoing Customer Due Diligence;

(b) records of customer business relationships (both original and certified copies), which include: -

(i) correspondence of business and other information relating to a customer's account;

(ii) adequate records of transactions to enable standalone transactions to be reconstructed; and

(iii) internal findings and analysis relating to a business transaction or other transactions, where the transaction or business may be unusual or suspicious, whether or not it results in a Suspicious Transactions Report;

(c) notifications made under Clause 10.1. (b);

(d) Suspicious Transactions Reports and any relevant supporting documents and information, including internal findings and analysis;

(e) any relevant communications, if made with the FIU;

(f) the documents referred to in Clause 9.4; and

(g) any other matter that the Regulated Entity may be expressly required to record and maintain, under these Guidelines.

9.2. The Regulated Entity shall preserve all necessary records, for at least six years or for such period as prescribed under the applicable laws, from the date on which business relationship has ended or transaction is completed.

9.3. The Regulated Entity shall provide to the Authority or any law enforcement agency immediately on request, a copy of a records maintained by it under these Guidelines.

9.4. Risk Assessment Documents

A Regulated Entity shall keep and maintain all risk assessment documents and provide to the Authority immediately on request, all relevant documents and information, including: -

(a) the business risk assessment undertaken by them as per Clause 3.1;

(b) how the business risk assessment in (a) was used for the purposes of complying with Clause 4.1. (a);

(c) the risk assessment of its customer undertaken under Clause 4.1. (a) (i); and,

(d) the determination of risk rating made under Clause 4.1. (a) (ii).

Guidance Note: -

(1) A Regulated Entity shall comply with the requirements prescribed under rule 3, 4 and 5, along with any other applicable provisions under the Act, Rules and these Guidelines.

(2) The above records may be kept in electronic format, subject to the condition that such records are readily accessible and promptly made available to the Authority or other law enforcement agency, on demand.

(3) Where the date on which the business relationship with a customer has ended remains unclear, it may be taken to have ended on the date of the completion of the last transaction.

(4) The Regulated Entity shall evolve a system for proper maintenance and preservation of records in such a manner that allows:

(a) data to be retrieved easily and quickly whenever required or when demanded by the competent authorities;

(b) the Authority or any other competent authority is able to assess the Regulated Entity's compliance with the applicable laws;

(c) identification of a customer or third party;

(d) it permits reconstruction of any transaction which was processed by or through the Regulated Entity on behalf of a customer or other third party.

9.5. Where the records referred to in Clause 9.1 are kept by a Regulated Entity outside the IFSC, the Regulated Entity shall:

(a) take all reasonable steps to ensure that the records are kept in a manner consistent with these Guidelines;

(b) ensure that the records are easily accessible to it; and

(c) ensure that the records are immediately made available for inspection, when so desired by the Authority.

9.6. All Regulated Entities shall:

(a) verify if there are secrecy or data protection laws that would restrict access without delay to the records referred to in Clause 9.1, by the Regulated Entities, the Authority or the law enforcement agencies of India; and

(b) where such law exists, obtain without delay, the certified copies of the relevant records and keep such copies in a jurisdiction which allows access by those persons referred in Clause (a) above.

9.7. The Regulated Entities shall be able to convey that they have complied with the training requirements in Chapter VIII through appropriate measures, including the maintenance of relevant training records.

CHAPTER-X

PROCESS OF IDENTIFICATION OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS

10.1. Internal reporting requirements

(a) A Regulated Entity shall establish and maintain policies, procedures, systems and controls in order to monitor and detect suspicious transactions with respect to potential ML/TF.

(b) A Regulated Entity shall put in place such policies, procedures, systems and controls which ensure that whenever any of its employee, acting in the ordinary course of his employment, either:

(i) knows;

(ii) suspects; or

(iii) has reasonable grounds for knowing or suspecting;

that a person is engaged in or attempting ML/TF, that employee promptly notifies the Principal Officer of the Regulated Entity with all relevant details.

10.2. Indications of Suspicious Transactions

A Regulated Entity can identify suspicious transactions by following these four steps:

(a) Detect a suspicious indicator(s);

(b) Ask the customer questions;

(c) Review customer's records; and

(d) Evaluate the above information.

(a) Detect Suspicious indicators

The first step in identifying a suspicious transaction is to detect indicators that a transaction(s) may involve funds that are derived from an illegal activity or that the transaction(s) is an attempt to disguise funds derived from illegal activity or lacks a business or apparent lawful purpose.

Guidance Note: -

1) The suspicious indicators act as "red flags" and alerts for the Regulated Entity to pay more attention to a particular customer or transaction(s). These indicators include:

(a) complex, unusual or large transactions that have no apparent economic or lawful purpose;

(b) unusual pattern of transactions that have no apparent economic or lawful purpose;

(c) the transaction (or attempted transaction) does not match the known background, nature and type of customer, including source of funds;

(d) unusual customer behaviour;

(e) Customers whose identity verification seems difficult or clients that appear non-cooperative;

(f) Asset management services for clients where the source of the funds is not clear or not in keeping with clients' apparent standing /business activity;

(g) Customers based in high-risk jurisdictions;

(h) Substantial increases in business without apparent cause; or

(i) Attempted transfer of investment proceeds to apparently unrelated third parties.

2) The presence of suspicious indicators does not immediately equate to the criminality or suspicion. Rather, the detection of an indicator especially a combination of indicators should prompt the Regulated Entity to increase monitoring and to take further actions to assess whether the transaction(s) should be reported to the FIU-IND as suspicious.

(b) Ask Customer Questions

(i) If one or more suspicious indicators are detected, the Regulated Entity and its employees may ask the customer relevant and appropriate questions to determine whether there is a reasonable explanation for that observed indicator.

(ii) The Regulated Entity shall ensure that when asking such questions, they do not "tip-off" the customer. Instead, questions could be asked using a service approach.

(c) Review Customer's Records

The next step is to determine whether the suspicious indicators identified earlier is justifiable given what is known about the customer. To achieve this, a Regulated Entity shall review its customer's records and consider all information that is already known to it about the customer. This may include:

(i) the customer's usual occupation, business or principal activity;

(ii) the customer's transaction history;

(iii) the customer's risk profile;

(iv) the customer's income level;

(v) the customers source of income as stated during account opening or initial engagement;

(vi) reasons for the transactions as provided by the customer;

(vii) the "relationship" of the customer with the sender or beneficiary of funds;

(viii) the frequency of transactions;

(ix) the size and complexity of the transaction;

(x) the identity or location of any other person(s) involved in the transaction;

(xi) the usual or typical financial, business or operational practices or behavior of customers in the similar occupation or business category; and

(xii) the availability of identification documents and other documentation.

After reviewing as aforesaid if the Regulated Entity finds that the customer's profile has changed, it shall update the customer's profile.

(d)Evaluate Information Collected

(a) A Regulated Entity shall evaluate the:

(i) suspicious indicators,

(ii) information solicited from the customer through questions asked, and

(iii) known information about the customer to determine if there are reasonable grounds to suspect that the transaction(s) is related to the commission of a ML/ TF or any other serious offence.

(b) If the Regulated Entity concludes that there are reasonable grounds to suspect that the transaction(s) or attempted transaction(s) is linked to a ML/ TF or any other serious offence, it should report this suspicion to the FIU-IND by completing and submitting a STR.

Guidance Note: -

1) A Regulated Entity should be able to clearly articulate the reasons for its suspicion based on this evaluation. If a Regulated Entity is unable to establish reasonable grounds of suspicion, it must continue monitoring the customer or the business relationship.

2) By monitoring a customer's activity, a Regulated Entity may revert to any of the above steps (detect, ask, review and evaluate) at a later date and find that new facts and context may raise the suspicion to meet the reasonable grounds of suspicion threshold.

3) The requirement to report any suspicious transaction applies to all types of transaction. There is no minimum monetary threshold amount for reporting suspicious transactions. Thus, a transaction considered suspicious should be reported to the FIU-IND regardless of the currency or amount of the transaction.

4) If a Regulated Entity is not able to obtain satisfactory evidence of a customer's identity, the Regulated Entity should not proceed further with the transaction unless directed in writing to do so by the FIU-IND.

5) If the Regulated Entity considers the reasons for the customer's failure or refusal to produce adequate identification documentations as unreasonable or suspicious, it shall report the attempted transaction to the FIU-IND as a suspicious transaction.

REPORTING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS

10.3. Reporting Requirements to Financial Intelligence Unit – India

A Regulated Entity shall furnish to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), the required information referred to in rule-3 of the Rules and in accordance with the terms of rule-7 thereof.

Guidance Note: -

1) The reporting formats and comprehensive reporting format guide prescribed or released by FIU-IND and Report Generation Utility and Report Validation Utility developed to assist Regulated Entities in the preparation of prescribed reports shall be taken note of. The editable electronic utilities to file Suspicious Transaction Reports (STR) which FIU-IND has placed on its website, shall be made use of by Regulated Entities which are yet to install/adopt suitable technological tools for extracting STR from their live transaction data.

2) While furnishing information to the Director, FIU-IND, delay of each day in not reporting a transaction or delay of each day in rectifying a mis-represented transaction beyond the time limit as specified in the Rule shall constitute a separate violation.

3) Robust software to throw alerts when the transactions are inconsistent with risk categorization and updated profile of the customers, shall be put in to use as a part of effective identification and reporting of suspicious transactions.

4) In terms of the Rules, the Regulated Entities are mandated to report information relating to suspicious transactions to the Director, Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) at the following address:

Director, FIU-IND,

Financial Intelligence Unit-India,

6th Floor, Tower-2,

Jeevan Bharati Building,

Connaught Place,

New Delhi-110001,

Telephone: 91-11-23314429, 23314459

Website: http://fiuindia.gov.in

5) The Regulated Entities shall carefully go through all the reporting requirements and formats that are available on the website of FIU – IND.

(a) Further, in terms of Rules, the Regulated Entities shall inter-alia adhere to the following:

(i) The Suspicious Transaction Report (STR) shall be submitted within 7 days of arriving at a conclusion that any transaction or a series of transactions that are integrally connected, are of suspicious nature. The Principal Officer shall record his reasons for treating any transaction or

a series of transactions as suspicious. It shall be ensured that there is no undue delay in arriving at such a conclusion.

(ii) The Non-Profit Organization Transaction Reports (NTRs) for each month shall be submitted to FIU-IND by 15th of the succeeding month.

(iii) The Principal Officer shall be responsible for timely submission of STR and NTR to FIU-IND;

(iv) Utmost confidentiality shall be maintained in filing of STR and NTR to FIU-IND.

10.4. Confidentiality of Suspicious Transaction Report (STR)

(a) The Regulated Entities and its employees or agents shall not disclose to any person (including the customer):

(i) that it has reported or will be reporting a suspicious transaction to the FIU-IND;

(ii) that it has formed a suspicion on a particular customer's transaction; or

(iii) any other information which may cause the person to conclude that a suspicion has been formed or that a report has been or may be made to the FIU-IND.

(b) Disclosure of information on suspicious transactions is only allowed under the following circumstances:

(i) disclosure to an officer, employee or agent of the Regulated Entity for any purpose connected to the performance of that person's duties;

(ii) disclosure to a lawyer for the purpose of obtaining legal advice on the matter;

(iii) disclosure to a supervisory authority (to enable it to carry out its supervisory role); or

(iv) disclosure in compliance with the court order.

(c) The Regulated Entities and its employees are protected from any civil, criminal or disciplinary action taken against them for reporting a suspicious transaction in good faith.

Guidance Note:

1) No Nil reporting needs to be made to FIU-IND in case there are no suspicious/ non – profit organization transactions to be reported. The Regulated Entities shall not put any restrictions on operations in the accounts where an STR has been made. The Regulated Entities and their directors, officers and employees (permanent and temporary) shall be prohibited from disclosing ("tipping off") the fact that a STR or related information is being reported or provided to the FIU-IND.

2) This prohibition on tipping off extends not only to the filing of the STR and/ or related information but even before, during and after the submission of an STR. Thus, it shall be ensured that there is no tipping off to the customer at any level.

3) It is clarified that the Regulated Entities, irrespective of the amount of transaction and/or the threshold limit envisaged for predicate offences specified in part B of the Schedule of the Act, shall file STR if they have reasonable grounds to believe that the transactions involve proceeds of crime.

10.5. Additional measures

(a) Lawyers, notaries, accountants, and entities offering such services shall report suspicious transactions when, on behalf of or for a client, they engage in a financial transaction in relation to the following activities :-

(i) buying and selling of real estate;

(ii) managing of client money, securities or other assets;

(iii) management of bank, savings or securities accounts;

(iv) organization of contributions for the creation, operation or management of companies;

(v) creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities.

CHAPTER- XI

COMPLIANCE OBLIGATIONS UNDER INTERNATIONAL AGREEMENTS AND DOMESTIC LAWS

11.1. Requirements/obligations under International Agreements Communications from International Agencies –

(a) The Regulated Entities shall ensure that in terms of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) and amendments thereto, they do not have any account in the name of individuals/entities appearing in the lists of individuals and entities, suspected of having terrorist links, which are approved by and periodically circulated by the United Nations Security Council (UNSC). The details of the two lists are as under:

(i) The "ISIL (Da'esh) &Al-Qaida Sanctions List", which includes names of individuals and entities associated with the Al-Qaida. The updated ISIL &Al- Qaida Sanctions List is available at: https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida-r.xsl

(ii) The "1988 Sanctions List", consisting of individuals (Section A of the consolidated list) and entities (Section B) associated with the Taliban which is available at:

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/taliban-r.xsl

(b) Details of accounts resembling any of the individuals/entities mentioned in the above lists, shall be reported to FIU-IND apart from advising Ministry of Home Affairs as required under UAPA Order bearing file no.14014/01/2019/CFT dated February 2, 2021, issued by the CTCR Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, which is available at https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ProcedureImplementationSection51A_30032021.pdf

(c) In addition to the above, other UNSC Resolutions circulated by the IFSCA in respect of any other jurisdictions/ entities from time to time, shall also be taken note of for necessary compliances.

11.2. Freezing of Assets under Section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

The procedure laid down in the UAPA Order bearing file no.14014/01/2019/CFT dated February 2, 2021, issued by the CTCR Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, shall be strictly followed and compliance with the Order shall be ensured. The list of Nodal Officers for UAPA is available on the website of Ministry of Home Affairs.

11.3. Jurisdictions that do not or insufficiently apply the FATF Recommendations

(a) FATF Statements circulated from time to time, and publicly available information for identifying countries which do not or insufficiently apply the FATF Recommendations, shall be considered. Risks arising from the deficiencies in AML/CFT regime of the jurisdictions included in the FATF Statement shall be taken into account.

(b) Special attention shall be given to business relationships and transactions with persons (including legal persons and other financial institutions) from or emanating in countries that do not or insufficiently apply the FATF Recommendations and jurisdictions included in the FATF statements.

Explanation: *The process referred to in (a) and (b) above, do not preclude Regulated Entities from having legitimate trade and business transactions with the countries and jurisdictions mentioned in the FATF statement.*

(c) The background and purpose of transactions with persons (including legal persons and other financial institutions) from jurisdictions included in FATF Statements and countries that do not or insufficiently apply the FATF Recommendations as aforesaid shall be examined, and written findings, together with all documents, shall be retained and be made available to the Authority and other relevant authorities, on request.

11.4. Secrecy Obligations and Sharing of Information:

(a) A Regulated Entity shall maintain secrecy regarding the customer information that arises out of the contractual relationship between it and the customer.

(b) Information collected from customers for the purpose of opening of account shall be treated as confidential and details thereof shall not be divulged without the express consent of the customer.

(c) While considering the requests for data/information from Government and other agencies, a Regulated Entity shall satisfy itself that the information being sought is not of such a nature as will violate the provisions of the laws relating to secrecy.

(d) The exceptions to the above obligations shall be as under:

(i) Where disclosure is under compulsion of law;

(ii) Where there is a duty to the public to disclose;

(iii) Where the interest of Regulated Entity requires disclosure; and

(iv) Where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer.

11.5. Reporting requirement under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS)

Under FATCA and CRS, a Regulated Entity shall adhere to the provisions of Income Tax Rules 114F, 114G and 114H and determine whether it is a Reporting Financial Institution as defined in Income Tax Rule 114F and if so, shall take following steps for complying with the reporting requirements:

(a) Register on the related e-filling portal of Income Tax Department as Reporting Financial Institutions at the link: https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post login > My Account --> Register as Reporting Financial Institution;

(b) Submit online reports by using the digital signature of the 'Designated Director' by either uploading the Form 61B or 'NIL' report, for which, the schema prepared by Central Board of Direct Taxes (CBDT) shall be referred to.

Explanation: A Regulated Entity shall refer to the spot reference rates published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) on their website at https://fedai.org.in/ for carrying out the due diligence procedure for the purposes of identifying reportable accounts in terms of Rule 114H.

(c) Develop Information Technology (IT) framework for carrying out due diligence procedure and for recording and maintaining the same, as provided in Rule 114H.

(d) Develop a system of audit for the IT framework and compliance with Rules 114F, 114G and 114H of Income Tax Rules.

(e) Constitute a "High Level Monitoring Committee" under the Designated Director or any other equivalent functionary to ensure compliance.

(f) Ensure compliance with updated instructions/ rules/ guidance notes/ Press Releases/ issued on the subject by Central Board of Direct Taxes (CBDT) from time to time and available on the web site http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx. A Regulated Entity shall also take note of the following:

(i) updated Guidance Note on FATCA and CRS; and

(ii) a press release on 'Closure of Financial Accounts' under Rule 114H.

11.6. Sharing of KYC information pertaining to Indian Resident (Natural and Legal Entities) with Central KYC Records Registry (CKYCR):

(a) In terms of provision of rule 9(1A) of Rules, a Regulated Entity shall capture customer's KYC records and upload on CKYCR within 10 days of commencement of an account-based relationship with the customer in the form and manner as prescribed under Central KYC Registry Operating Guidelines 2016, released by Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) and shall ensure that:

(i) the KYC records to be uploaded are as per KYC Template released by CERSAI.

(ii) Once KYC Identifier is generated by CKYCR, the same is communicated to the Customer.

(iii) It has performed the last KYC verification or has sent updated information in respect of a Customer to CKYCR.

(b) Where a customer, for the purposes of establishing an account-based relationship, submits a KYC Identifier to a Regulated Entity with an explicit consent to download records from CKYCR, such Regulated Entity shall retrieve the KYC records online from the CKYCR using the KYC Identifier and the customer shall not be required to submit the same KYC records or information or any other additional identification documents or details, unless –

(i) there is a change in the information of the customer as existing in the records of CKYCR;

(ii) the current address of the customer is required to be verified; and,

(iii) the Regulated Entity considers it necessary in order to verify the identity or address of the customer, or to perform enhanced due diligence or to build an appropriate risk profile of the client.

Guidance Note

Under rule 9A of the Rules, a Regulated Entity is required to submit KYC Records to the Central KYC registry, in case of the Indian nationals. However, this requirement shall not be applicable in case of foreign nationals.

CHAPTER-XII

GROUPS, BRANCHES AND SUBSIDIARIES

12.1. Obligation to develop and ensure implementation of KYC/AML-CFT standards

(a) A Regulated Entity incorporated in an IFSC, shall develop a group policy on AML/CFT to meet the requirements of these Guidelines and extend the same to all of its branches and majority owned subsidiaries. The group policies should include:

(i) the development of internal policies, procedures and controls, including appropriate compliance management arrangements, and adequate screening procedures to ensure high standards when hiring employees;

(ii) an ongoing employee training programme; and

(iii) an independent audit function to test the system.

(b) The Regulated Entity shall communicate the group policy to all its branches and majority owned subsidiaries and ensure its implementation.

(c) Where the KYC/AML-CFT standards in another jurisdiction differ from those specified by the Authority, the Regulated Entity shall require its branch or majority owned subsidiary in that jurisdiction to apply the higher of the two standards, to the extent permitted by the law of that jurisdiction.

(d) Where the law of another jurisdiction does not permit the implementation of KYC/AML-CFT standards that are equivalent to or higher than those that apply to the Regulated Entity incorporated in an IFSC, the Regulated Entity shall: -

(i) inform the Authority in writing; and

(ii) apply appropriate additional measures to prevent the ML/TF risks posed by the relevant branch or subsidiary.

(e) Where the Regulated Entity has a branch or subsidiary in a country or jurisdiction:

(i) For which the FATF has called for countermeasures; or

(ii) It is known to have inadequate AML/CFT measures, as identified by the Regulated Entity for itself or notified by the Authority or other foreign regulatory authorities to the Regulated Entities;

the Regulated Entity shall ensure that its group policy on KYC-AML-CFT standards is strictly observed by the management of that branch or subsidiary.

12.2. Group Policy

A Regulated Entity which is part of a Financial Group must ensure that it:

(a) has developed and implemented its group policies and procedures for the sharing of information between Financial Group entities, including the sharing of information related to CDD and for ML/TF risk management;

(b) has put in place adequate safeguards to protect the confidentiality and use of any information that is exchanged between Financial Group entities;

(c) remains aware of the ML/TF risks of the Financial Group as a whole, of its exposure to the Financial Group and takes active steps to mitigate such risks;

(d) contributes to a Group-wide risk assessment to identify and assess ML/TF risks for the Financial Group;

(e) provides its Group-wide compliance, audit and AML/CFT functions of customer, account, and transaction information from its branches and subsidiaries, when necessary for the purposes of ML/TF risk management.

Annexure-I

Guidance on CDD Procedure

(Refer Clause 5.4.3)

Part-I

Guidance for identification of the customers

For onboarding customers, the Regulated Entity may obtain such information as may be required under these Guidelines, in addition to that is required under the Act and Rules. The Illustrative list of information to be obtained for onboarding customers is provided below: -

(1) For Individual

(i) Full name, including any aliases;

(ii) Unique Identification Number (such as an Identity card number, passport number, etc.);

(iii) Date of birth;

(iv) Nationality;

(v) Legal domicile;

(vi) Current residential address; (other than a post office box address);

(vii) Contact details such as personal, office or work telephone numbers.

(viii) Occupation or profession, name of employer and location of activity; (wherever applicable)

(ix) Information regarding the nature of the business to be conducted; (wherever applicable)

(x) Information regarding the origin of the funds; and (wherever applicable)

(xi) Information regarding the source of wealth or income. (wherever applicable).

Guidance Note

The address of a customer should enable a Regulated Entity to physically locate the customer.

(2) For Legal Person or Legal Arrangement

In cases where the customer is a legal person or legal arrangement, the Regulated Entity shall, apart from identifying the customer, shall also identify the legal form, constitution and powers that regulate and bind the legal person or legal arrangement. Additionally, the Regulated Entities shall also identify and screen the related parties or connected parties of such customer and should remain apprised of any changes to connected parties. For identification of the connected parties, the Regulated Entities shall obtain the following information of each related or connected party:

(i) full name, including any aliases; and

(ii) Unique Identification Number (such as an Identity card number, passport number, etc.).

Part-II

Guidance for verification of the identity of the customers

(1) Verification of identity through following documents:

(i) Passport;

(ii) Driving license;

(iii) Proof of possession of Aadhar number (for Indian Nationals) ;

(iv) Voter's Identity Card issued by Election Commission of India (for Indian Nationals);

(v) For foreign nationals, the national identity card and voter identification card, by whatever name called, issued by the Government of foreign jurisdictions or agencies authorized by them capturing the photograph, name, date of birth and address of a foreign national shall also be considered as OVD.

(2) where simplified measures are applied for verifying the identity of the customers, the following documents shall also be deemed to be OVD:

(i) identity card with applicant's photograph issued by Central/State Government Departments, Statutory/ Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, and Public Financial Institutions;

(ii) letter issued by a gazetted officer, with a duly attested photograph of the person.

(3) The Regulated Entity shall ensure that any document used for the purpose of verification of the identity of the customer is an original document.

(4) In case a customer is unable to produce, or it might not be possible for customer to submit original documents for verification (e.g., in situations where Regulated Entity has no physical contact with the customer, or the onboarding of customer is done through non-face to face mode); a Regulated Entity should obtain a copy of the OVD that is certified to be a 'true copy' and such certification may be carried out by any one of the following: -

(i) Authorised official of a bank located in a Financial Action Task Force (FATF) compliant jurisdiction with whom the individual has banking relationship;

(ii) Notary Public (outside India);

(iii) Court Magistrate (outside India);

(iv) Judge (outside India);

(v) Certified public or professional accountant (outside India);

(vi) Lawyer (outside India);

(vii) The Embassy/Consulate General of the country of which the non-resident individual is a citizen; or

(viii) any other authority as may be specified by the Authority.

(5) The person certifying the OVD should be contactable.

(6) Where certification of an OVD is done by the authorised officer of the Regulated Entity, such certified copy should be dated, signed and marked with 'original sighted/verified'.

(7) Where the simplified measures are applied for verifying the limited purpose of proof of address of the customer, where a prospective customer is unable to produce any proof of address, the following document shall also be deemed to be Officially Valid Document:

(i) utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill);

(ii) property, Municipal tax receipt, city council tax receipt, or such other equivalent document;

(iii) bank account or Post Office savings bank account statement or statement of foreign bank; (applicable only for low-risk customers)

(iv) pension or family Pension Payment Orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address;

(v) letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and license agreements with such employers allotting official accommodation; and

Provided also that in case the OVD presented by a foreign national does not contain the details of address, the documents issued by the Government departments of foreign jurisdictions or letter issued by the Foreign Embassy or Mission in India shall be accepted as proof of address.

(8) The illustrative list of documents, which may be obtained for verification of the identity of Legal Person or Legal Arrangement, are as follows:

(i) In case of Company

(a) Certificate of incorporation;

(b) Memorandum and Articles of association;

(c) PAN or equivalent document prevalent in the home jurisdiction of the company;

(d) A resolution passed by the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees, as the case may be, to transact on its behalf;

(e) Such OVDs as are required for verification of the identity of the beneficial owners, managers, officers or employees, or power of attorney holders, as the case may, who are authorised to transact on behalf of the company.

(ii) In case of Partnership/limited liability partnership

(a) Registration certificate;

(b) Partnership deed/limited liability partnership deed;

(c) PAN or equivalent document prevalent in the home jurisdiction of the partnership firm;

(d) Such OVDs as are required for verification of the identity of the beneficial owners, managers, officers or employees, or power of attorney holders, as the case may, who are authorised to transact on behalf of the partnership firm;

(e) Such other documents as may be required by the Regulated Entities to collectively establish the existence of such partnership firm.

(iii) In case of Trust

(a) Registration certificate;

(b) Trust deed;

(c) PAN or equivalent document prevalent in the home jurisdiction of the trust;

(d) Such OVDs as are required for verification of the identity of the beneficial owners, managers, officers or employees, or power of attorney holders, as the case may, who are authorised to transact on behalf of the Trust.

(iv) In case of Unincorporated Associations/ Bodies

(a) Resolution of the managing body of such association/body;

(b) PAN or equivalent prevalent document in the home jurisdiction;

(c) Power of attorney granted to transact on its behalf;

(d) Such OVDs as are required for verification of the identity of the beneficial owners, managers, officers or employees, or power of attorney holders, as the case may, who are authorised to transaction on behalf of the Unincorporated Associations/ Bodies;

(e) Such other documents as may be required by the Regulated Entities to collectively establish the existence of such association/body.

Part-III

Various modes of verification of the identity of the customers

(i) Use of Business Facilitators;

(ii) Except for high-risk customers, the following mode of verification may also be considered: -

(a) downloading publicly available information from an official source (such as a regulator's or other official government website).

(b) CDD information and research obtained from a reputable company or information obtained from reliable and independent public information found on the internet and commercial

databases may also be acceptable as a reliable source, provided that the commercial database is recognized for such purpose by the home regulator.

Guidance Note on Business Facilitator: -

1) A Regulated Entity may identify the Business Facilitators in different geographies and shall sign agreements with them with specific terms and conditions ensuring customer secrecy and data protection.

2) A Regulated Entity shall maintain the details of the Business Facilitators assisting the customer, where such services are utilized. The ultimate responsibility for customer due diligence will always be with the Regulated Entities.

3) A Regulated Entity will use Business Facilitators for verifying the information/OVD provided by the customer for opening account.

4) The Business Facilitators shall be domiciled and regulated or registered in jurisdiction not identified in the public statement of FATF as 'High Risk Jurisdictions' subject to a 'Call for Action'; or from any country specified by the Government of India by an order or by way of agreement or treaty with other sovereign governments.

Annexure-II

(refer Clause 5.4.3)

PART-A

V-CIP PROCESS FOR ONBOARDING INDIAN NATIONALS

1.1. Regulated Entities may undertake V-CIP to carry out:

(a) CDD in case of new customer on-boarding for individual customers, proprietor in case of proprietorship firm, authorised signatories and Beneficial Owners (BOs) in case of customers which are non-natural persons.

(b) Updation/Periodic updation of KYC for eligible customers.

1.2. Regulated Entities opting to undertake V-CIP, shall adhere to the following minimum standards:

1.2.1. V-CIP Infrastructure

(i) A Regulated Entity shall comply with the minimum baseline cyber security and resilience framework as may be specified, as updated from time to time as well as other general guidelines on IT risks. The technology infrastructure should be housed in own premises of the Regulated Entity and the V-CIP connection and interaction shall necessarily originate from its own secured network domain. Any technology related outsourcing for the process should be compliant with the standards as may be specified.

(ii) A Regulated Entity shall ensure end-to-end encryption of data between customer device and the hosting point of the V-CIP application, as per appropriate encryption standards. The customer consent should be recorded in an auditable and alteration proof manner.

(iii) The V-CIP infrastructure / application should be capable of preventing connection from IP addresses outside India or from spoofed IP addresses.

(iv) The video recordings should contain the live GPS co-ordinates (geo-tagging) of the customer undertaking the V-CIP and date-time stamp. The quality of the live video in the V-CIP shall be adequate to allow identification of the customer beyond doubt.

(v) The application shall have components with face liveness / spoof detection as well as face matching technology with high degree of accuracy, even though the ultimate responsibility of any customer identification rests with the Regulated Entity. Appropriate artificial intelligence (AI) technology can be used to ensure that the V-CIP is robust.

(vi) Based on experience of detected / attempted / 'near-miss' cases of forged identity, the technology infrastructure including application software as well as workflows shall be regularly upgraded. Any detected case of forged identity through V-CIP shall be reported as a cyber event under extant regulatory guidelines.

(vii) The V-CIP infrastructure shall undergo necessary tests such as Vulnerability Assessment, Penetration Testing and a Security Audit to ensure its robustness and end-to-end encryption capabilities. Any critical gap reported under this process shall be mitigated before rolling out its

implementation. Such tests should be conducted by suitably accredited agencies as may be specified. Such tests should also be carried out periodically in conformance to internal / regulatory guidelines.

(viii) The V-CIP application software and relevant APIs / web services shall also undergo appropriate testing of functional, performance, maintenance strength before being used in live environment. Only after closure of any critical gap found during such tests, the application should be rolled out. Such tests shall also be carried out periodically in conformity with internal/ regulatory guidelines.

1.2.2.V-CIP Procedure

(i) Each Regulated Entity shall formulate a clear workflow and standard operating procedure for V-CIP and ensure adherence to it. The V-CIP process shall be operated only by officials of the Regulated Entity specially trained for this purpose. The official should be capable to carry out liveliness check and detect any other fraudulent manipulation or suspicious conduct of the customer and act upon it.

(ii) If there is a disruption in the V-CIP procedure, the same should be aborted and a fresh session initiated.

(iii) The sequence and/or type of questions, including those indicating the liveness of the interaction during video interactions shall be varied in order to establish that the interactions are real-time and not pre-recorded.

(iv) Any prompting, observed at the end of customer shall lead to rejection of the account opening process.

(v) The fact of the V-CIP customer being an existing or new customer, or if it relates to a case rejected earlier or if the name appearing in some negative list should be factored in at appropriate stage of workflow.

(vi) The authorised official of the Regulated Entity performing the V-CIP shall record audio-video as well as capture photograph of the customer present for identification and obtain the identification information using any one of the following:

(a) Offline Verification of Aadhaar for identification;

(b) KYC records downloaded from CKYCR using the KYC identifier provided by the customer;

(c) Equivalent e-document of Officially Valid Documents (OVDs) including documents issued through Digilocker.

(vii) A Regulated Entity shall ensure to redact or blackout the Aadhaar number in the manner as provided under Part B of *Annexure II.*

(viii) In case of offline verification of Aadhaar using XML file or Aadhaar Secure QR Code, it shall be ensured that the XML file or QR code generation date is not older than three days from the date of carrying out V-CIP.

(ix) Further, in line with the prescribed period of three days for usage of Aadhaar XML file / Aadhaar QR code, the Regulated Entities shall ensure that the video process of the V-CIP is undertaken within three days of downloading / obtaining the identification information through CKYCR / Aadhaar authentication / equivalent e-document; if in the rare cases, the entire process cannot be completed at one go or seamlessly. However, the Regulated Entities shall ensure that no incremental risk is added due to this.

(x) If the address of the customer is different from that indicated in the OVD, suitable records of the current address shall be captured as per the existing requirement. It shall be ensured that the economic and financial profile/information submitted by the customer is also confirmed from the customer undertaking the V-CIP in a suitable manner.

(xi) A Regulated Entity shall capture a clear image of PAN card to be displayed by the customer during the process, except in cases where e-PAN is provided by the customer. The PAN details shall be verified from the database of the issuing authority including through Digilocker.

(xii) Use of printed copy of equivalent e-document including e-PAN is not valid for the V-CIP.

(xiii) The authorised official of the Regulated Entity shall ensure that photograph of the customer in

(xiv) the Aadhaar/OVD and PAN/e-PAN matches with the customer undertaking the V-CIP and the identification details in Aadhaar/OVD and PAN/e-PAN shall match with the details provided by the customer.

(xv) All accounts opened through V-CIP shall be made operational only after being subject to concurrent audit, to ensure the integrity of the process and its acceptability of the outcome.

(xvi) All matters not specified under the paragraph but required under other statutes such as the Information Technology (IT) Act shall be appropriately complied with by the Regulated Entities.

1.2.3.V-CIP Records and Data Management

(a) The entire data and recordings of V-CIP shall be stored in a system / systems located in the territory of India. The Regulated Entities shall ensure that the video recording is stored in a safe and secure manner and bears the date and time stamp that affords easy historical data search. The extant instructions on record management, as stipulated in these Guidelines, shall also be applicable for V-CIP.

(b) The activity log along with the credentials of the authorised person of the Regulated Entity performing the V-CIP shall be preserved.

PART-B

DIGITAL KYC PROCESS FOR INDIAN NATIONALS

2.1. For undertaking CDD of Indian nationals, the Regulated Entities shall obtain the following from an individual while establishing an account-based relationship or while dealing with the individual who is a beneficial owner, authorised signatory or the power of attorney holder related to any legal entity:

(a) the Aadhaar number where: -

(i) the customer decides to submit his Aadhaar number voluntarily to a bank or any Regulated Entity notified under first proviso to sub-section (1) of section 11A of the Act; or

(aa) the proof of possession of Aadhaar number where offline verification can be carried out; or

(bb) the proof of possession of Aadhaar number where offline verification cannot be carried out or any OVD or the equivalent e-document thereof containing the details of the customer's identity and address; and

(b) the Permanent Account Number or the equivalent e-document thereof, as defined in Income-tax Rules, 1962; and

(c) such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the customer, or the equivalent e-documents thereof, as may be required by the Regulated Entity:

Provided that where the customer has submitted,

(i) Aadhaar number under Clause (a) above, to a bank or a Regulated Entity notified under first proviso to sub-section (1) of section 11A of the Act, such bank or Regulated Entity shall carry out authentication of the customer's Aadhaar number using e-KYC authentication facility provided by the Unique Identification Authority of India. Further, in such a case, if customer wants to provide a current address, different from the address as per the identity information available in the Central Identities Data Repository, he may give a self-declaration to that effect to the Regulated Entity.

(ii) proof of possession of Aadhaar under sub-clause (aa) above, where offline verification can be carried out, the Regulated Entity shall carry out offline verification.

(iii) an equivalent e-document of any OVD, the Regulated Entity shall verify the digital signature as per the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and any rules issued thereunder and take a live photo as specified under digital KYC Process as specified under Annexure I of Rules.

(iv) any OVD or proof of possession of Aadhaar number under (a)(i)(bb) above where offline verification cannot be carried out, the Regulated Entity shall carry out verification through digital KYC Process as specified under Annexure I of Rules.

Provided that for a period not beyond such date as may be notified by the Government for a class of Regulated Entities, instead of carrying out digital KYC, the Regulated Entity pertaining to such

class may obtain a certified copy of the proof of possession of Aadhaar number or the OVD and a recent photograph where an equivalent e-document is not submitted.

***Explanation I*:** Regulated Entity shall, where its customer submits a proof of possession of Aadhaar Number containing Aadhaar Number, ensure that such customer redacts or blacks out his Aadhaar number through appropriate means.

***Explanation II*:** Biometric based e-KYC authentication can be done by authorised official of the Regulated Entity/business facilitators.

***Explanation III*:** The use of Aadhaar, proof of possession of Aadhaar etc., shall be in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies Benefits and Services) Act, 2016 and the regulations made thereunder.

INTETI SRINIVAS, Chairperson, IFSCA

[ADVT.-III/4/Exty./360/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.